ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

'हमारी योजना हमारा विकास'

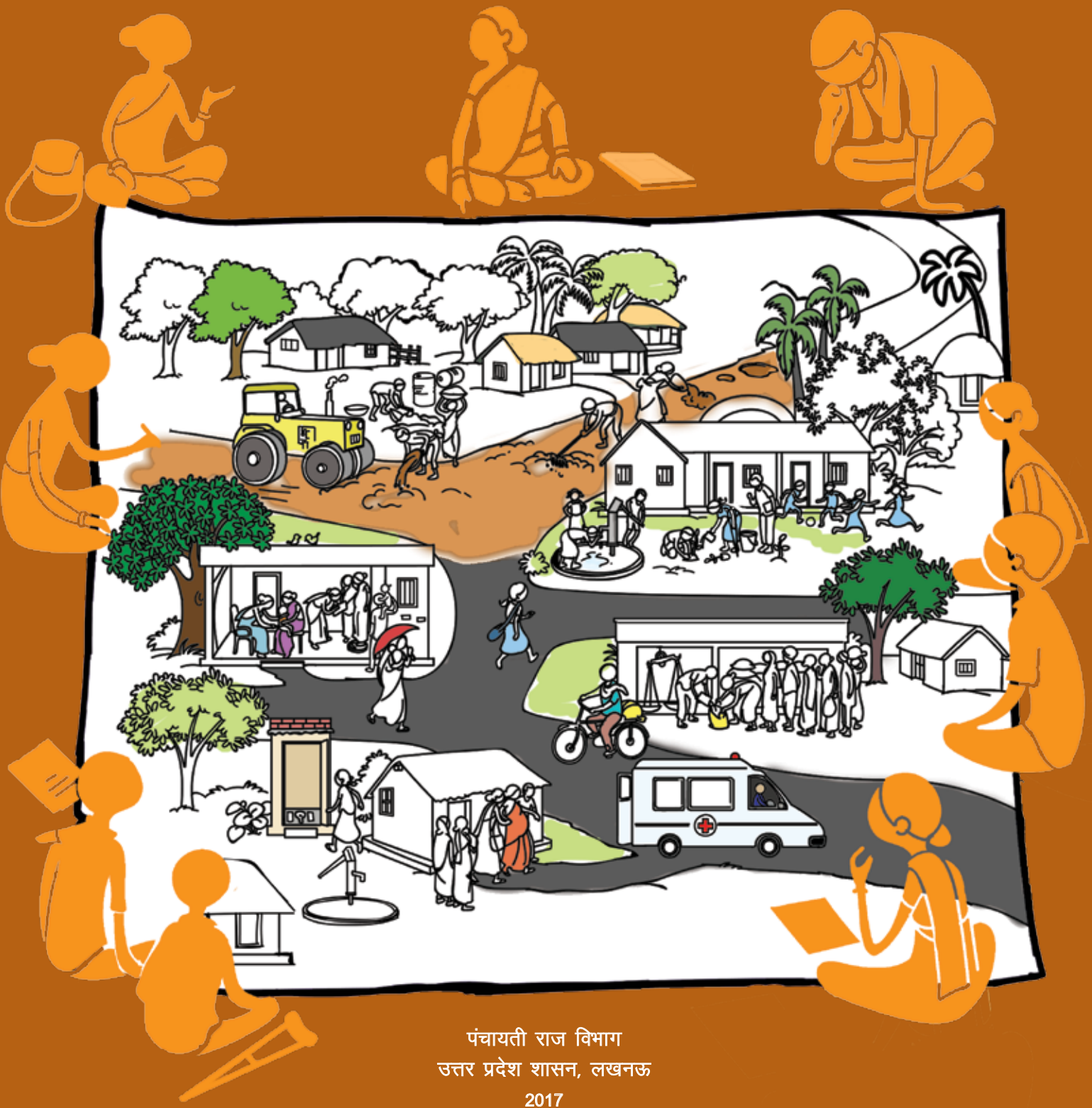

पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2017

उत्तर प्रदेश सरकार

unicef
for every child

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

'हमारी योजना हमारा विकास'

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

© पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ

अक्टूबर 2017

पंचायती राज विभाग
लोहिया भवन, प्लॉट न. 06, सेक्टर ई, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ–226024

योगदानकर्ता:
श्री विजय किरण आनन्द, आई.ए.एस, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
डॉ. पीयूश एंटनी, सामाजिक नीति विशेषज्ञ, यूनिसेफ
अजय सिंह, सलाहकार, यूनिसेफ
श्री धीरेन्द्र तिवारी, राज्य समन्वयक, इंटर कॉरपोरेशन सोशल डेवलपमेंट इंडिया
श्री मनीष कुमार सिंह, सहभागी शिक्षण केन्द्र
डॉ. प्रीति सिंह, सलाहकार, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आर.जी.एस.ए.
श्री अखिलेश तिवारी, सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन
श्री राजीव लोचन, शुरुआत

Message by Minister

Foreword from Principal Secretary

विषय-वस्तु

ग्राम पंचायत विकास योजना पांच दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ix

प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि 1

प्रशिक्षकों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिन्दु 5

दिवस 1

सत्र 1
आपसी परिचय 9

सत्र 2
प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा 11

सत्र 3
पंचायती राज व्यवस्था 13

सत्र 4
विकास तथा लोकतंत्र को समझना 21

सत्र 5
ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण: एक अवसर 30

दिवस 2

सत्र 1
विगत दिवस का पुनरावलोकन 35

सत्र 2
ग्राम पंचायत विकास और समुदाय की भागीदारी 37

सत्र 3
योजना निर्माण का पहला चरण: वातावरण निर्माण 46

सत्र 4
योजना निर्माण का दूसरा चरण: पारिस्थितिकीय विश्लेषण 51

सत्र 5
रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन) 73

दिवस 3

सत्र 1
विगत दिवस का पुनरावलोकन 81

सत्र 2
योजना निर्माण का तीसरा चरण: आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण 82

सत्र 3
योजना निर्माण का चौथा चरण: ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास 101

दिवस 4

सत्र 1
विगत दिवस का पुनरावलोकन 107

सत्र 2
योजना निर्माण का पांचवां चरण: तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति 108

सत्र 3
प्रशिक्षण क्या है?
अथवा क्षेत्र भ्रमण (तृतीय दिवस में चर्चा की गई पी.आर.ए.
पद्धतियों का ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग करना) 113

सत्र 4
वयस्क के सीखने का चक्र एवं मनोविज्ञान 115

सत्र 5
अच्छे प्रशिक्षक के गुण 119

सत्र 6
प्रशिक्षण पद्धतियां 120

सत्र 7
सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया 122

दिवस 5

सत्र 1
आओ करके सीखें 127

संलग्नक
संलग्नक 1: पंचायती राज व्यवस्था 131
संलग्नक 2: विकास गरिमा के साथ रहने का अधिकार 139
संलग्नक 3: आपदा पूर्व/पश्चात् संभावित गतिविधियां 141
संलग्नक 4: नियमित टीकाकरण 144
संलग्नक 5: देखने का नज़रिया 145
संलग्नक 6: उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड 146
संलग्नक 7: पी.आर.ए. टूल्स 155
संलग्नक 8: पारिवारिक सर्वे प्रपत्र 164
संलग्नक 9: ग्राम पंचायत विकास योजना 172
संलग्नक 10: ''ग्राम पंचायत विकास योजना'' निर्माण की गतिविधियों के लिए सुझावात्मक समय-सारणी 179
संलग्नक 11: वयस्क सीख चक्र 181
संलग्नक 12: पंचायतों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 182
संलग्नक 13: वातावरण निर्माण 184
संलग्नक 14: रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन) 187
संलग्नक 15: संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की प्रतियां 190
संलग्नक 16: ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान 195

ग्राम पंचायत विकास योजना पांच दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

उद्देश्य: ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के सन्दर्भ में जिला स्तरीय रिसोर्स ग्रुप के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों को जी.पी.डी.पी. के घटकों, प्रक्रियाओं, विधियों एवं दिशा–निर्देशों पर प्रशिक्षित करना।

दिवस – 1

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:00–9:30	आरम्भिक गतिविधि	• पंजीकरण		• पंजीकरण प्रारूप	प्रतिभागियों का पंजीकरण।
9:30–10:00	सत्र 1: आपसी परिचय	• स्वागत एवं परिचय • प्रशिक्षण के उद्देश्य	• वैयक्तिक एवं सामूहिक अभ्यास प्रस्तुतीकरण	• चार्ट, मार्कर, प्री–टेस्ट प्रपत्र	प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी सहभागी माहौल तैयार करना।
10:00–10:30	सत्र 2: प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा	• प्रशिक्षण के नियम बनाना।	• सामूहिक अभ्यास प्रस्तुतीकरण	• चार्ट, मार्कर	प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा।
10:30–10:45	चाय अवकाश				
10:45–11:45	सत्र 3: पंचायती राज व्यवस्था	• उदभव • 73वां संशोधन • पंचायत समितियाँ	• परस्पर संवाद एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	• पंचायती राज व्यवस्था नोट • पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ • चार्ट पेपर एवं मार्कर	पंचायती राज व्यवस्था पर जानकारी एक जीपीडीपी में भूमिका स्पष्ट करना।
11:45–13:30	सत्र 4: विकास तथा लोकतंत्र को समझना	• सम्मानपूर्ण जीवन • मानव विकास पहल • समावेशीकरण	• पावर वॉक • समूह अभ्यास • प्रस्तुतीकरण	• जमीन पर निशान लगाने के लिए चॉक • 8 समूहों की पर्ची	प्रतिभागियों में विकास दृष्टिकोण के आधार पर विकसित करना एवं जी.पी.डी.पी. प्रक्रियाओं से जोड़ना।
13:30–14:30	भोजन अवकाश				
14:30–14:45	स्फूर्तिदायक खेल				प्रशिक्षण के लिए सहभागितापूर्ण माहौल तैयार करना।
14:45–16:45	सत्र 5: ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण : एक अवसर	• तुलनात्मक सामाजिक एवं आर्थिक विकास संकेतकों की स्थिति • राज्य एवं ग्राम पंचायत पर उपलब्ध संसाधनों की स्थिति • विकास स्थिति एवं संसाधनों का समुचित प्रयोग	• उत्तर प्रदेश विकास डैशबोर्ड एवं संसाधन पाई चार्ट पर प्रस्तुतीकरण • समूह अभ्यास जी.पी.डी.पी. के माध्यम से	• वी.आई.पी.पी. कार्ड, चार्ट पेपर • मार्कर पेन • 8 विषयों के प्रपत्र के सेट • उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	जी.पी.डी.पी. विकास एवं परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम किस प्रकार से है, इस पर समझ बनेगी।
16:45–17:00	चाय अवकाश				
17:00–17:15	फीडबैक		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

दिवस – 2

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन	• पंचायती राज व्यवस्था • लोकतंत्र और विकास • 73वां संशोधन, पंचायत की समितियां, • पावर वॉक, उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	• रोलिंग बॉल का प्रयोग	• रबड़ की गेंद • विगत दिवस में विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा किए गए विषय से संबंधित तैयार की गई पर्चियां • उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।
9:45–11:00	सत्र 2: ग्राम पंचायत विकास और समुदाय की भागीदारी	• पांच प्रमुख घटक • प्रमुख चरण एवं गतिविधियां • मार्गदर्शक की विधियां	• "Whose Reality" फिल्म • ताना बाना • जे.पी.डी.पी. के 5 क्षेत्रों पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • समूह अभ्यास	• हमारी योजना, हमारा विकास प्रस्तुतियां • प्रोजेक्टर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, सफेद दीवार या परदा • लम्बा मजबूत धागा या पतली रस्सी	जी.पी.डी.पी. फ्रेमवर्क / डिज़ाइन पर स्पष्ट समझ विकसित करना।
11:00–11:15	चाय अवकाश				
11:15–13:00	सत्र 3: योजना निर्माण का पहला चरण: वातावरण निर्माण	• वातावरण निर्माण की आवश्यकता • गतिविधियां एवं टूल्स	• फिल्म एवं समूह चर्चा	• चार्ट पेपर, मार्कर • हिवरे बाज़ार फिल्म • एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, माइक एवं स्पीकर इत्यादि	चार्ट पेपर, मार्कर, वातावरण निर्माण संबंधित फिल्म (आदर्श ग्राम हिवरे बाज़ार) एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, माइक एवं स्पीकर इत्यादि।
13:00–14:00	भोजन अवकाश				
14:00–14:15	स्फूर्तिदायक खेल				
14:15–16:15	सत्र 4: योजना निर्माण का दूसरा चरण: पारिस्थितिकीय विश्लेषण	• घटक एवं वार्ड वार आंकड़ों की आवश्यकता • परिवार सर्वेक्षण • पी.आर.ए. • विकास से विधियों तक आंकड़ों का उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड तैयार करना	• शिक्षापथ फिल्म • समूह अभ्यास • फोर्स फील्ड विश्लेषण • छः बॉक्स आईटम • छः विषयों पर समूह क्रिया	• एल.सी.डी. • चार्ट पेपर एवं मार्कर • शिक्षापथ फिल्म • हमारी योजना, हमारा विकास पुस्तिका • प्रशिक्षण मार्गदर्शिका • ग्राम नजरी नक्शा	पारिस्थितकीय विश्लेषण की विधियों, सूचनाओं की आवश्यकता एव प्रकार से परिचित करवाना।
16:15–16:30	चाय अवकाश				
16:30–18:15	सत्र 5 रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)	• ग्राम पंचायत एवं क्लस्टर स्तर पर मानव संसाधन का निर्धारण • विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर वित्तीय संसाधनों का निर्धारण • ओ.एस.आर. संसाधनों का निर्धारण	• रिसोर्स एन्वेलप पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • समूह चर्चा • परस्पर संवाद	• चार्ट पेपर • मार्कर • रिसोर्स एन्वेलप के संकलन हेतु फॉर्मेट	जी.पी.डी.पी. के क्रियान्वयन के लिए रिसोर्स इन्वेलप तैयार करने की प्रक्रिया पर समझ विकसित करना।

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
18:15–18:30	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

दिवस – 3

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन		सामूहिक चर्चा	चार्ट पेपर एवं मार्कर	पिछले दिवस का प्रस्तुतीकरण।
9:45–11:30	सत्र 2: योजना निर्माण का तीसरा चरण: आवश्यकताओं/ समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण	• पारिस्थितिकीय विश्लेषण पर समझ • वार्डवार आवश्यकताओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण प्रक्रिया • जी.पी.डी.पी. के पांच घटकों में रेणीकरण एवं प्राथमिकीकरण करना	• पारिस्थिति आधारित समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण • परस्पर संवाद आधरित चर्चा • पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	• चार्ट पेपर एवं मार्कर • संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की 5 प्रतियां • पंचायत चिलौकी के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों 5 प्रतियां	जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर समुदाय एवं पंचायत की संवेदनशीलता एवं आंकड़ों को सृजित करने पर समझ विकसित करना।
11:30–11:45	चाय अवकाश				
11:45–13:45	सत्र जारी...				
13:45–14:45	भोजन अवकाश				
14:45–15:00	स्फूर्तिदायक खेल				
15:00–17:00	सत्र 3: योजना निर्माण का चौथा चरण: ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास	• जी.पी.डी.पी. के लिए संसाधनों का निर्धारण • उपयोगी प्रपत्रों तथा प्रक्रियाओं से परिचय	• परिस्थिति आधारित केस • समूह चर्चा • जी.पी.डी.पी. प्रारूप पर कार्ययोजना तैयार करना (काल्पनिक) • प्रवाह क्रम	• ड्राफ्ट प्लान के लिए प्रपत्र • पंचायत चिलौकी के समस्त प्रपत्र एवं रिर्पोट्स	जी.पी.डी.पी. प्रारूप पर आंकड़ों का प्रयोग करते हुए कार्ययोजना/ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।
17:00–17:15	चाय अवकाश				
17:15–18:00	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

दिवस – 4

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन		सामूहिक चर्चा	चार्ट पेपर एवं मार्कर	पिछले दिवस का प्रस्तुतीकरण।
9:45–11:15	सत्र 2: योजना निर्माण का पांचवां चरण: तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति	• एकत्रित आवंटित बजट के आंकलन के आधार पर विस्तृत परियोजना का निर्माण • सपोर्ट सिस्टम दिशा–निर्देश	• पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • परस्पर संवाद • प्रश्नोत्तर	• ड्राफ्ट प्लान प्रपत्रों को सेट्स • हमारी योजना, हमारा विकास पुस्तिका • पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	जी.पी.डी.पी. के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था पर समझ विकसित करना।
11:15–11:30	चाय अवकाश				

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
11:30–13:00	सत्र 3: प्रशिक्षण क्या है? अथवा क्षेत्र भ्रमण (तृतीय दिवस में चर्चा की गई पी.आर.ए. पद्धतियों का ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग करना)	• प्रशिक्षण के महत्व और आवश्यकता की समझ	• समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण • संक्षिप्तीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	• ए 8 साइज के कागज़	प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से प्राप्त सीखों को मजबूत करना।
13:00–14:00	भोजन अवकाश				
14:00–14:15	स्फूर्तिदायक खेल				
14:15–16:00	सत्र 4: वयस्क के सीखने का चक्र एवं मनोविज्ञान	• वयस्क सीख सिद्धान्त • सहभागी प्रशिक्षण के सिद्धान्त • टूल्स एवं विधियां • परिस्थितियों की समझ	• समूह चर्चा • रोल प्ले • फिश बॉल	• पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • बोर्ड एवं मार्कर	प्रतिभागियों की सहभागी प्रशिक्षण विधियों एवं सहज सीख वातावरण बनाने पर समझ विकसित करना।
16:00–16:30	सत्र 5: अच्छे प्रशिक्षक के गुण	• अच्छे प्रशिक्षक के गुणों की समझ	• सामूहिक चर्चा	• चार्ट एवं मर्कर	प्रशिक्षक की सभी पद्धतियों का उपयोग।
16:30–16:45	सत्र 6: प्रशिक्षण पद्धतियां	• प्रशिक्षण के उपयोग में लाई गई विभिन्न पद्धति की समझ	• सामूहिक चर्चा	• चार्ट एवं मर्कर	प्रशिक्षण की सभी पद्धतियों का उपयोग।
16:45–17:00	चाय अवकाश				
17:00–17:30	सत्र 7: सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया	• समुदाय में सहभागिता की समझ	• सामूहिक चर्चा	• वाईट बोर्ड एवं मार्कर	सहभागिता से निर्णय ले पाना।
17:30–17:45	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

दिवस – 5

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	विगत दिवस का पुनरावलोकन				
9:45–11:00	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जी.पी.डी.पी. निर्माण की प्रक्रियाओं का डेमो	• जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया की समझ			जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया पर समझ और उसे समझने के तरीकों का प्रभास।
11:00–11:15	चाय अवकाश				
11:15–13:00	पूर्व सत्र जारी				
13:00–14:00	भोजन अवकाश				
14:00–15:00	पूर्व सत्र जारी				
15:00–16:00	खुला सत्रः पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर चर्चा				
16:00–17:00	समापन सत्र				

प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में राज्य एवं जिला संसाधन समूह (State/District Group) का ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण (GPDP) पर प्रशिक्षण

भूमिका

हमारा संविधान भेदभाव रहित और सम्पूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य सामाजिक जरूरत है। इसी को ध्यान में रख कर संविधान में 73वां संशोधन किया गया। संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों के स्वरूप और उनकी कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव आए हैं।

विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया में जन सहभागिता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों के बढ़े हुए दायित्वों एवं धनराशि के हस्तान्तरण के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर रणनीति निर्धारित करते हुए कार्य करना होगा, जिससे संविधान के अनुच्छेद 243–जी में उल्लेखित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है।

"ग्राम पंचायतों की विकास योजना" एक सहभागी योजना होगी, जिसमें पंचायतें सभी समुदायों के साथ विशेषकर सीमान्त एवं वंचित वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर ट्रांसजेंडर तथा ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए अपने विकास के लिए योजना का निर्माण करेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना से न केवल ग्राम का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, अपितु सक्रिय जन भागीदारी से गरीब व उपेक्षितों सहित समस्त वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

ग्राम पंचायतें योजना के माध्यम से स्थानीय मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर–न्याय आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो सकेंगी। इसमें सिर्फ सरकारी सहयोग ही नहीं बल्कि सहकारी समितियां, वित्तीय स्वशासी संस्थाएं, समुदाय की निजी पूंजी और पंचायतों द्वारा स्वयं की अर्जित आय का भी योगदान लिया जा सकता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए पहले कदम के तौर पर ''केसकेड पद्धति'' आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा राज्य स्रोत समूह के सदस्यों को जिला स्रोत समूह के माध्यम से टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करना है। इस टास्क फोर्स का दायित्व, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनमें इस काम की समझ पैदा करना है।

प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा जिला स्रोत समूह (District Resource Group) का चयन किया जाएगा। इस समूह में चयनित शासकीय/गैर शासकीय व अन्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि अन्तर्विभागीय समन्वय एवं अभिसरण के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रशिक्षण के अगले चरण में जिला स्रोत समूह (Disrtict Resource Group) द्वारा टास्क फोर्स समूह को, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, को प्रशिक्षित किया जाएगा।

''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' की यह मार्गदर्शिका ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझने का एक प्रयास है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं को बारीकी से समझने तथा आत्मसात् करने के लिए वयस्क सीख के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सहभागिता आधारित कई प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया गया है।

''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' मार्गदर्शिका के उद्देश्य निम्न हैं:

- विभिन्न स्तर पर जुड़ने वाले पंचायती राज प्रशिक्षकों को ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना।
- विकास की समग्र अवधारणा के प्रति स्पष्ट समझ और दृष्टिकोण विकसित करना।
- समाज में व्याप्त संवेदनशील मुद्दों और समस्याओं को पहचानने तथा विकास के व्यापक सन्दर्भों में उनके समाधानों को प्राथमिकता पर लाने का दृष्टिकोण व कौशल विकसित करना।
- सहभागी नियोजन की प्रक्रियाओं पर स्पष्ट समझ विकसित करना एवं उन्हें दक्षतापूर्वक प्रयोग कर पाने हेतु तैयार करना।
- प्रशिक्षकों में सहजकर्ता के गुणों का विकास करना।

प्रशिक्षण आयोजित करना

प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्व नियोजन, सन्दर्भ/स्रोत व्यक्तियों की तैयारी, जिम्मेदारियों का सही बंटवारा, प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन की प्रक्रिया में अत्यन्त उपयोगी होते हैं।

प्राप्त की गयी सीख को दूसरों को सिखाना

हमारा कार्य प्रशिक्षक के रूप में सीखे या प्राप्त किए गए ज्ञान एवं कौशल को दूसरों को सिखाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीखने वालों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्राप्त किए गए नए ज्ञान और कौशलों को अपने कार्यों पर लागू करें, जिससे कार्य व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आए। इस तरह वे अपने व्यक्तिगत एवं संस्थागत विकास तथा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। प्रशिक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं:

1. प्रशिक्षण से पूर्व
2. प्रशिक्षण के दौरान
3. प्रशिक्षण के पश्चात्

1. प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी

प्रशिक्षण से पूर्व और सत्र से पहले की तैयारी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पहले से कुछ मानकर न चलें और यह सुनिश्चित करें कि आपने खुद व्यवस्था देख ली है। कुछ महत्वपूर्ण तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी।

(अ) जांच सूची

- प्रतिभागियों की सूची
- प्रशिक्षण सामग्री (पेन, पेंसिल, टेप, दो–तरफा टेप, मार्कर, फ्लिप चार्ट, कटर, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्कर, आदि)।
- समय सारणी व संचार सामग्री (प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक, पोस्टर आदि) की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें। सभी उपकरण उपलब्ध हैं तथा ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच करें। समय सारणी को अगर आप दीवार पर लगाना चाहें तो लगा दें।
- संबंधित सत्रों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग करें।

(ब) पंजीकरण

यह पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि पंजीकरण के लिए एक निश्चित फॉर्म हो। इसको भरवाने का काम प्रतिभागियों का पंजीकरण कर रहे व्यक्ति को सौंप दें।

(स) नाम पट्टिकाएं

प्रतिभागियों को नाम पट्टिकाएं (नेम टैग) दें, जिसमें वे अपने नाम लिखें एवं गले में टांग लें। यह भी सुनिश्चित करें कि सहभागी अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें, ताकि वे सभी को साफ नजर आए।

(द) संदर्भ साहित्य/सामग्री

अगर प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों को किट/बैग दिया जाना हो तो उसे ऐसे समय पर दिया जाना चाहिए, जिससे वे प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, पृष्ठभूमि और सन्दर्भ सामग्री से अवगत हो जाएं।

(य) प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था

- यह देख लें कि प्रशिक्षण स्थल में सत्र की गतिविधियां कराने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
- प्रतिभागियों को अर्द्ध गोलाकार या छोटे समूहों में बैठने को कहें।
- प्रशिक्षक दल का परिचय दें तथा प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें।
- चाय तथा भोजन की व्यवस्था की जांच कर लें तथा निर्धारित समय का पता करके प्रतिभागियों के साथ साझा करें।
- प्रशिक्षण स्थल के खुले रहने के समय की जांच कर लें ताकि आप अपना प्रशिक्षण निर्धारित समय के अनुसार संचालित कर सकें।

2. प्रशिक्षण के दौरान

- स्थानीय तथा सरल भाषा का प्रयोग करें।
- सत्र को कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित करना।
- सत्र के सीखने के उद्देश्यों तथा अपेक्षित परिणामों पर प्रकाश डालते हुए प्रारंभ करना।
- सत्र को सहभागितापूर्ण तथा अधिकाधिक संवादात्मक बनाना।
- निर्धारित किए गए समय के प्रति सचेत रहें तथा सत्रों को उसी अवधि में पूर्ण करने का प्रयास करना।
- प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षक दल में उपस्थित सहयोगियों का सहयोग सही समय पर तथा उपयुक्त तरीके से लिया जाना चाहिए।
- सत्रों में जल्द–बाजी न करें, नया विषय होने पर आवश्यकतानुसार बोलने की गति नियंत्रित करें अथवा दोहराएं।

- ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका उत्तर केवल हां या न में हो।
- सभी प्रतिभागियों के उत्तरों को धन्यवाद देकर या सिर हिला कर स्वीकार करना।
- यह सुनिश्चित करें कि एक समय में केवल एक ही प्रतिभागी बोले अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलने का क्रम निश्चित करें (उदाहरण के लिए यह कहें कि पहले शांति की बात सुन लें, इसके बाद रेखा की बात सुनेंगे)। अगर प्रतिभागी को यह पता रहेगा कि उसको बोलने का मौका मिलेगा तो वह बीच में टोका–टाकी नहीं करेगा।
- अगर सत्र में कोई अभ्यास, शैक्षणिक एवं स्फूर्तिदायक खेल अथवा रोल प्ले है तो यह सुनिश्चित करें कि इसमें समय का ध्यान रखा जाए तथा स्पष्ट निर्देश और प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता हो।
- सभी प्रतिभागियों विशेषकर महिला प्रतिभागियों की आवश्यकताओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें तथा उन्हें सम्मान दें।
- जब प्रतिभागी उदासीन दिखें तथा विषय पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हों तो कोई प्रेरक तथा उत्साहवर्द्धक गतिविधि/खेल करवाएं।
- चाय तथा भोजन के लिए उचित अवकाश दें।
- प्रतिभागियों की समझ सुनिश्चित करें।
- प्रतिभागियों ने विषय–वस्तु को ठीक से समझा है या नहीं।
- प्रतिभागियों से, उनकी समझ जांचने तथा सचेत रखने के लिए ऐसे प्रश्न पूछें जो क्या, क्यों और कैसे से प्रारम्भ होते हैं तथा उनका उत्तर संक्षेप में नहीं दिया जा सकता हो।
- ऐसे प्रतिभागियों को पहचानने की कोशिश करें जिन्हें बोलने और समझने में कठिनाई हो रही है तथा उन्हें प्रोत्साहित करें।
- प्रमुख बिन्दुओं को याद दिलाने के लिए सत्र के अंत में पुनरावृत्ति करें।

3. प्रशिक्षण के पश्चात्

- प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र के समाप्त होने से पहले प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में फीडबैक लें। यह फीडबैक प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण कौशल के बारे में होना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। अगर प्रशिक्षकों का दल है तो उन्हें आपस में यह चर्चा करनी चाहिए कि क्या अच्छा रहा तथा कहां सुधार की आवश्यकता है और प्रशिक्षण में दी गई सीख का फॉलोअप कैसे किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण पश्चात् आंकलन प्रपत्रों की जांच कर लें।
- प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण भी मानक प्रपत्रों पर कर लें।

प्रशिक्षकों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिन्दु

- हर सत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और चीज़ों की व्यवस्था पहले से कर लें।
- वयस्कों के प्रशिक्षण में बैठक व्यवस्था का बड़ा महत्व है। प्रतिभागी बैठने की व्यवस्था पर ध्यान दें। यह व्यवस्था अनौपचारिक और आरामदायक हो।
- बेहतर है कि बैठक व्यवस्था अर्ध चंद्राकार हो। यह स्कूल या कॉलेज की परम्परागत बैठक व्यवस्था से अलग होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान कराए जाने वाले समूह कार्यों के लिए भी जगह सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए।
- माहौल को अनौपचारिक बनाने के लिए बेहतर है कि प्रशिक्षकों तथा प्रतिभागियों के आगे टेबल न रखी जाए।
- यदि हॉल में टेबल हैं तो उन्हें पीछे दीवार के सहारे लगा दें, जिससे वे सामान रखने तथा कभी लिखने के लिए उपयोग की जा सकें।
- प्रशिक्षण से पहले एक बार ध्यान से मार्गदर्शिका को पढ़ लें, जिससे हर सत्र के उद्देश्यों तथा गतिविधियों और उससे निकलने वाली सीखों पर अपनी समझ बना सकें।
- यदि एक सत्र में एक ही उद्देश्य/सीख के लिए एक से ज्यादा गतिविधियां दी गई हैं तो आप जिस गतिविधि को करना जरूरी समझते हैं उसका चयन पहले कर लें या आवश्यकतानुसार गतिविधियों में कुछ बदलाव करके सत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
- गतिविधियों को ध्यान से पढ़ कर आप अपने अनुभव के अनुसार उचित सीख निकालने में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- हर गतिविधि को समाप्त करने से पहले उससे निकली सीखों को जरूर दोहराएं तथा उस पर सभी प्रतिभागियों की सहमति भी लेते जाएं।
- जहां प्रश्नों के माध्यम से बातचीत को आगे बढ़ाना है, वहां आपकी मदद के लिए प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सम्भावित जवाबों को भी एक–एक करके लिखा गया है। जरूरी नहीं है कि जवाब ऐसे ही आएं या इसी रूप में आएं। कुछ सत्रों में प्रश्नों के ये सम्भावित जवाब इसलिए लिखे गए हैं ताकि इनसे आपको चर्चा आगे बढ़ाने का उचित मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला बनाने की कोशिश की गई है जिससे बातचीत सरल बनी रहे और लोग अपने अनुभव साझा करते रहें तथा सत्र एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता रहे। अगर आपको लगता है कि प्रश्न छोड़े जा सकते हैं या उनका क्रम बदला जा सकता है या उनका स्वरूप बदला जाना चाहिए तो आप इसके लिए स्वतन्त्र हैं।

हम यह मानने को तैयार नहीं है कि न्याय का बैंक दिवालिया है। हम यह विश्वास करने से इंकार करते है कि इस देश में अवसरों के महान मूल्यों के दौर में अपर्याप्त फंड है। लिहाजा हम यह चेक भुनाने आये है, एक ऐसा चेक जो हमारी आजादी और न्याय की सुरक्षा के कोष की संवृद्धि करेगा।

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

गरीबी एक दुर्घटना नहीं है, यह आदमी ने बनाया है और इसे मानवीय क्रियाओं से बदला जा सकता है। एक राष्ट्र को इससे आंका जाना चाहिए कि वह कैसे अपने कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है न कि उसके ऊपरी तबके के नागरिकों के साथ व्यवहार द्वारा।

नेल्सन मंडेला

एक विकसित देश वह नहीं है जहां गरीबों के पास कार हो बल्कि ऐसा देश जहां अमीर व्यक्ति भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता हो।

गुस्तावो पेट्रो

दिवस - 1

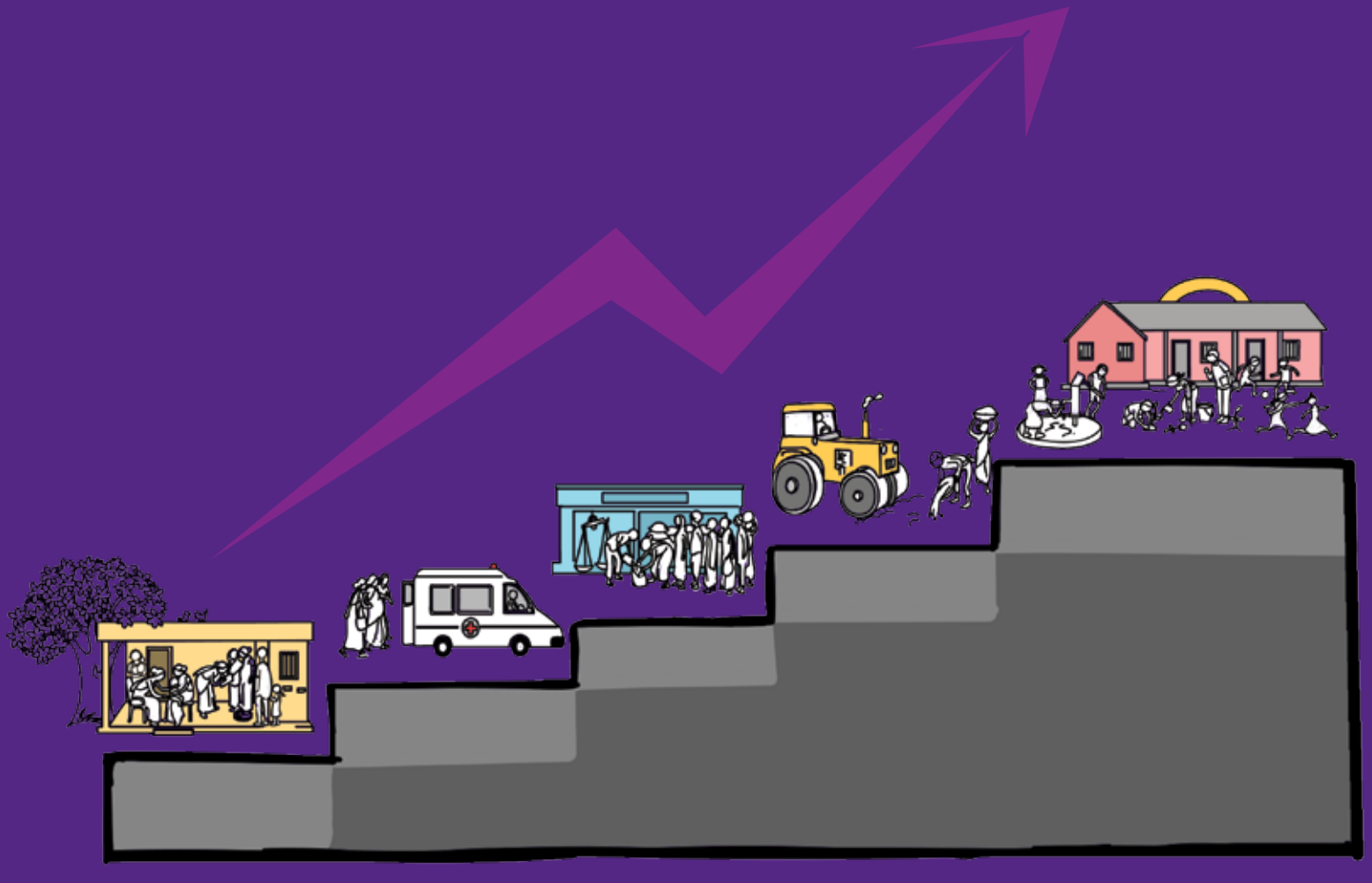

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:00–9:30	आरम्भिक गतिविधि	• पंजीकरण		• पंजीकरण प्रारूप	प्रतिभागियों का पंजीकरण।
9:30–10:00	सत्र 1: आपसी परिचय	• स्वागत एवं परिचय • प्रशिक्षण के उद्देश्य	• वैयक्तिक एवं सामूहिक अभ्यास प्रस्तुतीकरण	• चार्ट, मार्कर, प्री–टेस्ट प्रपत्र	प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी सहभागी माहौल तैयार करना।
10:00–10:30	सत्र 2: प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा	• प्रशिक्षण के नियम बनाना।	• सामूहिक अभ्यास प्रस्तुतीकरण	• चार्ट, मार्कर	प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा।
10:30–10:45	चाय अवकाश				
10:45–11:45	सत्र 3: पंचायती राज व्यवस्था	• उदभव • 73वां संशोधन • पंचायत समितियाँ	• परस्पर संवाद एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	• पंचायती राज व्यवस्था नोट • पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ • चार्ट पेपर एवं मार्कर	पंचायती राज व्यवस्था पर जानकारी एक जीपीडीपी में भूमिका स्पष्ट करना।
11:45–13:30	सत्र 4: विकास तथा लोकतंत्र को समझना	• सम्मानपूर्ण जीवन • मानव विकास पहल • समावेशीकरण	• पावर वॉक • समूह अभ्यास • प्रस्तुतीकरण	• जमीन पर निशान लगाने के लिए चॉक • 8 समूहों की पर्ची	प्रतिभागियों में विकास दृष्टिकोण के आधार पर विकसित करना एवं जी.पी.डी.पी. प्रक्रियाओं से जोड़ना।
13:30–14:30	भोजन अवकाश				
14:30–14:45	स्फूर्तिदायक खेल				प्रशिक्षण के लिए सहभागितापूर्ण माहौल तैयार करना।
14:45–16:45	सत्र 5: ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण : एक अवसर	• तुलनात्मक सामाजिक एवं आर्थिक विकास संकेतकों की स्थिति • राज्य एवं ग्राम पंचायत पर उपलब्ध संसाधनों की स्थिति • विकास स्थिति एवं संसाधनों का समुचित प्रयोग	• उत्तर प्रदेश विकास डैशबोर्ड एवं संसाधन पाई चार्ट पर प्रस्तुतीकरण • समूह अभ्यास जी.पी.डी.पी. के माध्यम से	• वी.आई.पी.पी. कार्ड, चार्ट पेपर • मार्कर पेन • 8 विषयों के प्रपत्र के सेट • उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	जी.पी.डी.पी. विकास एवं परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम किस प्रकार से है, इस पर समझ बनेगी।
16:45–17:00	चाय अवकाश				
17:00–17:15	फीडबैक		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

सत्र 1

आपसी परिचय

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सभी प्रतिभागी एक–दूसरे से परिचित हो जाएंगे।
- एक दूसरे की अच्छाइयों/खूबियों/गुणों को पहचान पाएंगे।
- प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं की जानकारी मिल पाएगी।

गतिविधि 1: आपसी परिचय

समय

30 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

चार्ट, मार्कर

नोट: इस सत्र के उद्देश्य के लिए एक गतिविधि प्रस्तावित हैं।

- सबसे पहले सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण में स्वागत करें।
- उन्हें उनकी सुविधानुसार बैठने के लिए कहें।
- कोशिश करें कि सभी प्रतिभागी इस प्रकार बैठें कि अंग्रेजी के अक्षर 'U' या आधे चांद का आकार बने।

प्रतिभागियों से कहें कि

- अब हम सब आपस में एक–दूसरे से जान पहचान करेंगे।
- सब लोग अपना नाम बताएंगे, लेकिन अपने उपनाम की बजाय वे एक नया शब्द जोड़ कर अपना नाम बताएंगे। यह नया शब्द किसी गाड़ी (कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/साइकिल) का कोई पार्ट/भाग का नाम होगा। जैसे किसी प्रतिभागी का नाम "शांति" है तो वह गाड़ी के एक पार्ट का नाम जैसे 'स्टेयरिंग' जोड़ कर बोलेगी – शांति स्टेयरिंग।

- हर प्रतिभागी यह भी बताएगा कि उसने अपने किस गुण के कारण अपने नाम के साथ गाड़ी के उस पार्ट का नाम जोड़ा है, जैसे कि शान्ति ने 'स्टेयरिंग' जोड़ा है और वह अपने में यह गुण देखती है कि जिस प्रकार स्टेयरिंग से गाड़ी को सही दिशा में चलाया जाता है, उसी प्रकार वह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स समूह तक इस प्रशिक्षण को सही दिशा में ले जा सकती है।
- सभी प्रतिभागियों को इसी प्रकार उनका परिचय देने और एक गुण बताने के लिए प्रेरित करें।
- गाड़ी के किसी पार्ट को अपनी खूबी से जोड़ने की कोशिश में उनकी सहायता करें।
- जब सभी प्रतिभागी अपना परिचय और गुण बता दें तो सबसे पूछें किः
  - → प्रशिक्षण से उनकी क्या–क्या उम्मीदें हैं या वे इस प्रशिक्षण से क्या–क्या सीखना चाहते हैं?
  - → यह भी संभव है कि प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हों।
- अन्त में सभी प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए यह बताएं कि किसी भी एक प्रशिक्षण में सारे विषयों को समाहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए विषय–वस्तु निर्धारित होती है तथा यहां पर आपकी अपेक्षाओं को जानने का तात्पर्य यह है कि निश्चित विषय से संबंधित सहायक विषय–वस्तु को प्रशिक्षण में समाहित किया जा सके।
- प्रतिभागियों की उम्मीदों को चार्ट पेपर पर नोट करें और उन्हें दीवार पर चिपका दें।
- प्रशिक्षण के अन्त में अपेक्षाओं की सूची के साथ प्रशिक्षण के दौरान चर्चा किए गए विषयों से प्रतिभागियों से पुनः चर्चा करते हुए उनकी अपेक्षाओं की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- इस प्रशिक्षण के दौरान हम लगभग हर संभव विषय को समझने/सीखने के साथ–साथ उस विषय को सीखने/सिखाने की पद्धतियों के तरीकों के इस्तेमाल को भी सीखेंगे।
- सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता की उम्मीद व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद देकर अगली गतिविधि को शुरू करें।

सत्र 2

प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सभी प्रतिभागी प्रशिक्षक के नेतृत्व में सत्रों के सुगमतापूर्वक संचालन नियमों का निर्धारण कर पाएंगे।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में कामों का बंटवारा करवा पाएंगे।

गतिविधि 1: काम का बंटवारा

समय

30 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

चार्ट पेपर और मार्कर।

प्रक्रिया

प्रतिभागियों से कहें कि आइए कुछ काल्पनिक सवाल–जवाब करें।

प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न पूछें

प्रश्न 1: अगर सूरज रोज़ अलग–अलग समय पर निकलने लगे तो क्या होगा?

प्रश्न 2: अगर दिन और रात अपनी–अपनी मर्जी से होने लगें तो क्या होगा?

प्रतिभागियों के जो भी जवाब आते हैं उनसे उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करें कि अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी रोज़ की जिन्दगी अस्त–व्यस्त हो जाएगी। जिस प्रकार कुदरत के नियमों में बंध कर सूरज–चांद समय पर निकलते हैं। क्या उसी प्रकार से हमें भी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए? सबकी सहमति लें।

प्रतिभागियों से पूछें कि आप कौन सी प्रक्रिया पसंद करेंगे

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरे नियम हम (प्रशिक्षक) बनाएं या आप?
- नियमों का पालन हम लोग (प्रशिक्षक) करवाएं या आप लोग?
- जो नियम एक बार बन जाएं, उसका अनुपालन करने/कराने की जिम्मेदारी सभी की हो?

सभी प्रशिक्षक को इस बात पर सहमत करें कि यदि प्रतिभागी खुद नियम बनाएंगे और खुद ही पालन करेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। नियम भंग होने की अवस्था में प्रतिभागी स्वयं यह तय करें कि शेष प्रतिभागियों के लिए वे किस प्रकार की गतिविधि करेंगे। सबकी सहमति के बाद उनसे निम्नलिखित मुद्दों पर नियम बनवाएं:

- प्रतिदिन कार्यक्रम शुरू होने और खत्म होने का समय।
- चाय/भोजन का समय।
- मोबाइल बंद रखना।
- आपस में गैर जरूरी बातें न करना।
- किसी की बात न काटना।
- बोलने वाले प्रशिक्षु की बातों को ध्यान से सुनना।
- दूसरे की बात/विचार से सहमत न होने पर भी उसके विचारों का आदर करना।
- अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो बेझिझक पूछने के लिए हाथ उठा कर बोलने की अनुमति लेना और बात समझना।
- यह ध्यान रखना कि हम सब सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं, और यहां कोई छोटा–बड़ा नहीं है इसलिए एक–दूसरे से अपने अनुभव कहने में संकोच नहीं करना है तथा एक–दूसरे के अनुभवों से सीखना है।

सारे नियम बन जाने पर प्रतिभागियों से कहें कि

- ये नियम आपने बनाए हैं। ये आपके अपने हैं, इसलिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी का सहयोग जरुरी है।
- इन नियमों के पालन न करने के नुकसानों को भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।
- निर्धारित नियमों का पालन न करने पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां जैसे कि देर से आने पर गाना सुनाना या देर से आने वाले का तालियों से स्वागत करना आदि।
- प्रशिक्षण में रोचकता तभी आएगी जब आप में से कुछ लोग हमारे साथ कुछ कार्यों/गतिविधियों को करने में सहयोग करें।
- एक कार्ड शीट पर नियमों और तय की गई गतिविधियों की सूची बनाकर हॉल में दीवार पर चिपका दें, जैसे कि प्रतिदिन के लिए निम्नलिखित प्रकार की समितियों का गठन कर सकते हैं:

व्यक्ति/कमेटी	कार्य
अनुशासन कमेटी	• बनाए गए सभी नियमों का पालन करना।
व्यवस्था कमेटी	• ट्रेनिंग हॉल की व्यवस्था। • भोजन व्यवस्था। • प्रतिभागियों के रुकने के स्थल की व्यवस्था।
रिपोर्टिंग कमेटी	• प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना। • कराई गई सभी गतिविधियों/ग्रुप कार्यों का हॉल में उचित प्रदर्शन तथा दस्तावेजीकरण।

कोशिश करें कि सभी कमेटियों में 2 से 3 प्रतिभागी जुड़ें। सब की जिम्मेदारियां उन्हें बताकर सत्र का समापन करें।

सत्र 3

पंचायती राज व्यवस्था

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- पंचायतों की अवधारणा एवं उनके विकास को बेहतर समझ पाएंगे।
- पंचायतों के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित विभिन्न समितियों की भूमिका एवं सिफारिश को समझ कर भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को समझा पाएंगे।
- संविधान में 73वें संशोधन के महत्व को समझ कर ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा के साथ जोड़ पाएंगे।
- ग्राम पंचायत में गठित विभिन्न स्थायी समितियों के गठन, कार्य एवं दायित्व को समझ कर प्रतिभागियों को समझा पाएंगे।

गतिविधि 1: पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण

समय

60 मिनट

प्रशिक्षण की विधि

परस्पर संवाद एवं पावर पॉइंट/चार्ट प्रस्तुतीकरण।

प्रशिक्षण सामग्री

पंचायती राज व्यवस्था नोट, चार्ट पेपर एवं मार्कर

प्रक्रिया

प्रतिभागियों को पंचायत के उद्भव के बारे में जानकारियां दें तथा उस पर चर्चा करें।

पंचायत क्या है?

- सामान्य बोलचाल की भाषा में 'पंचायत' का आशय पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह से है।
- पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रहकर निदान करने का प्रयास करती है।
- भारत में ग्राम पंचायतों का लम्बा इतिहास है। पंचायतों ने सामाजिक संस्था से, राजकीय मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई स्थानीय स्वशासन की औपचारिक इकाई तक का सफर तय किया है।

- ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायत संबंधी अनेक विधेयक पारित हुए। वर्ष 1925 तक उत्तर प्रदेश सहित आठ प्रदेशों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। वर्ष 1926 तक छः देशी रियासतों द्व ारा ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए।

- अलग–अलग समय अंतरालों में इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं। कभी जातीय पंचायत, कभी सामाजिक मामलों में मध्यस्थता करने वाली पंचायत अथवा कभी ग्रामों की स्वराज्य में अपना योगदान करने वाली संस्था के रूप में इसकी पहचान रही है।
- इसका गठन औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर किसी प्रयोजन के लिए स्थायी अथवा अस्थाई रूप से किया जाता है।
- अब पंचायतें ग्रामीण प्रशासन एवं समग्र ग्रामीण विकास की पर्याय बनने की ओर उन्मुख हैं। अब पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में संबोधित किया जाने लगा है, अर्थात् स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति/इकाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसी इकाई है, जिसके माध्यम से स्थाई स्वराज्य शासन (स्थानीय लोगों का अपना शासन) चलाया जाता है। *(पृष्ठ संख्या 131 पर संलग्नक 1 को रेफर करें)*

स्वाधीन भारत में पंचायतों का विकास

- स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खण्डों की स्थापना के साथ प्रारम्भ किया गया।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लक्ष्य के साथ इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु एक प्रयास था।

- कृषि उत्पादन में मात्रा और गुणात्मक वृद्धि करना।
- ग्रामीण बेरोजगारी दूर करना।
- यातायात और संचार सुविधाओं में सुधार हेतु पक्की सड़कों का निर्माण।
- प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास।
- लघु उद्योगों तथा हैंडीक्राफ्ट्स का विकास।
- इस कार्यक्रम में भी टॉप डाउन अप्रोच के अनुसार सभी निर्णय व निर्देश केन्द्रीय स्तर पर लिए गए।
- स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा और निर्णयों में ग्रामीणों की सहभागिता न होने के कारण लोगों ने इस कार्यक्रम में रूचि नहीं ली और यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो सका।
- पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें क्रमशः बलवंतराय मेहता समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, जी.के.वी. राव समिति एवं सिंधवी समिति मुख्य रूप से शामिल हैं। इन समितियों के द्वारा समय–समय पर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेको

सिफारिशें की गईं। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति एवं पी.के. शुंगन समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन हेतु पहल की, जिसके फलस्वरूप 73वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग–9 में पंचायत नाम से अनुच्छेद 243–क से लेकर ण तक 16 अनुच्छेद जोड़ें। यह संशोधन 22, 23 दिसम्बर, 1992 में क्रमशः लोकसभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। सन् 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसको बताने के पश्चात् प्रतिभागियों को संविधान के 73वें संशोधन के बारे में जानकारियां दें तथा उस पर चर्चा करें जो निम्नवत् हैं:

73वां संविधान संशोधन

संविधान के इस ऐतिहासिक संशोधन को समझने से पहले इसकी आवश्यकता को समझना जरूरी होगा। प्रतिभागियों से खुली चर्चा करें और पूछें कि:

- क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव के पहले प्रधान, जो आपको याद हैं वे कौन थे?
- क्या आपने मुंशी प्रेमचंद के "पंच परमेश्वर" पढ़ी है?
- आपमें से कितने लोगों ने "विरासत" फिल्म देखी है?

प्रशिक्षक आगे पूछें कि इन तीनों सवाल में क्या समानताएं हैं?

क्या आपने इन सवालों में कोई समानता या विसंगति देखी है?

प्रतिभागियों के जवाब सुनाने के बाद अपने वक्तव्य में कहें कि:

- ये सारे लोग पुरुष थे?
- वे किसी विशेष परिवार या जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते थे?
- ग्राम का नेतृत्व हमेश प्रभुता संपन्न वर्ग के अधीन हुआ करता था?
- नेतृत्व का क्षेत्र महिलाओं/वंचित वर्गों की भागीदारी से अछूता था?

73वां संविधान संशोधन पंचायतों के विकास में मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इस संशोधन के साथ पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरित करने की पहल की। इस संशोधन के पश्चात् पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बल मिला। साथ ही सबको, विशेषकर महिलाओं एवं वंचित वर्गों को पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया और उनके विकास में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संशोधन के पहले चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा लोकतांत्रिक शासन राज्य एवं केन्द्र स्तर तक ही सीमित था।

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत किए गए प्रावधान

- ग्राम स्तर पर **ग्राम सभा का गठन** अनिवार्य होगा। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। इस बात का निर्देश है कि राज्य के विधानमण्डल द्वारा कानून बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

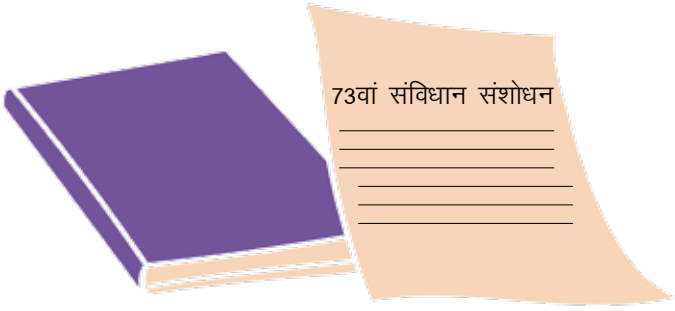

- नई पंचायती राज संस्थाएं निम्न तीन स्तरों पर गठित की गई है:
  - → ग्राम पंचायत स्तर पर **ग्राम पंचायत**
  - → विकास खण्ड के स्तर पर **क्षेत्र पंचायत**
  - → जिले स्तर पर **जिला पंचायत**
- पंचायत का कार्यकाल **पांच वर्ष** का होगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर **चुनाव अनिवार्य** होगा। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष तथा सुचारू–रूप से संचालित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था **राज्य निर्वाचन आयोग** का प्रावधान किया गया है।
- सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से होगा। जनसंख्या के आधार पर समान अनुपात के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र घोषित होगा।
- सभी स्तरों पर **अनुसूचित जाति एवं जनजाति** के लिए उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट **आरक्षित** होगी।
- **महिलाओं** के लिए भी सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित होगा। वह व्यवस्था प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के पद हेतु भी होगी।
- **पिछड़े वर्गों** के आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है।
- संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु **वित्त आयोग** का गठन तथा **ऑडिट** की समुचित व्यवस्था की गई।

- ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी से योजना बनाने के लिए **जिला योजना समिति** के गठन का प्रावधान इसी क्रम में 74वें संविधान संशोधन में किया गया है।
- 11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के **29 विभागों** के कार्य पंचायतों के सुपुर्द किए गए।
- सभी स्तर की पंचायतों के चुनाव में भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की एक निश्चित आयु सीमा 21 वर्ष का निर्धारण।
- इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन्न स्वायत्त शासन की **संस्था** के रूप में विकसित किया जा सके। **आर्थिक विकास** और **सामाजिक न्याय** इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निश्चित किया गया।

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत किए गए विवेकाधीन प्रावधान

- पंचायतों व पदों का नामकरण
- पंचायतों का आकार एवं क्षेत्रफल
- ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आकार
- ग्राम पंचायत में प्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया
- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण एवं आरक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण
- पंचायतों को दी जाने वाली शक्तियां व अधिकार जिसमें वह स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित हो सकें।

- पंचायतों द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों आदि का निर्णय।
- पंचायतों के लेखों के रख–रखाव व उसके ऑडिट की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रावधान।
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से संविधान में उल्लेखित 11वीं सूची में निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में योजनाएं तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना।

प्रतिभागियों को पंचायत समितियों के बारे में जानकारियां दें तथा उस पर चर्चा करें

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो क्रमशः निम्नवत् है:

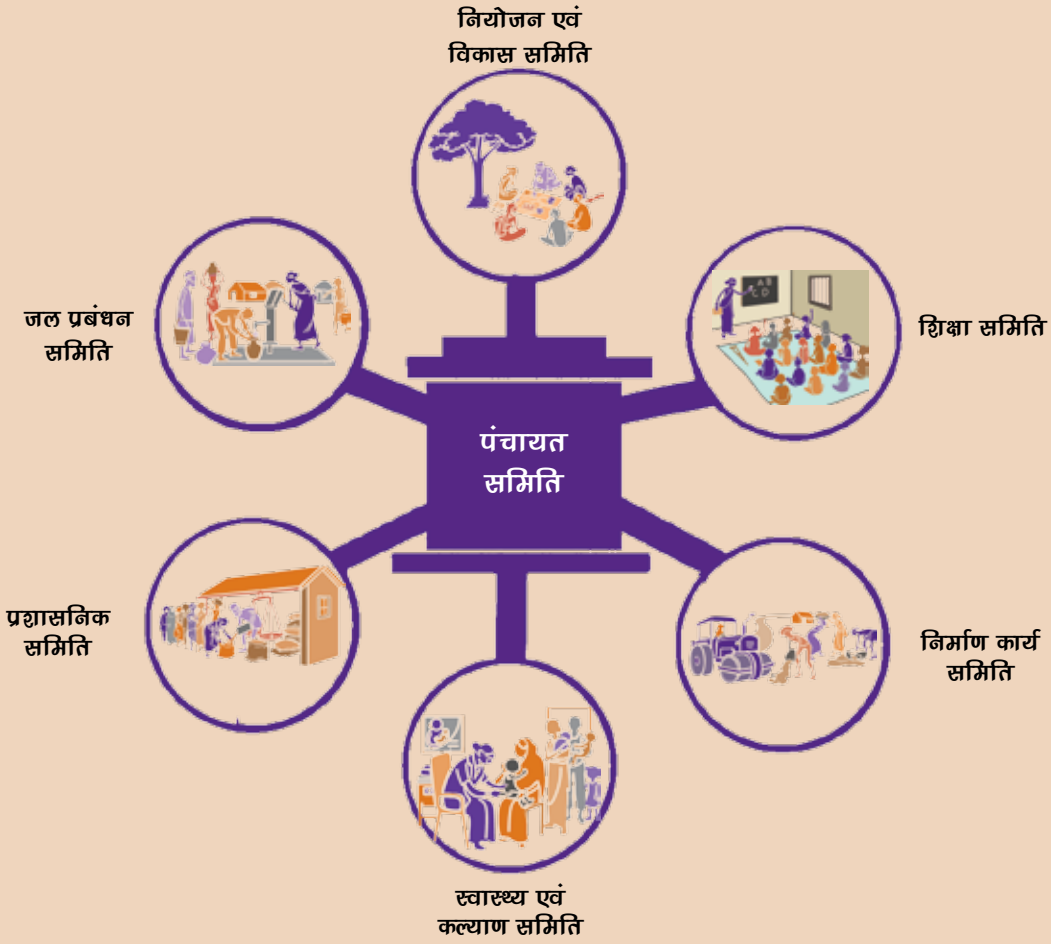

उपरोक्त समितियों को ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार अपने सभी या किन्हीं कार्यों को करने का दायित्व सौंप सकती है।

नियोजन एवं विकास समिति के कार्य

- ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना।
- कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन।

समिति का गठन

- प्रधान सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

शिक्षा समिति के कार्य

- प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित कार्य।

समिति का गठन

- प्रधान– सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

निर्माण कार्य समिति के कार्य

- सभी निर्माण कार्य कराना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के कार्य

- चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण।

समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

प्रशासनिक समिति के कार्य

- कर्मियों संबंधी समस्त विषय।
- राशन की दुकान संबंधी कार्य।

समिति का गठन

- प्रधान–सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

जल प्रबंधन समिति के कार्य

- राजकीय नलकूपों का संचालन।
- पेय जल संबंधी कार्य।

समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति।
- छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
- विशेष आमंत्रित अधिकतम 7 ग्रामवासी।

ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य समिति

ग्राम पंचायतें एवं भूमि प्रबन्धक समिति

- ''भूमि प्रबन्धक समिति'' पंचायत स्तर पर गठित एक उप–समिति है, जो ग्राम–समाज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के समुचित प्रबन्धन एवं देखभाल का दायित्व निभाती है।
- यह समिति भूमि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसा तहसील कार्यालय को प्रदान करती है। भूमि प्रबन्धक समिति का स्वरूप निम्नवत् हैः
  - अध्यक्ष – संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम–प्रधान
  - सदस्य सचिव – लेखपाल
  - सदस्य – संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड मेम्बर

भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य एवं दायित्व

- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज की समस्त भूमि के समुचित रख–रखाव, संरक्षण, देखरेख, प्रबन्धन एवं नियंत्रण का कार्य करती है। इन समस्त जिम्मेदारियों के सम्पादन हेतु निश्चित समय–अन्तराल पर 'भूमि प्रबन्धक समिति' की बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में भूमि प्रबन्धन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुशंसाएं प्रदान की जाती हैं।

भूमि प्रबन्धक समिति' के मुख्य दायित्व निम्नवत् हैं

- ग्राम समाज की भूमि का बन्दोबस्तीकरण तथा चकबन्दी की प्रक्रिया में सहयोग।
- जंगलों एवं वनवृक्षों का विकास, संरक्षण एवं रख–रखाव।
- आबादी–भूमि का विकास, रख–रखाव तथा इसके अन्तर्गत आवागमन एवं संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- हाट, बाजार और मेला इत्यादि गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना एवं आय–व्यय का लेखा–जोखा।
- मत्स्य–पालन हेतु जलाशय का समुचित प्रबंधन एवं विकास।
- ग्राम समाज की भूमि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की पैरवी।
- ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006'' अन्तर्गत प्रदान अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) की संरचना, उद्देश्य, कार्य एवं दायित्व

प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) का गठन किया गया है। वी.एच.एस.एन.सी. की स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने निगरानी करने और योजना बनाने की मुख्य जिम्मेदारी होती है और यह समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए एक मंच की भूमिका निभाती है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) के गठन की प्रक्रिया

- आशा वी.एच.एस.एन.सी. की संरचना और इसकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए गांव में बैठक आयोजित करेगी।
- ग्राम पंचायत सदस्य, आशा, और ए.एन.एम. ग्राम स्तर पर समुदाय के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का चयन करेगी।
- इस सूची का अनुमोदन अगली ग्राम सभा की बैठक में अन्य सुझावों को शामिल करने के बाद किया जायेगा।
- इस समिति का कार्यकाल उस ग्राम पंचायत के अनुरूप होगा, इसलिए एक नई पंचायत निर्वाचित होने के बाद वी.एच.एस.एन.सी. का पुनर्गठन किया जाता है।
- जिन वी.एच.एस.एन.सी. सदस्यों ने सक्रिय व प्रभावी भूमिका निभाई है उनका दोबारा चुनाव और जो सक्रिय नहीं रहे उन्हें छोड़ने पर कोई रोक नहीं है।
- वी.एच.एस.एन.सी. दो तिहाई बहुमत के साथ गैर सक्रिय सदस्यों को बदलने और मापदण्डों के अनुसार नये सदस्यों का चयन कर सकती है।

उपरोक्त चर्चा के पश्चात् प्रतिभागियों को बताएं कि

- उपरोक्त सभी समितियां काफी महत्वपूर्ण हैं।
- पंचायत के सभी विकास कार्य को इन्हीं के माध्यम से सम्पन्न कराए जाने का प्रावधान है।
- पंचायत में एक प्रधान (मंत्री) के अलावा, अन्य विभागों के अलग–अलग प्रमुख (मंत्री) होते हैं जिसका गठन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्गों की भागीदारी इसमें हो सके।
- अनुभव बताता है कि इन समितियों का गठन तो हो जाता है लेकिन यह अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसके तीन कारण देखने को मिलते हैं।
- पहला समितियों के सदस्यों को पता नहीं होता कि वह किस समिति के सदस्य हैं।
- दूसरा समितियों में सदस्यों को अपनी भूमिका की स्पष्टता नहीं है।
- तीसरा जिन जगह इनका गठन भी हुआ और भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता भी थी, लेकिन वो व्यवहारिक स्वरूप नहीं ले सकीं।

इसलिए ग्राम पंचायत के सही विकास के लिए सर्वप्रथम इन समितियों को सक्रिय करना होगा। वे अपनी भूमिकाओं को समझें और अधिकारों का सही ढंग से उपयोग करें, इसके लिए उनकी तैयारी करानी होगी।

सत्र 4

विकास तथा लोकतंत्र को समझना

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक मूल्य आधारित सामाजिक व्यवस्था भी है तथा इसका आशय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से भी है।
- किस प्रकार वंचितों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हित में भागीदारी को परिभाषित करता है।
- किस प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया में गांव के वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित करता है।

गतिविधि 1: पावर वॉक

समय

105 मिनट

प्रशिक्षण की विधि

सहभागी चर्चा, पावर वॉक गतिविधि

प्रशिक्षण सामग्री

जमीन पर निशान लगाने के लिए चॉक, 8 समूहों के पर्ची जिन पर निम्न विवरण लिखा हो:

- गरीब घर की दिव्यांग लड़की (लड़की/14 वर्ष)।
- प्राथमिक पाठशाला का लड़का (दलित/12 वर्ष)।
- अनाथ लड़की (13 वर्ष)।
- सफाई कर्मचारी (पुरुष 40 वर्ष)।
- सीमान्त कृषक परिवार की महिला (अशिक्षित 40 वर्ष)।
- बैंक मैनेजर (पुरुष, उच्च जाति)
- मोची (पुरुष–मुस्लिम)
- अकेले पूरे घर की आर्थिक जरूरतें पूरी करने वाली महिला (30 वर्षीय पिछड़ी जाति)

प्रक्रिया

प्रतिभागियों से पूछें कि:

- आप में से कितने लोगों को पाठशाला में पढ़ी लोकतंत्र की परिभाषा याद है।
- 2–3 प्रतिभागियों को अपने विचार रखने को कहें।

प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सारे सही उत्तर को दोहराएं और साथ ही छूटी हुई बातों को जोड़कर समझाएं जैसे कि:

- लोगों का शासन
- लोगों के लिए शासन
- लोगों के द्वारा शासन
- जहां सबकी सहभागिता हो
- चुनाव की प्रक्रिया इत्यादि

चर्चा करें कि क्या प्रतिभागी लोकतंत्र को केवल एक राजनैतिक व्यवस्था के रूप में ही देखते हैं?

प्रतिभागियों को इस बात पर सहमत करें कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, अपितु मानवीय मूल्य और सामाजिक व्यवस्था भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जैसे कि सहभागिता, निर्णय में हिस्सेदारी, समान अवसर, बराबरी, न्याय, इत्यादि।

लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार

ये परिभाषा बनाने में सभी का आभार व्यक्त करते हुए पूछें कि यह परिभाषा किसने बनाई? कहां और कब बनाई?

प्रतिभागियों को जवाब देने के लिए प्रेरित करें, फिर अंत में बताएं कि सन् 1863 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी।

प्रतिभागियों से पूछें कि

- जब स्कूल में हमने यह परिभाषा सीखी और याद की तब, क्या हमने कभी सोचा था कि क्या सभी वर्गों के लोग इस परिभाषा में शामिल हैं?
- "लोगों द्वारा", में वो "लोग" कौन हैं?

- "लोगों" का क्या मतलब था? क्या इस दायरे में सभी लोग शामिल थे?
- सभी प्रतिभागियों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करें।
- क्या "लोगों" के इस दायरे में महिलाएं शामिल थीं?

कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद, बताएं कि

- उस वक्त महिलाएं इस दायरे से बाहर रखी गईं थीं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें सन् 1920 में मतदान का अधिकार दिया गया।
- कई अन्य लोगों के लिए भी स्थितियां अनुकूल थीं। जो "व्हाइट अमेरिकी पुरुष" नहीं थे, वे भी वोट नहीं डाल सकते थे।
- लगभग यही परिस्थितियां भारत में भी थीं। डॉ अंबेडकर और मसौदा समिति के अन्य सदस्यों ने एक संविधान तैयार किया जो सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक अधिकार ने कई नागरिकों और समूहों को समान अधिकारों का उपयोग करने की ताकत नहीं दी है।

इन बातों पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम लोकतंत्र पर कुछ और चर्चा कर सकते हैं। हम परिभाषा जानते हैं लेकिन क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था है? क्या यह सिर्फ प्रतिनिधियों का चुनाव करने और इस देश को चलाने के लिए सरकार बनाने का एक तरीका है। प्रतिभागियों से पूछें कि: लोकतंत्र के बारे में आपके क्या विचार हैं अगर कोई आपसे पूछें, तो आप इसके पीछे छिपे विचारों और सिद्धांतों को संक्षिप्त में कैसे बताएंगे? आप किस उदाहरण का प्रयोग करेंगे? कुछ प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं आने दें, फिर चर्चा में हस्तक्षेप करें। हकीकत में, अपने आपको लोकतांत्रिक कहने वाले कई राज्य लोकतंत्र के कुछ मुख्य सिद्धांतों के विपरीत व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानियों (ग्रीक) ने लोकतंत्र की अवधारणा का अविष्कार किया, फिर भी उनके अपने शहर और राज्यों में दास हुआ करते थे! जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, अब्राहिम लिंकन ने महिलाओं के मत अधिकारों और काले लोगों या एफ्रो–अमेरिकन को बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हुए लोकतंत्र का वर्णन किया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिसमें अस्पृश्यता सहित विभिन्न जाति प्रथाओं की सह–अस्तित्व है, जो उनको, उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

वे हैं:

- बहुलवाद / विविधता
- नागरिकता
- मानव अधिकार

सभी प्रतिभागियों की स्मृति के लिए कुछ प्रतिभागियों से उपरोक्त तीनों मुख्य सिद्धांतों का दोहराव करवाएं और बात को आगे बढ़ाएं।

- अगर ये मुख्य सिद्धांत हैं, तो लोकतंत्र तो जीवन का एक मूल्य है। "ईमानदारी" जैसा एक मूल्य। यह जीवन के सभी आयामों में फैलता है। इसे हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा होना चाहिए। ये हमारी चप्पलों की तरह तो नहीं हो सकता कि हमारी बाहर की चप्पल अलग होती हैं और घर की अलग। बाहर की चप्पल हम घर के बाहर उतार देते हैं।

- हमें हर भूमिका में हमें लोकतांत्रिक होना चाहिए, माता–पिता, बेटा–बेटी, बहन–भाई और समुदाय के एक सदस्य के नाते भी। किसी एक विशेष धर्म को मानने या किसी एक राजनीतिक दल में निष्ठा रखने के बावजूद हमें लोकतांत्रिक भी होना चाहिए।
- हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या एक पति या पत्नी होने पर हमारे रिश्तों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं? क्या घर बनाते समय घर की बनावट या रसोईघर के प्लेटफार्म की ऊंचाई के बारे में महिला की राय शामिल की जाती है? यह एक साधारण उदाहरण हो सकता है कि कितने पुरुष घर की योजना पर चर्चा करते हैं।
- "नागरिकता" लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। नागरिकता का मतलब है हर नागरिक के पास अपनी सांस्कृतिक तथा सामाजिक/प्रथाओं के लिए एक समान अधिकार है और इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस देश के कानून सभी पर लागू होते हैं। महिलाओं के भी समान अधिकार हैं और एक निरक्षर व्यक्ति के भी। इसी तरह, एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, दिव्यांग व्यक्ति के भी समान अधिकार हैं। एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं की जा सकती और गरीब बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने का कारण गरीबी नहीं हो सकती, क्योंकि "शिक्षा का अधिकार" कानून कहता है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी चाहिए।

आइए इस संदर्भ में हम कुछ विचार करें:

- हमारे कितने सरकारी भवन और ग्राम पंचायत भवन दिव्यांग लोगों के लिए अनुकूल हैं?
- हमारे सार्वजनिक संस्थानों या सड़कों में से कितने में महिलाओं के लिए शौचालय हैं?
- कितने बच्चों (लड़के और लड़कियां) की कानूनी उम्र से पहले शादी कर दी जाती है?
- कितने बच्चों को शिक्षा नसीब नहीं होती? कितने बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते?
- कितनी लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है, क्योंकि उनको पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं है?
- कितने लोगों को किसी नौकरी या अन्य उत्पादक कार्यों में शामिल होने से रोक दिया जाता है?

इन सभी मामलों में, "समान नागरिक अधिकारों" के साथ–साथ "बुनियादी मानवाधिकारों" का भी उल्लंघन होता है। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि अपने देश में सभी के लिए समान नागरिक अधिकार कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं?

लोकतंत्र में, हम सिर्फ अपने अधिकारों को "समान नागरिक अधिकार" मानते हैं बल्कि हम दूसरों के द्वारा अधिकारों की रक्षा, सम्मान और उनके उपयोग को भी सुनिश्चित करते हैं। हम कई तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं, गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, न कि सरकार को चलाने के लिए।

आइए लोकतंत्र को समझने के लिए हम चर्चा करते हैं कि विकास से क्या मतलब है?

उन प्रतिभागियों से उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश करें, जो अभी तक चुप रहे हैं, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

संभावित उत्तरः

- सभी सेवाएं सभी अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा, पानी, स्वच्छता, अच्छी सड़क। सभी का धन्यवाद करते हुए बताएं कि ये सभी सही जवाब हैं, लेकिन इन सभी को शामिल कराते हुए विकास की एक समुचित परिभाषा क्या हो सकती है? सभी के विचारों के बाद निम्नलिखित परिभाषा पर सभी को सहमत करें:

"विकास, गरिमा के साथ रहने का अधिकार है।"

इस परिभाषा के प्रति और स्पष्टता लाने और सभी प्रतिभागियों को सहमत करने के लिए पूछें कि:

- एक भूखे कुत्ते और भूखे इंसान को भोजन देने के बीच क्या कोई अंतर है? यदि आपके पास चार रोटी हैं, तो आप एक कुत्ते को कैसे देंगे और एक भूखे इंसान को कैसे देंगे? क्या दोनों में कोई अंतर होगा?

सभी की प्रतिक्रियाएं आ जाने के बाद आप उत्तरदाताओं को बताएं कि कुत्ते के लिए आप रोटी फेंक सकते हैं और कुत्ता इसे जमीन से उठा लेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान को रोटी दे रहे हैं, तो आप उसे फेंक कर रोटी नहीं दे सकते। *(पृष्ठ संख्या 139 पर संलग्नक 2 को रेफर करें)*

- यदि आप इंसान को फेंक कर रोटी देते हैं तो हो सकता है कि भूख से मरने वाला व्यक्ति भी उस रोटी को खाना पसंद न करे।
- गरिमा से जीने के अधिकार के प्रति और अधिक स्पष्टता लाने के लिए प्रतिभागियों को बताएं कि कर दाताओं के रूप में हमारे द्वारा दिए गए टैक्स की राशि का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं और गरीबों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए किया जाता है।
- ये सेवाएं सरकारी संस्थानों और कार्यकर्ताओं– स्कूल और शिक्षकों, आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पी.एच.सी./उप केन्द्र– आशा, ए.एन.एम. और डॉक्टर, ग्राम पंचायत–सचिव और अन्य सेवादाताओं के माध्यम से दी जाती हैं।
- इन सभी संस्थानों में ग्राहक कौन हैं?

प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें

- सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है?
- पी.एच.सी. में कौन जा रहा है?
- ग्राम पंचायत की सहायता किस के लिए है?
- ग्राम पंचायत सहित सभी सरकारी संस्थानों के लिए, अगर ग्राहक "गरीब" है, तो क्या उन्हें "बुनियादी ग्राहक संबंधों" के साथ सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है?
- यदि "विकास", गरिमा के साथ जीने का हक है, और हमारी पंचायतें लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई हो तो पंचायतों को "लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए" के सिद्धांत पर काम करना चाहिए।
- क्या गरीबों को गरिमा सम्मान के साथ रहने के अवसर प्रदान करने के लिए हमारी पंचायतों को पीने के साफ पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर काम करने की जरूरत है?
- क्या हमारी पंचायत ने गरीबों, महिलाओं और विकलांगों को गरिमा के साथ जीने की जरूरतें पूरी की हैं?
- क्या हम यह सुनिश्चित करते हैं कि एक बच्चे के लिए गरिमा के साथ बढ़ने की आवश्यकता है?

सत्तर वर्षों की आजादी के बाद भी, गांवों में अशिक्षा है और इसको हम किस तरह देखते हैं? हमने उन बहुत से लागों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया है और वंचित किया है विकास से। यानि वंचित किया है – "सम्मान के साथ जीने के अधिकारों से"।

हमारे पास हर दस साल की जनगणना है, देश के 40 प्रतिशत पुरुष और 60 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। अब 2021 में फिर जनगणना होगी। इस रिपोर्ट में भी निरक्षरता का प्रतिशत ऊंचा रह सकता है। लेकिन यदि 2031 की जनगणना में हम देश की जनसंख्या को साक्षर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या अब हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है? सभी के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके विकास का सम्मान करना, खासकर बच्चों के अधिकारों का। आने वाले सत्रों में, कृपया इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखें:

- सबसे अंतिम छोर पर "पंचायत" लोकतंत्र (नागरिकों में विविधता और नागरिकता और मानवाधिकार सुनिश्चित करना) की संरक्षक है।
- यह संस्थान निम्नतम स्तर पर भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए भी संरक्षक है।

निम्नलिखित दो बिंदुओं पर विचार के लिए अनुरोध के साथ सत्र का समापन करें कि

- ऐसा क्यों है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुए संसद और राज्य विधानसभा का सम्मान ग्राम पंचायत से ज्यादा सम्मान है?
- क्या ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री हैं?

शैक्षणिक खेल

पावर वॉक गतिविधि:

- जमीन पर बराबर दूरी पर 13 रेखाएं खींचें।
- प्रतिभागियों को 08 (आठ) समूहों में बांट दें।
- प्रत्येक समूह से अपना प्रतिनिधि चुनने को कहें।
- सभी समूहों को निर्देश दें कि वे जमीन पर बनाई गई रेखाओं में से पहली रेखा के पीछे एक लाइन में खड़े हों। उनका समूह प्रतिनिधि सबसे आगे खड़ा हो।
- प्रत्येक समूह के प्रतिनिधि को, एक–एक पर्ची दें और उन्हें निर्देश दें कि वे अपनी पर्ची तभी खोलेंगे, जब सभी प्रतिनिधियों को पर्ची मिल जाएं।
- प्रतिभागियों को बताएं कि प्रत्येक पर्ची पर समुदाय के एक व्यक्ति की पहचान दी गई है।
- सभी प्रतिभागियों से कहें कि उनको मिले पर्ची में दी गई जानकारी तथा विवरण के आधार पर अपने समूह में चर्चा करें और उस पात्र के अनुरूप में अपने को ढालें।
- कहे जाने तक प्रतिभागी पर्ची में लिखी बात दूसरे समूह को न बताएं (सिर्फ अपने समूह के सदस्यों को बता सकते हैं)। समूह के सदस्य, पर्ची में लिखे हुए व्यक्ति के लिंग के अनुरूप सोचें, महसूस करें और फिर अपने निर्णय लें।
- **खेल शुरू होने के समय प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके वक्तव्यों को प्रत्येक प्रतिभागी ध्यान से सुनें और अपने चरित्र तथा भूमिका के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दें।**
- पर्ची वितरित करने के बाद अपने चरित्र के अनुरूप ढलने के लिए सभी प्रतिभागियों को 2 मिनट का समय दें।
- यदि वक्तव्य के जवाब में उनकी प्रतिक्रिया ''हां'' है तो वे एक कदम आगे बढ़ेंगे।
- यदि वक्तव्य के जवाब में उनकी प्रतिक्रिया ''नहीं'' है तो वे अपनी जगह पर खड़े रहेंगे।
- प्रतिक्रिया देने के लिए केवल समूह प्रतिनिधि ही आगे कदम लेगा। लेकिन इस कदम को उठाने का फैसला सभी सदस्यों की राय से होगा।

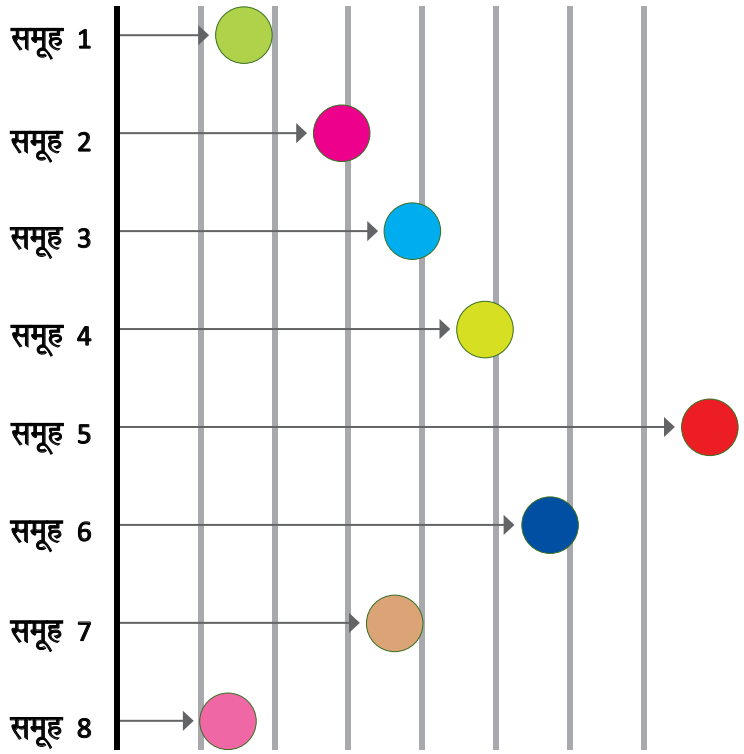

- यदि उत्तर न में है, तो अपने स्थान पर ही खड़े रहें। यह निर्णय भी समूह के अन्य सदस्यों की राम से ही लिया जाए।
- प्रशिक्षक सभी वक्तव्यों को क्रमशः ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू करें।

वक्तव्य

- मैं गांव में लिए जाने वाले फैसलों को प्रभावित कर सकता/सकती हूं।
- मैं गांव में आने वाले सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करता रहता/रहती हूं।
- मैं त्यौहारों और जन्म दिन में नये कपड़े बनवा सकता/सकती हूं।
- मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं।
- घर में लिए जाने वाले निर्णयों में मेरी हिस्सेदारी रहती है।
- मैं बड़ी और छोटी बचत कर सकता/सकती हूं।
- मैं घरेलू मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में अपना पक्ष रख सकता/सकती हूं।
- साफ पानी पीने के लिए मैं पैसे खर्च करने में समर्थ हूं।
- मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि कैरियर, विवाह और मेरी देह से जुड़े मुद्दों पर मेरी राय ली जाती है।
- यदि जरूरी हो तो, मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च उठा सकता/सकती हूं।
- अगर मैं चाहूं तो मैं दिन में 3 बार भी खाना खा सकता/सकती हूं।
- शारीरिक शोषण और शारीरिक अपराध के मुझे कोई खतरे नहीं हैं।

सभी वक्तव्यों का पाठन करने के बाद सभी को अपनी जगह खड़े रहने का निर्देश दें। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, जबकि कुछ लोग बहुत पीछे भी रह गए। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कदम बढ़ाए हैं, उनसे निम्न पर चर्चा करें:

- आप कौन हैं, पर्ची में लिखी हुई अपनी पहचान बताएं।
- वे सबसे आगे क्यों हैं?
- सबसे आगे होने पर उन्हें क्या महसूस हो रहा है?

पीछे रह जाने वाले समूहों को अपनी पहचान बताने को कह कर उनसे पूछें कि:

- वे लोग कौन हैं?
- उनके पीछे रह जाने के क्या कारण थे?
- आगे बढ़ते लोगों को देख कर पीछे छूट गए लोगों को क्या महसूस होता होगा?

हमने इस खेल में देखा की कुछ लोग एक कदम भी नहीं बढ़ा पाए जबकि दिए गए वक्तव्य बड़े ही साधारण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े थे। क्या वास्तव में हमारे गांवों में सामाजिक स्थिति ऐसी ही है? प्रतिभागियों से पूछें कि पंचायत में विकास करना हो तो किससे बात करें? किसके विकास को प्राथमिकता दें? आगे बढ़ चुके लोग शिक्षित हैं, उनके पास जानकारी है, उनके पास अवसर और

संसाधनों तक पहुंच एवं नियंत्रण है। पीछे रह गए लोगों को विकास की धारा में लाने का एकमात्र माध्यम पंचायत ही है। इस खेल को पावर वॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी जिन्दगी में हर कदम जाने–अनजाने अपने आप में निहित कुछ प्रभाव, ज्ञान और शक्तियों के आधार पर लेते हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे कि जाति, धर्म, धन, व्यवसाय, बल, शिक्षा, लिंग/उम्र इत्यादि के आधार पर हमें मिली है। पंचायत स्तर पर विकास का आशय पीछे रह गए लोगों को आगे आने देने से है, इनका सही मायने में विकास तभी होगा, जब पंचायतें इन्हें यह पावर या मौका दें ताकि इनके कदम आगे बढ़ सकें।

सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) वर्ष 2030 तक, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए, एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा – व्यक्तियों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए।

17 एस.डी.जी. और 169 लक्ष्य, एक भाग हैं, हमारी दुनिया को बदलने के लिए। सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 का, जो सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्यों राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया, और 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया था।

एस.डी.जी. एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया से विकसित किये गये हैं, जिस पर विचार–विमर्श करने के लिए और इस महत्वकांक्षी एजेंडा को अपनाने के लिए राष्ट्रीय सरकारें और दुनिया भर के लाखों नागरिक एकजुट हुए थे।

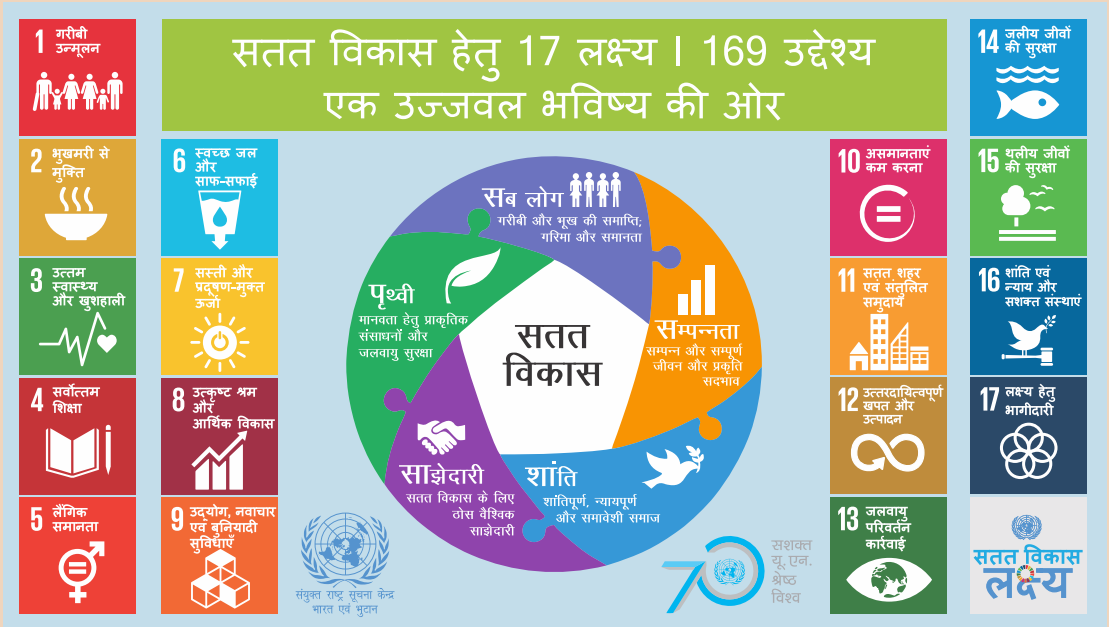

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सामूहिक प्रयास के माध्यम से राज्य के लिए विज़न 2030 बनाया है। प्रत्येक गोल को पंचायत स्तर पर किये जा सकने वाले कार्यों के अनुसार वर्णित किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माणः एक अवसर

नोटः

इस गतिविधि का आशय है किः

- प्रतिभागी पंचायत के दायित्वों की सीमाओं के विस्तार (रेंज) को समझें।
- वे जानें कि प्रदेश के विकास सूचकांक कहीं न कहीं ग्राम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की मांग करते हैं।
- योजनाएं, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन, दोनों ही उपलब्ध हैं और मुद्दों की सही पहचान तथा कवरेज को उपयुक्त रूप से लक्षित करके हालातों को सुधारा जा सकता है। यह केवल ग्राम स्तर से ही संभव है। जरूरतों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रभावी उपयोग जरूरी है।
- यह गतिविधि प्रतिभागियों को इस तथ्य से अवगत कराएगी कि जरूरतों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा ग्राम पंचायत पर पर्याप्त प्रावधान हैं।

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागीः

- विकास से जुड़े अनेक मुद्दों तथा उनके अंतरसंबंधों को समझते हुए समग्र विकास की अवधारणा से परिचित हो जाएंगे।
- जान जाएंगे कि समग्र विकास के लिए केवल महंगी अधोसंरचना ही जरूरी नहीं है।
- सामाजिक क्षेत्र और मानव विकास में निवेश के महत्व को समझ पाएंगे।

समय

120 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- वी.आई.पी.पी. कार्ड, चार्ट पेपर
- मार्कर पेन
- 8 विषयों के प्रपत्र के सेट
- संलग्नक 6ः उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड

प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को 8 समूहों में बंटने का आग्रह करें।
- प्रत्येक समूह से कहें कि वे छोटे–छोटे दायरों में बैठ जाएं।
- प्रत्येक समूह को एक–एक विषय के प्रपत्र दें।

समूहों से कहें कि वे अपने समूह में से किन्हीं दो प्रतिभागियों का चयन करके उन्हें निम्नलिखित जिम्मेदारी दें:

- एक प्रतिभागी अपने समूह में प्रपत्र के पहले कॉलम के एक वक्तव्य को पढ़ें।
- इसके बाद दूसरा प्रतिभागी प्रपत्र के दूसरे कॉलम के वक्तव्य को पढ़ें।
- इसके पश्चात् पूरा समूह दोनों प्रतिभागियों द्वारा दिए गए डेटा/सूचनाओं/जानकारियों पर चर्चा करें।
- प्रतिभागियों को बताएं कि उन्हें अपने–अपने समूह में इस चर्चा के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा।
- इसके बाद वे एक परिचित ग्राम सभा को केन्द्र में रखते हुए अपने निष्कर्षों को अंतिम कॉलम में लिखें।
- प्रतिभागियों से कहें कि वे निष्कर्षों को डेटा/संख्याओं की शुद्धता की जगह इस तथ्य पर केन्द्रित करें कि:
  - → क्या ग्राम पंचायत के विकास से प्रत्येक मुद्दा किस प्रकार जुड़ा हुआ है और इनके बीच क्या अंतरसंबंध है?
  - → अगर अंतरसंबंध है तो ग्राम पंचायत उसके बारे में अनभिज्ञ क्यों है?
  - → अपेक्षित जानकारियां कौन इकट्ठी करेगा और कौन ग्राम पंचायत तक पहुंचाएगा?
  - → ये जानकारियां किसके पास हैं और ग्राम पंचायत द्वारा इनका उपयोग कैसे किया जाएगा?
  - → सभी समूहों से उनके प्रस्तुतीकरण करवाएं।

अपेक्षित परिणाम

सभी प्रतिभागी समझ पाएंगे कि:

- विकास के सूचकांकों की दृष्टि से राज्य की स्थिति चिंताजनक है।
- मानवीय विकास तथा सामाजिक सूचकांकों का महत्व है।
- वे स्वीकार करेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की परिकल्पना में सिर्फ निर्माण कार्य ही शामिल है, सामाजिक और मानवीय विकास का मुद्दा इस परिकल्पना की परिधि से बाहर छूटा हुआ है।
- उपलब्ध संसाधन तथा योजनाओं के माध्यम से अनेक मुद्दों के समाधान तलाशे जा सकते हैं।
- राज्य के सूचकांकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए ग्राम पंचायत के स्तर हस्तक्षेप और मॉनिटरिंग जरूरी है।
- अधिकांश ग्राम पंचायतें न तो मानवीय विकास तथा सामाजिक सूचकांकों के डेटा एकत्र करती हैं और न ही उनकी मॉनीटरिंग।

फेसिलिटेटर के उपयोग के लिए कुछ बिन्दु

- उत्तर प्रदेश की समस्याएं और उनके समाधान 59020 ग्राम पंचायतों में फैले हुए हैं।
- उत्तर प्रदेश का विकास उसकी ग्राम पंचायतों के विकास में निहित है।
- विकास सीमेंट और ईंटों से नहीं होता, ये होता है एक व्यक्ति के एक इकाई के रूप में पूरी तरह विकसित होने और समुदाय में सभी के स्वस्थ होने से। यह प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय से जीवन व्यतीत करने से होता है।

उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारियां

- 20 करोड़ की जनसंख्या वाला देश का सबसे बड़ा राज्य।
- 18 डिवीजन, 75 जिले, 851 विकास खंड और 59020 ग्राम पंचायतें।
- 80 लोक सभा सीटों के कारण राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण।
- विधान सभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें।
- आगरा और वाराणसी के लिए प्रसिद्ध।
- चमड़ा उद्योग, कोर्पट उद्योग, ग्लास उद्योग, पीतल तथा अन्य धातु आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध।
- टमाटर, दाल, गेंहू और चावल के अतिरिक्त उत्पादन के लिए विख्यात।
- 64 शासकीय विभाग, केन्द्र और राज्य सहायित 1000 से ज्यादा कल्याण योजनाएं।

दिवस - 2

हाउस होल्ड सर्वे
समूह के मुद्दों पर जानकारी
आंकड़ों का आंकलन
सामाजिक मानचित्र
रिसोर्स मैपिंग
समूह चर्चा

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन	• पंचायती राज व्यवस्था • लोकतंत्र और विकास • 73वां संशोधन, पंचायत की समितियां, • पावर वॉक, उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	• रोलिंग बॉल का प्रयोग	• रबड़ की गेंद • विगत दिवस में विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा किए गए विषय से संबंधित तैयार की गई पर्चियां • उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड	प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।
9:45–11:00	सत्र 2: ग्राम पंचायत विकास और समुदाय की भागीदारी	• पांच प्रमुख घटक • प्रमुख चरण एवं गतिविधियां • मार्गदर्शक की विधियां	• "Whose Reality" फिल्म • ताना बाना • जे.पी.डी.पी. के 5 क्षेत्रों पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • समूह अभ्यास	• हमारी योजना, हमारा विकास प्रस्तुतियां • प्रोजेक्टर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, सफेद दीवार या परदा • लम्बा मजबूत धागा या पतली रस्सी	जी.पी.डी.पी. फ्रेमवर्क / डिज़ाइन पर स्पष्ट समझ विकसित करना।
11:00–11:15	चाय अवकाश				
11:15–13:00	सत्र 3: योजना निर्माण का पहला चरण: वातावरण निर्माण	• वातावरण निर्माण की आवश्यकता • गतिविधियां एवं टूल्स	• फिल्म एवं समूह चर्चा	• चार्ट पेपर, मार्कर • हिवरे बाज़ार फिल्म • एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, माइक एवं स्पीकर इत्यादि	चार्ट पेपर, मार्कर, वातावरण निर्माण संबंधित फिल्म (आदर्श ग्राम हिवरे बाज़ार) एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, माइक एवं स्पीकर इत्यादि।
13:00–14:00	भोजन अवकाश				
14:00–14:15	स्फूर्तिदायक खेल				
14:15–16:15	सत्र 4: योजना निर्माण का दूसरा चरण: पारिस्थितिकीय विश्लेषण	• घटक एवं वार्ड वार आंकड़ों की आवश्यकता • परिवार सर्वेक्षण • पी.आर.ए. • विकास से विधियों तक आंकड़ों का उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड तैयार करना	• शिक्षापथ फिल्म • समूह अभ्यास • फोर्स फील्ड विश्लेषण • छः बॉक्स आईटम • छः विषयों पर समूह क्रिया	• एल.सी.डी. • चार्ट पेपर एवं मार्कर • शिक्षापथ फिल्म • हमारी योजना, हमारा विकास पुस्तिका • प्रशिक्षण मार्गदर्शिका • ग्राम नजरी नक्शा	पारिस्थितकीय विश्लेषण की विधियों, सूचनाओं की आवश्यकता एव प्रकार से परिचित करवाना।
16:15–16:30	चाय अवकाश				
16:30–18:15	सत्र 5 रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)	• ग्राम पंचायत एवं क्लस्टर स्तर पर मानव संसाधन का निर्धारण • विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर वित्तीय संसाधनों का निर्धारण • ओ.एस.आर. संसाधनों का निर्धारण	• रिसोर्स एन्वेलप पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • समूह चर्चा • परस्पर संवाद	• चार्ट पेपर • मार्कर • रिसोर्स एन्वेलप के संकलन हेतु फॉर्मेट	जी.पी.डी.पी. के क्रियान्वयन के लिए रिसोर्स इन्वेलप तैयार करने की प्रक्रिया पर समझ विकसित करना।
18:15–18:30	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

सत्र 1

विगत दिवस का पुनरावलोकन

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- पिछले दिवस के प्रशिक्षण की प्रक्रिया तथा विषय वस्तु को दोहरा पाएंगे।

समय

15 मिनट

प्रशिक्षण की विधि

रोलिंग बॉल

प्रशिक्षण सामग्री

- रबर की गेंद
- रबर की गेंद यदि उपलब्ध न हो तो आवश्यक विषयों की एक–एक पर्ची तैयार करें। इसके बाद, सभी पर्ची को एक गेंद की तरह रोल करें। प्रतिभागी इस गेंद में से एक–एक पर्ची चुन सकते हैं और अपने विषय के बारे में अपनी बारी आने पर अपने विचार व्यक्त करें।
- विगत दिवस में विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा किए गए विषय से संबंधित तैयार की गई पर्चियां:
  - → पंचायती राज व्यवस्था
  - → 73 वां संशोधन
  - → पंचायत की समितियां
  - → लोकतंत्र और विकास
  - → पावर वॉक
  - → उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड

प्रतिभागियों को एक दायरे में बैठाएं और उन्हें बताएं कि

- पुनरावलोकन सत्र में एक रबड़ की गेंद आपको दी जाएगी। आप रबड़ की गेंद अगले प्रतिभागी को देंगे और वह प्रतिभागी अगले प्रतिभागी को।
- मोबाइल या किसी अन्य विधि से संगीत बजाया जाएगा, जब संगीत बजेगा, तब तक गेंद आगे बढ़ाई जाएगी।
- गेंद को आगे बढ़ाने की यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक संगीत न रुके।
- संगीत रुकने पर कल लिए गए सत्रों से जुड़ी एक पर्ची उस प्रतिभागी को दी जाएगी जिसके हाथ में गेंद है।

- वह प्रतिभागी पर्ची पर लिखे मुद्दे पर अपना वक्तव्य देगा। अगर प्रतिभागी पर्ची में लिखे हुए विषय पर कुछ कहने में असमर्थ हो तो अन्य प्रतिभागियों को उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
- वक्तव्य पूरा होने पर अन्य प्रतिभागियों से कुछ और तथ्य जोड़ने का निवेदन किया जाए।
- जब इस मुद्दे पर जानकारी पूरी हो जाए तो पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं एवं पर्ची पूरी होने तक इस प्रक्रिया का संचालन करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

पुनरावलोकन के लिए निम्नलिखित विधि भी अपनाई जा सकती हैं:

- रोले–प्ले
- चार्ट या कार्ड प्रस्तुतीकरण
- संभाषण के माध्यम से
- छोटे समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण
- टी.वी. समाचार–वाचक या समाचार पत्रिका प्रकाशन इत्यादि के माध्यम से पिछले दिन की गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण

सभी प्रतिभागियों को सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करके सत्र का समापन करें।

सत्र 2

ग्राम पंचायत विकास और समुदाय की भागीदारी

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के महत्व को समझ पाएंगे।
- ग्राम की विकास समितियों की सक्रियता के महत्व को समझ पाएंगे।
- योजना निर्माण के 5 क्षेत्र (नीचे बताया गया है) तथा उनके महत्व को समझ पाएंगे।

समय

75 मिनट

प्रक्रिया

- इस सत्र को समझने के लिए प्रतिभागियों के साथ 3 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- हर गतिविधि के समापन पर ग्राम पंचायत विकास और समुदाय की भागीदारी के विभिन्न घटकों को समझाया जाएगा।

गतिविधि 1: फिल्म प्रदर्शन

समय

20 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- फिल्म Whose Reality की पेन ड्राइव
- प्रोजेक्टर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, सफेद दीवार या परदा

प्रक्रिया

- फिल्म दिखाएं।
- प्रतिभागियों से जानें कि फिल्म क्या संदेश दे रही है?

सभी प्रतिभागियों की राय आ जाने के बाद उन्हें इस बात पर सहमत करें कि:

- फिल्म स्थानीय स्तर पर भागीदारी से आवश्यकताओं के आंकलन को दर्शाती है।
- स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के महत्व को दर्शाती है।

प्रशिक्षक द्वारा सत्र के अंत में कहा जाए कि

फिल्म यह दर्शाती है कि ऊपर से बना कर भेजी गई योजनाएं, आवश्यक नहीं है कि लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। गांव के ही लोगों द्वारा स्वयं के लिए तय की हुई कार्य योजना ज्यादा कारगर और प्रासंगिक होने के साथ ही लोगों के साथ जुड़ाव का माहौल भी पैदा करती है

गतिविधि 2: ताना-बाना

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ग्राम पंचायत के विकास में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के महत्व को समझ पाएंगे।
- ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की सक्रियता के महत्व को समझ पाएंगे।
- हर विभाग की योजनाओं के बीच समन्वय तथा अभिसरण के महत्व को समझ पाएंगे।
- पंचायत स्तर पर योजना निर्माण के महत्व को समझ पाएंगे।

समय

30 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- पहले से नाम लिखी हुई तैयार पर्चियां।
- लम्बा मजबूत धागा या पतली रस्सी।

प्रक्रिया

ग्राम स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 प्रतिभागियों को आगे आने को कहें। प्रत्येक प्रतिभागी के सीने पर 1–1 विभाग के कर्मचारियों के नाम की पर्ची लगाएं (ये प्रतिभागी सांकेतिक रूप से उन विभागों के प्रतिनिधि के रूप में इस खेल में शामिल होंगे।)।

विभागीय कर्मचारी:

- शिक्षक
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- जल निगम का कर्मचारी
- सफाई कर्मी
- प्रधान
- पंचायत सचिव
- रोजगार सेवक
- आशा

- अन्य जैसे कि समुदाय, तीन पंचायत समितियां
- इसी प्रकार समूह से एक अन्य प्रतिभागी को आमन्त्रित करके उसके सीने पर समुदाय की पर्ची लगाएं। तीन अन्य प्रतिभागियों को बुलाएं और उनके सीने पर एक–एक ग्राम पंचायत समितियों के नाम की पर्ची लगाएं।
- पर्ची लगाए हुए सभी प्रतिभागियों को एक गोल दायरे में खड़ा करें। सबके चेहरे भीतर की ओर या एक गोल घेरे में हों।
- शेष प्रतिभागियों से कहें कि वे आगामी गतिविधि को ध्यान से देखें।
- एक प्रतिभागी को रस्सी का एक सिरा पकड़ाएं और उस प्रतिभागी के ठीक सामने वाले प्रतिभागी की उंगली में रस्सी को फसाएं। इसके बाद 1–2–3–4–5–6 प्रतिभागी तक इस रस्सी को इसी प्रकार घुमाएं। अन्तिम प्रतिभागी को रस्सी का अन्तिम सिरा पकड़ाएं।

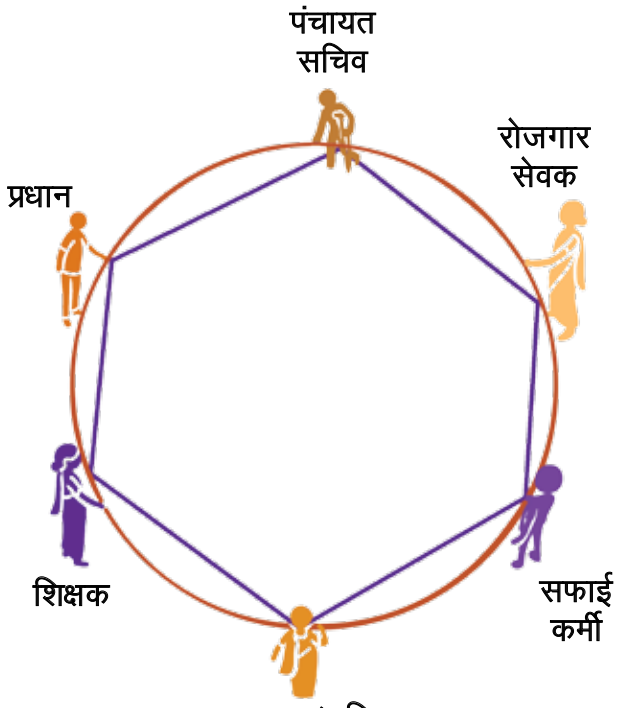

प्रतिभागी रस्सी को इस तरह पकड़े जिससे बीच में एक प्रकार की संरचना बन सके।

- सभी प्रतिभागियों को रस्सी टाइट रखने के निर्देश दें।
- सभी प्रतिभागियों को बताएं कि ग्राम पंचायत में इन सभी विभागों तथा योजनाओं से विभिन्न कार्यों के लिए फंड आ रहे हैं तथा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत में सभी सेवाएं, सुविधाएं तथा योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं।

प्रतिभागियों से पूछें कि क्या ये ताना–बाना पूरी तरह तना हुआ (टाइट) है?

सम्भावित उत्तरः हां।

बताएंः ये ताना–बाना एक ग्राम पंचायत के विकास को दर्शा रहा है और बता रहा है कि सब कुछ ठीक–ठाक है। सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली है।

- आइए देखें कि फिर भी हम विकास में पिछड़े क्यों रह गए हैं।
- रस्सी पकड़े किसी एक प्रतिभागी से रस्सी ढीली करने (छोड़े नहीं, सिर्फ हाथ आगे बढ़ा कर ढीली करें) को कहें।
- परिणामस्वरूप दायरे में बना ताना–बाना ढीला पड़ जाएगा।

शेष प्रतिभागियों से पूछें कि एक विभाग/योजना के प्रतिभागी द्वारा रस्सी का तनाव कम करने का क्या नतीजा आया?

सम्भावित उत्तर

- पूरा ताना–बाना ढीला पड़ गया।
- परिणामः ताना–बाना ढीला पड़ गया।

इस प्रक्रिया को दोहराएं

बताएं

- हर विभाग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग–अलग योजनाएं बनाता है और क्रियान्वित करता है। सभी योजनाओं के बीच समन्वय तथा अभिसरण न होने के कारण पंचायत का विकास प्रभावित/धीमा हो जाता है।
- आपने देखा कि परिवार/समुदाय के प्रतिनिधि द्वारा डोर में ढील दिए जाने पर भी यह ताना–बाना ढीला पड़ता है न तो सभी तक लाभ पहुंचता है, और न ही योजनाओं तक सबकी पहुंच हो पाती है।
- विकास के इस चक्र को गति देने के लिए यह जरूरी है कि विभागीय कर्मचारी एवं पंचायत समितियां अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें। साथ ही दूसरे विभागों के साथ सहयोग भी करें। साथ ही समुदाय अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सजग रहे और अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी से करें।

पिछली गतिविधि के अंत में उल्लेखित समस्त विभाग हमारी पंचायतो में कार्यरत है। यह समस्त विभाग ग्राम पंचायत में किसी न किसी विषय पर कार्य करते हुए पंचायतों की स्थिति बदलने के लिए प्रयासरत है, परन्तु इनके बीच आपस में समन्वय एवं सहयोग के आभाव में न समग्र विकास की योजना बन पा रही है और न ही पंचायतों का सुनियोजित विकास हो पा रहा है।

- सभी स्थायी समितियों का जागरूक और निरन्तर सक्रिय होना जरूरी है।
- सभी विभागों के बीच आपस में समन्वय तथा पूरे समुदाय की भागीदारी जरूरी है।

सभी प्रतिभागियों की सत्र में भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए सत्र का समापन करें।

उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्लस्टर का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नवत् व्यवस्था की गई है:

- योजना निर्माण प्रक्रिया के बेहतर संचालन के लिए प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर का निर्माण किया गया है।
- निर्मित क्लस्टर पर विभिन्न विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों यथा क्लस्टर पर निर्मित विभागों (सांख्यिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशु–पालन विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना, साक्षरता एवं वैयक्तिक विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग, को पृथक–पृथक रूप से चार्ज ऑफिसर के विकास खंड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रभारी चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
- चार्ज ऑफिसर का उत्तरदायित्व है कि योजना निर्माण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

प्रायः यह देखा गया है की योजना निर्माण में अधोसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है और मानव संवेदी विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। अतः आवश्यक है कि आगे दिए गए पांच क्षेत्रों एवं तालिका में दी गयी विषय वस्तु को योजना बनाते समय अवश्य ध्यान दिया जाए, जिससे कि समग्र विकास की एक योजना बनाई जा सके। परंतु योजना बनाते समय स्थानीय क्षेत्र के आवश्यकतानुसार अन्य विषयों को भी समाहित किया जा सकता है। नीचे दी गई सूची अलग–अलग विषयों के अलग–अलग घटकों पर समझ विकसित करने में सहायक हो सकती है:

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछें कि

- आपके ग्राम एवं पंचायत में योजनाएं कैसे बनती है?
- योजना निर्माण में कौन से प्रमुख क्षेत्र और संबंधित मुद्दे लिए जाते हैं?
- आपके अनुसार और कौन–कौन से ऐसे क्षेत्र मुद्दे हैं, जिन्हें योजना निर्माण में प्रमुखता से लिया जाना चाहिए?

संभावित उत्तर

- योजनाएं बनती ही नहीं।
- हमें नहीं पता कि योजनाएं कब और कौन बनाता है।
- योजनाएं तो केन्द्र तथा राज्य में बनती हैं, जिन्हें पंचायत के स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है।
- योजना निर्माण के प्रमुख क्षेत्र हैं निर्माण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि विकास इत्यादि।
- योजना निर्माण में गरीबों के मुद्दे, बच्चों का कुपोषण, रोजगार, कृषि विकास, बाल विवाह, बाल श्रम, विद्युतीकरण इत्यादि।

उत्तर प्राप्त होने के उपरांत प्रतिभागियों के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें बताएं कि योजना विकसित करने हेतु केन्द्र तथा राज्य के दिशा–निर्देश के अनुसार संभावित पांच क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुद्दे लिए गए हैं।

अब किन्हीं पांच प्रतिभागियों को कहें कि वे एक–एक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुद्दों को अन्य प्रतिभागियों को पढ़ कर सुनाएं जिन्हें योजना बनाते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। एक क्षेत्र के समाप्त होने पर शेष समूह छूटे हुए मुद्दे यदि कोई हैं तो उनको जोड़ सकते हैं।

गतिविधि 3: पांच प्रमुख क्षेत्र एवं गतिविधियां तथा पांच प्रमुख चरणों का परिचय

समय
25 मिनट

प्रतिभागियों को लिखित रूप में पांच क्षेत्र और मुद्दों की तालिका उपलब्ध करवाएं जो निम्नवत् हैं

- क्षेत्र–1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे
- क्षेत्र–2 संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दे और आपदा प्रबन्धन के मुद्दे
- क्षेत्र–3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दे
- क्षेत्र–4 सुशासन एवं समावेशन
- क्षेत्र–5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दे

पिछले दिवस में पूर्ण की गई उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड गतिविधि का भी सन्दर्भ लिया जा सकता है, जिससे इन मुद्दों को समझने में आसानी होगी।

क्षेत्र–1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

जल स्रोत

- शुद्ध पेय जल व्यवस्था पेय जल के स्त्रोत व संख्या
- कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई
- इण्डिया मार्क 2 के हैंड पंप की संख्या
- उथला (कम गहरा) हैंड पंप की संख्या
- अन्य जल स्त्रोत की संख्या (जैसेः कुआं, तालाब, आदि)

स्वच्छता

शौचालयों की संख्याः

- व्यक्तिगत शौचालय
- सामुदायिक शौचालय
- स्कूल शौचालय

साफ–सफाई की व्यवस्थाः

- कूड़ा–कचरा निपटान
- ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन

नागरिक सेवाएं

- जन्म/मृत्यु पंजीकरण
- परिवार रजिस्टर कॉपी
- विवाह रजिस्ट्रेशन
- भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि)
- आधार पंजीकरण

स्वास्थ्य

- प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता
- 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं?
- गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता *(पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्नक 4 को रेफर करें)*
- स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि)
- क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो।
- क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां, तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

बाल विकास एवं पुष्टाहार

- बच्चों की संख्या
- आंगनवाड़ी की संख्या
- आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं
- आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन?
- आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वज़न
- प्रसुति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं
- किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण
- कुपोषण की स्थिति

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

शिक्षा

- स्कूलों की संख्या व प्रकार
- शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता
- शिक्षा का अधिकार मानदंड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं
- ड्रॉप आउट की स्थिति/कारण
- बाल श्रम, बाल विवाह
- मध्यान्ह् भोजन की व्यवस्था
- स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं?
- स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है?
- क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?

सामाजिक सुरक्षा

- राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या
- राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था
- राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है?
- राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है?
- राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या?
- पात्रता के अनुसार आवास
- वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन
- योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
- सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ

खेलकूद की व्यवस्था

- गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है?
- खेल के लिए उचित जगह/मैदान की उपलब्धता

क्षेत्र-2 संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दे और आपदा प्रबन्धन के मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव

- गांव में रोड़ और नालियों का निर्माण और रख–रखाव
- बिजली के खंभों की संख्या
- सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था
- गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है?
- गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है?
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव
- हैंड पंप
- ए.एन.एम. उपकेन्द्र
- पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल
- ग्रामीण बाजार/हाट
- कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा
- पौधे–रोपण: सामाजिक वानिकी
- पर्यावरण संरक्षण के कार्य

यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो *(पृष्ठ संख्या 141 पर संलग्नक 3 को रेफर करें)*

- आपदा से पूर्व की तैयारियां
- आपदा के दौरान की तैयारियां
- आपदा के बाद की तैयारियां

शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार

- गांव में शमशान है?
- गांव में कब्रिस्तान है?
- इनकी स्थिति कैसी है?

पार्क का रख–रखाव

- पार्क की व्यवस्था
- पार्क कितना उपयोगी है?
- क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?

लाइब्रेरी का रख–रखाव

- गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं?
- यदि है तो उसका उपयोग कौन–कौन करता है?
- क्या वहां रोज अखबार आता है?

क्षेत्र–3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

- कृषि में सहायता– कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन।
- मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित)।
- मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोज़गार एवं भुगतान
- स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना।
- बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना।
- फलों की खेती में सहयोग।
- पशु–पालन में सहयोग।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।
- राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना।
- ऊशर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था

क्षेत्र–4 सुशासन एवं समावेशन

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

- अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण)।
- एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण।
- सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्प संख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना।
- सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना।
- गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति
- नियमानुसार पंचायत की बैठकें।
- साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन।
- नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक।
- नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी., एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबंधन समिति की बैठक।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

क्षेत्र–5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

- व्यक्तिगत व्यवहार – शौचालय का उपयोग, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, 6 माह तक नवजात को केवल स्तनपान, 6 महीने के उपरांत पूरक आहार, आयोडिन युक्त नमक का उपयोग।
- सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे कि बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि।
- नशाखोरी, झगड़ों/वाद–विवाद का निपटारा।

प्रतिभागिओं को यह बताएं कि ढांचागत आवश्यकताएं यदि जरूरी है पर उपलब्ध नहीं, तो उनकी मांग भी अवश्य आएगी। परन्तु, एक सहजकर्ता के रूप में ढांचागत आवश्यकताओं के साथ मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाना ही एक समग्र विकास की योजना का प्रारूप हो सकता है।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछें कि वे योजना से क्या समझते हैं। उनके उत्तरों को समेकित करते हुए बताएं कि योजना क्या है– योजना उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का दस्तावेज है।

योजना के प्रमुख घटक निम्नवत् हैं

- उद्देश्य
- समय सीमा
- सबकी भागीदारी
- पारदर्शी
- समावेशी

राष्ट्रीय और राज्य के दिशा–निर्देश के अनुसार योजना निर्माण के लगभग 10 चरण प्रस्तावित हैं, जिसमें तीन बार ग्राम सभा की बैठक एवं 2 ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख है, परन्तु योजना निर्माण की समझ को आसान बनाने के लिए यहां पर मुख्यतः 5 चरणों की चर्चा की जाएगी जिसमें सारी बैठकें निहित हैं।

प्रतिभागियों को बताएं कि चरणबद्ध योजना निर्माण के निम्न पांच मुख्य चरण हैं:

- वातावरण निर्माण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
- पारिस्थितिकीय विश्लेषण
- आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
- ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास
- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)

नोटः उक्त पांच चरणों में आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाई जा सकती हैं। प्रतिभागियों को बताएं कि अगले सत्र में हम इन चरणों पर विस्तार से समझ बनाएंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करें और सत्र का समापन करें।

सत्र 3

योजना निर्माण का पहला चरण: वातावरण निर्माण

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ग्राम विकास योजना निर्माण में वातावरण निर्माण के महत्व तथा तकनीकों को समझ पाएंगे।
- स्त्रोत समूह द्वारा की जाने वाली बैठक की कार्यवाही का औचित्य तथा उपयोगिता समझ पाएंगे।

समय

105 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- चार्ट पेपर, मार्कर
- पेन ड्राइव में फिल्म हिवरे बाज़ार की कॉपी
- एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, माइक एवं स्पीकर इत्यादि

गतिविधि 1: फिल्म की प्रस्तुति अथवा सामूहिक चर्चा

नोट: यदि आपके पास फिल्म (आदर्श ग्राम हिवरे बाज़ार) है तो इस सत्र की शुरूआत फिल्म से करें, अन्यथा निम्नवत प्रक्रियाओं का पालन करें।

प्रतिभागियों से पूछें कि

- वातावरण निर्माण से प्रतिभागी क्या समझते हैं?
- प्रतिभागियों को इस शब्द को परिभाषित करने के लिए प्रेरित करें तथा उनके विचारों को संक्षिप्त रूप में बोर्ड पर साफ और बड़े अक्षरों में नोट करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- विगत सत्रों से हमारी ये समझ बन चुकी है कि ग्राम विकास की सभी जरूरतों का चिन्हांकन और समाधानों का चयन स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी की मांग करता है।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए भी समुदाय के विचारों और सुझावों की जरुरत है।

ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण के उद्देश्य

ग्राम सभा के सभी सदस्यों तक ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की सूचना पहुंचाना। जिससे कि:

- नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- समुदाय के सभी वर्गों विशेषतः वंचित वर्ग यथा (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला/पुरुष) की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- समस्या ग्रस्त व्यक्ति/समुदाय की नजर उपयुक्त समाधानों पर पड़ सके।

उपयुक्त वातावरण निर्माण के लाभ

- योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सही नियोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
- स्थानीय लोगों विशेषकर वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है।
- योजना निर्माण के आगे के चरण आसान हो जाते हैं।
- समुदाय में ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व का भाव जागृत होता है।
- पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, विकलांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।
- समुदाय की यह समझ विकसित होती है कि सिर्फ सरकार या ग्राम पंचायत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, बल्कि विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान/भागीदारी आवश्यक है।
- व्यक्ति/समुदाय यह समझता है कि कई समस्याएं उनके अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार के कारण हैं, और अपने दृष्टिकोण/व्यवहार को बदल कर उस समस्या को खत्म किया जा सकता है, उदाहरणतः भ्रूण हत्या, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु, कुपोषण, बाल–विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि।

गतिविधि 2: पावर पॉइंट प्रस्तुति

पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिभागियों को बताएं कि

वातावरण निर्माण का यह अभियान राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न रूप में चलता है।
(पृष्ठ संख्या 184 पर संलग्नक 13 को रेफर करें)

राज्य स्तर पर

- मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव के लिए उन्मुखीकरण कार्य शाला का आयोजन।
- पंचायत विभाग के मंत्री द्वारा सभी स्थानीय निकायों को संबोधित, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में पत्र।

- मीडिया का सहयोग लेने के लिए सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन।

जिला स्तर पर

- जिला अधिकारी (कलेक्टर) की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख/संबंधित विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन।

ब्लॉक स्तर पर

- उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के दो सदस्य/आशा/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी/रोजगार सेवक एवं युवक मंगल दल के सदस्यों के साथ कार्यशाला का आयोजन।

पंचायत स्तर पर

- सभी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों की बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा।

अन्य गतिविधियां

- जिला पंचायत राज अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के संयुक्त पत्र के माध्यम से प्रधानों एवं कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराना।
- चलचित्र के माध्यम से गांव वालों में जागरूकता लाना।
- परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार कुछ और गतिविधियां की जा सकती हैं, जो निम्नवत् हैं

- अखबार
- रेडियो
- दूरदर्शन
- स्थानीय केबल ऑपरेटर
- सिनेमा हॉल
- सोशल मीडिया
- नुक्कड़ नाटक
- ब्रोसर, पेम्फ्लेट
- स्वयं सहायता समूह का सहयोग और सहकारी संस्थाएं

नोटः उपरोक्त गतिविधियां केवल सुझावात्मक है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य गतिविधियों का भी चुनाव कर सकते हैं।

लघु समूह कार्य : प्रतिभागियों को 5 समूह में बांटें

- उपरोक्त प्रस्तुतियों के बाद प्रतिभागियों को पांच समूह में बांटने के लिए एक से पांच तक गिनती कराएं तथा क्रमशः एक सामान संख्या वालों को एक साथ करके पांच समूह बनाएं।
- प्रत्येक समूह से कहें कि वे आपस में चर्चा के बाद ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण के लिए कोई दो माध्यम चुनें और उस माध्यम से दिए जाने वाले ऐसे सन्देश विकसित करें, जो समुदाय को प्रेरित करने में सक्षम हों।
- प्रत्येक समूह को बताएं कि उन्हें अपने चुने गए माध्यम से सन्देश प्रसारण का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करना है।
- समूहों को इस कार्य के लिए 15 मिनट का समय दें।
- समय पूरा होने पर एक–एक समूह से प्रस्तुति करवाएं।

प्रत्येक समूह की प्रस्तुति के बाद शेष प्रतिभागियों के बारे में राय लें कि

- ये सन्देश कितना प्रभावी है?
- यह सन्देश समुदाय को ग्राम पंचायत योजना निर्माण के लिए आमंत्रित करने और सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगा?
- प्रतिभागियों को विचार विमर्श के लिए प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण के माध्यम (दीवार लेखन, रैली आदि) बड़े सरल और सीमित हैं लेकिन समुदाय को जागरूक करने के हमारे उद्देश्य तभी पूरे होंगे, जब हम इन माध्यमों के लिए गढ़े जाने वाले संदेशों की गुणवत्ता के प्रति सचेत और जागरूक रहें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्य को पंचायत में नेतृत्व देने के लिए गांव के लोगों का ही एक स्रोत समूह बनाया जाता है, जिसको जिला स्रोत समूह (DRG) द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।
- संसाधन समूह को सबसे पहले ग्राम स्तर पर स्रोत समूह की एक बैठक का आयोजन करना चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर सहयोगियों की पहचान करनी चाहिए।
- बैठक में इन सहयोगियों को आमन्त्रित करना चाहिए।

बैठक का एजेंडा

- बैठक में विकास योजना की अवधारणा और उद्देश्यों पर सबकी सहमति और वैचारिक एकरूपता का प्रयास।
- योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली ''सहयोगी नियोजन'' पद्धति में ग्राम समितियों तथा अन्य भागीदारों की भूमिका पर स्पष्टता तथा सहमति।
- ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की पहचान तथा उनकी स्थिति को जानना, क्योंकि इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पंचायत में किस प्रकार के कितने संसाधन (मानव और वित्तीय) मौजूद हैं जिनके आधार पर योजना का निर्माण किया जाना है। इसे ही रिसोर्स एन्वेलप कहते हैं।
- स्थानीय स्तर पर समुदाय को योजना के बारे में जानकारी देने (वातावरण निर्माण) की रणनीति तैयार करना।
- ग्राम स्तर पर ऊर्जावान लोगों को जोड़ कर एक टास्क फोर्स गठित करना।
- ग्राम पंचायत की समितियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सूची तैयार करना और क्रियान्वयन की रणनीति बनाना।
- योजना का चरणबद्ध कलेण्डर बनाना।
- ग्राम सभा की बैठक की तिथि निर्धारित करना

माध्यम

- ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/वार्ड सदस्य द्वारा घर–घर भ्रमण के माध्यम से।
- शाला के बच्चों के माध्यम से घर–घर सूचना।
- कोटवार द्वारा मुनादी।
- संदेशों की तख्ती के साथ बच्चों/युवाओं का ग्राम भ्रमण।
- वार्ड सदस्य द्वारा वार्ड बैठक का आयोजन करके सूचना का प्रसारण।
- स्वयं सहायता समूह की बैठक/मंगल दिवस/टीकाकरण दिवस में जी.पी.डी.पी. की सूचना देकर।
- धार्मिक स्थलों पर उपलब्ध माइक के माध्यम से घोषणा।

प्रतिभागियों को बताएं कि

वातावरण निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् पूर्व निर्धारित तिथि पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

ग्राम सभा के आयोजन के उद्देश्य

- ग्राम पंचायत विकास योजना का परिचय देना तथा लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सहयोग के लिए सहायक समूहों के गठन का अनुमोदन प्राप्त करना।
- ग्राम पंचायत में मौजूद विकास के मुद्दों पर चर्चा करना।

प्रतिभागियों को बताएं कि ग्राम सभा की बैठक में निम्न की भागीदारी आवश्यक है

- ग्राम प्रधान।
- सभी 6 ग्राम पंचायत समितियों के सदस्य।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्य/समुदाय आधारित संगठन के सदस्य/युवा दल के सदस्य/ग्राम पंचायत स्तर पर गठित किसी प्रकार का संगठन।
- संबंधित विभागों के प्रतिनिधि–चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायत सचिव, बी.डी.ओ., ए.डी.ओ., पंचायत, जे.ई.–सिविल, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राथमिक विद्यालय, शिक्षक।
- ग्राम सभा के सदस्य आदि।

आगामी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें

- हर मुद्दे पर सघन चर्चा हो।
- समुदाय से आ रहे प्रश्नों के उत्तर एवं स्पष्टीकरण देकर उन्हें संतुष्ट किया जाए।
- ग्राम सभा के दौरान लिए गए निर्णयों को अंत में जोर से पढ़ कर सबको सुनाया जाए।
- ग्राम सभा की बैठक का विवरण तैयार कर ग्राम सभा के सदस्यों से हस्ताक्षरित करवाया जाए।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करें और सत्र का समापन करें।

सत्र 4

योजना निर्माण का दूसरा चरण : पारिस्थितिकीय विश्लेषण

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- पारिस्थितिकीय विश्लेषण में स्थानीय लोगों की भागीदारी के महत्व को समझ पाएंगे।
- फोर्स फील्ड एनालेसिस के माध्यम से ग्राम पंचायत की समस्याओं और उनके निराकरण में समुदाय की भूमिका को बता पाएंगे।
- सहभागिता आंकलन पद्धतियां (पी.आर.ए.) क्या हैं तथा नियोजन प्रक्रिया में उनके उपयोग के माध्यम से समस्याओं की पहचान करने तथा वास्तविक परिस्थिति का विश्लेषण करने में इन पद्धतियों की भूमिका को समझ पाएंगे।

- विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा बनाई गई विद्यालय विकास योजना एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा बनाई गई योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ जोड़ने पर समझ विकसित करना।
- ग्राम में महिलाओं एवं बच्चों की परिस्थिति को समझने एवं उनके उन्नयन में वी.एच.एन.डी. की भूमिका पर समझ विकसित करना।
- यदि विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा यदि नियोजन नहीं किया गया है तो परिस्थिति विश्लेषण की प्रक्रिया के समकालीन इनकी भी योजनाएं बनाकर ग्राम पंचायत विकास योजना में समाहित करने पर समझ विकसित हो सकेगी।

समय

120 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- वाइट बोर्ड तथा मार्कर्स
- चार्ट पेपर तथा स्केच पेन
- छः बॉक्स आइटम की छायाप्रति
- पेन ड्राइव में शिक्षापथ फिल्म की कॉपी

गतिविधि 1: फोर्स फील्ड एनालेसिस

समय
20 मिनट

फोर्स फील्ड एनालेसिस

- एक बड़ी शीट पर मोटे मार्कर से 3 का अंक लिखें। इस शीट को जमीन पर बिछा दें।
- अब प्रतिभागियों में चार प्रतिभागियों को बुलाकर शीट की एक–एक भुजा के सामने खड़ा करें।
- प्रतिभागियों से कहें कि शीट पर लिखे अक्षर अपने सामने की भुजा से ही देखें।
- उनसे पूछें कि उनकी तरफ से देखने पर शीट पर लिखा अक्षर क्या दिखाई देता है।
- जब प्रतिभागी सिर्फ अपनी तरफ की भुजा से देख कर जवाब देंगे तो सभी प्रतिभागी उस अक्षर को अलग–अलग बनाएंगे जैसे कि

  → अंग्रेजी का ''3'' का अंक
  → अंग्रेजी का ''M'' अक्षर
  → अंग्रेजी का ''W'' अक्षर
  → हिन्दी का ''उ'' अक्षर

(पृष्ठ संख्या 145 पर संलग्नक 5 को रेफर करें)

बताएं कि

महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लिखने वाले ने क्या सोच कर लिखा है, महत्वपूर्ण यह है कि देखने वाला व्यक्ति उसे किस कोण से देख रहा है।

प्रतिभागियों से पूछें कि

योजना निर्माण से पहले परिस्थितियों का विश्लेषण क्यों जरूरी है?

प्रतिभागियों से प्राप्त विचारों पर अन्य प्रतिभागियों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करें और विचारों को संक्षिप्त में बोर्ड पर नोट करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- ग्राम पंचायत में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं, संरचनात्मक ढांचे तथा सेवाओं की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए।
- समुदाय में उपस्थित मुद्दों, जरूरतों और कमियों की पहचान तथा हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए।
- यह विश्लेषण मुद्दों की प्राथमिकता तय करने और उन प्राथमिकताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने का आधार प्रदान करता है।
- प्रतिभागियों को बताएं कि फोर्स फील्ड एनालेसिस के माध्यम से हम कुछ हद तक इन परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं।

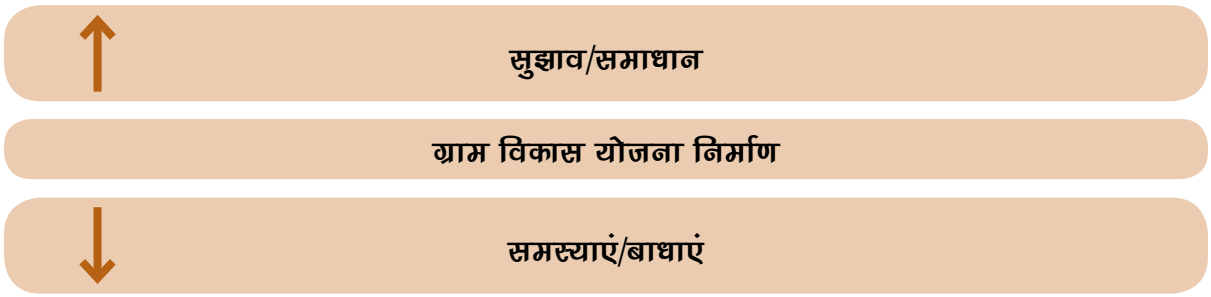

प्रक्रिया: फोर्स फील्ड एनालेसिस

नोट:

- प्रशिक्षक बोर्ड के बीच में दो रेखाएं खींच कर उसके बीच में "ग्राम विकास योजना निर्माण" लिखें।
- प्रशिक्षक इस चर्चा को इस प्रकार नियोजित करें जिससे गतिविधि के पहले चरण में प्रतिभागी ग्राम स्तर पर व्याप्त समस्याओं/बाधाओं और उनके लिए जिम्मेदार लोगों (जन प्रतिनिधि, सेवा दाता और वे खुद या समुदाय के लोगों) को चिन्हित करें।
- चिन्हित समस्याओं/बाधाओं को बोर्ड पर खींची गई रेखा के नीचे सूचीबद्ध करें।
- प्रतिभागियों से कहें कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई ऐसी प्रशासनिक समस्या पर चर्चा न करें जिसका समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर संभव न हो।
- गतिविधि के दूसरे चरण में समुदाय से चिन्हित समस्याओं पर क्रमशः चर्चा करके और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए यदि जागरूकता के अभाव में बच्चों का टीकाकरण प्रभावित है तो समाधान ये है कि आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शिक्षक, टीकाकरण करवाने वाले परिवार के कोई सदस्य उन घरों में जाकर परामर्श करें।
- समुदाय से आए सुझावों/समाधानों को बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में सूचीबद्ध करें।
- प्रतिभागियों से चिन्हित समस्याओं/बाधाओं तथा लोगों की जिम्मेदारियों का विश्लेषण करवा कर उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाएं कि अधिकांश बाधाएं/समस्याएं इस प्रकार की थी जिनका समाधान उनके पास था, या समस्या का कारण वे खुद थे या उनके सक्रिय होने से समस्या सुलझ जाएगी।
- फोर्स फील्ड एनालेसिस से संबंधित डायग्राम संलग्न करें।

गतिविधि 2: पी.आर.ए. पद्धति

समय
60 मिनट

प्रतिभागियों से पूछें कि

परिस्थितियों को समझने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने का काम ज्यादा प्रभावशाली कब होगा:

- जब उसे कुछ लोग करें अथवा उसे समुदाय के सहयोग से किया जाए।

प्रतिभागियों को इस बात से सहमत करें कि समुदाय की भागीदारी से आंकड़ों और जानकारियों का संकलन तथा विश्लेषण ज्यादा प्रभावी होगा क्योंकि उसमें स्थानीय समाधान भी सामने आएंगे और समुदाय में स्वामित्व का भाव जागृत होगा।

इस प्रक्रिया को ग्रामीण सहभागिता आंकलन पद्धति (पी.आर.ए.) से करने के लाभ समझाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि संचालित करें:

पी.आर.ए. में यही महत्वपूर्ण है कि इस पद्धति के माध्यम से हमें समस्याओं और परिस्थितियों का वह दृष्टिकोण मिलता है, जिसको स्थानीय व्यक्ति अपने जीवन में जी रहा है। स्थानीय लोगों के नजरिए को पकड़ने और समझने में तथा उनके अनुरूप समाधान तलाशने में जहां यह प्रक्रिया/पद्धति सर्वाधिक मददगार होती है, वहीं दूसरी ओर उनके नजरिए/दृष्टिकोण/व्यवहार में बदलाव लाने के बिन्दुओं की भी पहचान कराती है।

जैसे कि

- गोबर के जिस ढेर को स्थानीय लोग घूरा मान कर अनदेखा करते हैं, वह आपकी नजर में बीमारियां फैलने का बड़ा कारण हो सकता है और चर्चा के दौरान ये ग्रामीण इस गलती का एहसास करके घूरे के प्रति दृष्टिकोण बदलकर व्यवहार बदल सकते हैं।
- परिस्थितिकीय विश्लेषण करने के लिए सबसे जरूरी है कि विभिन्न समस्याओं और मुद्दों के बारे में गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी जुटायी जाएं। संख्यात्मक जानकारी जुटाने के लिए, सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अलावा घर–घर सर्वे से जानकारी जुटाई जा सकती है।
- गुणात्मक जानकारियां प्राप्त करने के लिए विषय केन्द्रित समूह चर्चा (फोकस ग्रुप डिस्कशन) तथा सहभागिता आंकलन पद्धति प्रयुक्त की जाती हैं।

परिस्थिति के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं:

- विषय केन्द्रित समूह चर्चा (FGD)।
- हाउस होल्ड सर्वे।
- रिसोर्स मैपिंग/एसेट्स मैपिंग।
- सोशल मैपिंग।
- ग्राम भ्रमण।

उपरोक्त पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु संलग्नक का अवलोकन करें। *(पृष्ठ संख्या 146, 155, 164 पर संलग्नक 6, 7, 8 को रेफर करें)*

समूह कार्य

प्रतिभागियों को 5 समूहों में बांट दें तथा हर समूह को उपरोक्त पद्धति में से एक पद्धति आवंटित करें। हर समूह पद्धति के संबंध में निम्न मुद्दों पर चर्चा करें:

- इस पद्धति के क्या लाभ हैं?
- क्या सीमाएं हैं?
- इनको करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है?
- इस कार्य के लिए समूहों को 15 मिनट का समय दें।
- समय पूरा होने पर प्रस्तुतियां करवाएं।
- छूटे हुए बिन्दुओं को शामिल करवाएं।

गतिविधि 3: समूह कार्य

समय
40 मिनट

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के बाद सभी प्रतिभागियों को शिक्षा पथ फिल्म दिखायें। प्रशिक्षक सत्र को समेकित करते हुए पुनः प्रतिभागियों को 6 समूहों में बांट दें और निम्न 6 बिन्दुओं से जुड़ी लिखित सामग्री उपलब्ध करा कर प्रस्तुतीकरण करने को कहें:

1. विद्यालय विकास योजना
2. पेय जल एवं स्वच्छता
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
4. बाल संरक्षण
5. नवजात शिशु की देखभाल
6. जीवन के पहले हजार दिन

प्रतिभागियों को बताएं कि ये गतिविधियां/विषय गांव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और योजना बनाने में इनका समावेश करना जरूरी है।

विषय पढ़कर प्रस्तुतीकरण बनाने के लिए 30 मिनट तथा विषयवार प्रस्तुतीकरण करने हेतु प्रत्येक समूह को 10 मिनट का समय दें (कुल समय 40 मिनट)

नोटः प्रशिक्षकों हेतु दिशा–निर्देश, योजना बनाते समय निम्न विषयों का विश्लेषण सुनिश्चित कर योजना निर्माण में उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाए। प्रत्येक बॉक्स आइटम हेतु क्रम संख्या उपलब्ध कराएं।

1. विद्यालय विकास योजना

यहां पर "शिक्षा पथ" फिल्म का प्रदर्शन किया जा सकता है।

विद्यालय विकास योजना के बारे में चर्चा करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय विद्यालय विकास योजना को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रतिभागियों को विद्यालय विकास योजना के बारे में निम्न जानकारी दें:

- यदि प्रतिभागियों में से किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो उसे पहले अपनी बात रखने दें।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत समुदाय और अध्यापकों को यह अवसर प्रदान किया है कि वे संयुक्त प्रयास से अपने विद्यालय के लिए एक सशक्त विद्यालय विकास योजना तैयार करें।
- यह योजना बच्चों, महिलाओं व अपवंचित समुदाय के अभिभावकों को भी अपने बच्चों के लिए विद्यालय में प्राप्त होने वाली सुविधाओं एवं शिक्षा व्यवस्था पर अपने सुझाव देने के अवसर प्रदान करती है।

- विद्यालय विकास योजना विद्यालय के सेवा क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी बस्तियों के संबंध में सहभागिता पूर्ण तरीके से किए गए सूक्ष्म नियोजन की एक प्रक्रिया है।
- विद्यालय विकास योजना इसलिए भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि समय–समय पर विद्यालय में आने वाले नए अध्यापक व विद्यालय प्रबंधन समिति के नए सदस्य इस दस्तावेज के आधार पर आगे कार्य कर पाते हैं।
- विद्यालय विकास योजना तैयार करने का काम बस्ती ग्राम के किसी एस.एम.सी. सदस्य के नेतृत्व में ऐसे मूल दल द्वारा किया जाता है, जिसमें चुनिंदा सामुदायिक नेता, एन.जी.ओ. प्रतिनिधि, मुख्य अध्यापक, माता–पिता, विशेष रुप से सुविधा वंचित वर्ग के समूहों और दुर्बल वर्ग तथा दिव्यांग बच्चों के माता–पिता एवं पंचायत सदस्य शामिल हों।
- विद्यालय विकास योजना बनाते समय बस्तियों में स्थित प्रत्येक परिवार के साथ गहरा संवाद किया जाता है। विद्यालय विकास योजना की परिकल्पना एक ऐसी व्यापक योजना के रूप में की गई है, जो स्कूल के सभी पक्षों पर जैसे कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, भौतिक सुविधाएं, कक्षा–कक्ष प्रक्रिया, सी.सी.ई. और समावेशन आदि पर ध्यान केन्द्रित करती हों।
- प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति अपने विद्यालय के लिए तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार करती है। विद्यालय विकास योजना को प्रत्येक वर्ष रिव्यू करके अपडेट किया जाता है।
- विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व यानी दिसंबर माह में विद्यालय विकास योजना तैयार करती है।

2. पेय जल तथा स्वच्छता

ग्राम पंचायत विकास योजना (हमारी योजना हमारा विकास) के सहयोगार्थ जल व स्वच्छता विषयक गतिविधियों की सूची।

73 वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था, एवं रख–रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रुप से दिया गया है। यह व्यवस्था प्रभावी रुप से ग्राम पंचायत के अपने क्षेत्रान्तर्गत संस्थानों व स्थापित सामाजिक सुविधाओं पर लागू होगा।

नीचे तालिका में दिये गयी गतिविधियां ग्रामीण क्षत्रों में जल स्वच्छता सुविधाओं एवं सेवाओं के रख–रखाव के लिये अति महत्वपूर्ण है, जिनको कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है:

ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां	प्रस्तावित धनराशि (रु. में)
हैण्डपम्प– रख–रखाव	
• ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों को जून से सितम्बर महीनों में दो बार एवं शेष महीनों में एक बार क्लोरिनेट किया जाना। (रु. 30 प्रति हैण्डपम्प प्रत्येक क्लोरिनेशन पर)	रु. 480/– प्रति हैण्डपम्प प्रति वर्ष
• हैण्डपम्प के चारों ओर नियमित रुप से स्वच्छता स्थिति में सुधार जैसे कि चबूतरे की मरम्मत, नाली व निष्प्रयोज्य जल एवं कूड़ा–करकट का प्रबन्धन।	रु. 1500/– प्रति हैण्डपम्प
• जल गुणवत्ता परीक्षण (वर्ष में दो बार जैविकीय परीक्षण एवं एक बार रासायनिक परीक्षण)	रु. 300/– प्रति हैण्डपम्प प्रति वर्ष
• हैण्डपम्पों की आवश्यकतानुसार मरम्मत	रु. 1500/– प्रति हैण्डपम्प प्रति वर्ष
पाइप द्वारा जलापूर्ति	
• पम्प हाउस को ऊपर किया जाना, पम्प, मुख्य निकास व टैंकों का रख–रखाव।	रु. 20000/– प्रति वाटर सप्लाई स्कीम प्रति वर्ष
• दैनिक प्रबन्धन/गतिविधियोंः पम्प का संचालन, जल का क्लोरिनेशन, बिजली विल का भुगतान जिसमें कि इकाई संचालक का मानदेय सम्मिलित है।	रु. 120000/– प्रति वाटर सप्लाई स्कीम प्रति वर्ष
• अन्य जैसे सप्लाई कनेक्शन चैनल/वितरण में लीकेज का मरम्मत	रु. 250/– प्रति घर/कनेक्शन एवं प्रति सामान्य हैण्डपोस्ट
स्वच्छता	
• स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालयों एवं हैण्डवासिंग सुविधाओं की नियमित देखभाल (साप्ताहिक आधार पर)	धनराशि की आवश्यकता नही
• निर्मित स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालयों एवं हैण्डवासिंग सुविधाओं की नियमित व आवश्यकतानुसार मरम्मत	रु. 2000/– प्रति स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालय एवं हैण्डवासिंग प्रति वर्ष
• स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालयों एवं हैण्डवासिंग सुविधाओं की स्थापना (एक बार)	रु. 15000/– प्रति स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालय एवं हैण्डवासिंग
• सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा–करकट एवं नालियों की सफाई	रु. 5000/– प्रति ग्राम, प्रति वर्ष

प्रतिभागियों को बताएं कि:

- संविधान के 73वें संशोधनों के मुताबिक, ग्रामवासियों को पर्याप्त और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है।
- 14वें केन्द्रीय तथा चौथे राज्य वित्त आयोगों की धनराशि के उपयोग में ग्रामीण जल आपूर्ति को पहली प्राथमिकता दी गई है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में पेय जल, स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है ताकि सभी नागरिकों को, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों और समुदायों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जा सके।
- इसी प्रकार स्वच्छता भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है।
- प्रतिभागियों से पूछें कि पेय जल तथा स्वच्छता से संबंधित कौन–कौन से कार्य पंचायत को करने होते हैं, तथा किन–किन कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए?

निम्न बिन्दुओं के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएं:

- जून से सितंबर के बीच प्रतिमाह दो बार तथा इसके बाद महीने में एक बार पानी को क्लोरीनेट करना।
- हैंड पंप के आस–पास साफ–सफाई सुनिश्चित करना। इसमें हैंड पंप के चबूतरे तथा नाली की मरम्मत, पानी की निकासी तथा कूड़े का निस्तारण शामिल है।
- नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण (वर्ष में दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल और एक बार केमिकल परीक्षण)।
- हैंड पंप की मरम्मत।
- जहां पाइप से पानी आता है, वहां पंप हाउस, पंप तथा टैंक की देखरेख, प्रतिदिन का प्रबंधन, पंप को ऑपरेट करना, पानी को क्लोरीनेट करना, बिजली के बिलों का भुगतान, पाइपों में लीकेज होने पर रिपेयर करवाना।
- देखना कि विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में टॉयलेट काम कर रहा है या नहीं तथा बच्चे साबुन पानी से हाथ धोते हैं या नहीं।
- आंगनवाड़ी केन्द्र तथा विद्यालय के टॉयलेट की मरम्मत तथा साबुन से हाथ धोने के लिए पानी का प्रबंध।
- विद्यालय में हाथ धोने की सामूहिक जगह का निर्माण।
- सार्वजनिक स्थानों की नालियां साफ रखना तथा ठोस कूड़े का निस्तारण।
- देखना कि गांव में सभी लोग शौचालयों का निर्माण तथा उपयोग कर रहे हैं।
- सफाई कर्मी के कार्यों का सुपरविज़न।
- आशा, द्वारा किये गये गृह भ्रमणों एवं दी गयी सेवाओं के विषय में समीक्षा करें व समिति के सदस्य स्वयं भी गृह भ्रमण कर दी गयी सेवाओं का भौतिक सत्यापन करें।
- गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं का संदर्भन, स्वास्थ्य इकाई पर दिए गए उपचार एवं स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार के विषय में परिवार का फीडबैक लेना।
- मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु के कारणों का पता लगाकर उचित उपचारात्मक कार्यवाही करना (समुदाय में जागरूकता स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच एवं गुणवत्ता के विषय में स्वास्थ्य एवं प्रशासकीय अधिकारियों को अवगत करना)।

3. ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस

तथ्य

- ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा के संयुक्त प्रयास से नियत दिवस (बुधवार और शनिवार) पर प्रत्येक गांव में माह में एक बार आयोजित कराना। (उप स्वास्थ्य से सम्बद्ध छूटे हुए गांव में उसी माह के अन्य दिवसों पर आयोजन)
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केन्द्र में या समुदाय द्वारा सर्व सम्मति से तय किए गए किसी स्थान पर किया जाता है।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए मोबलाइजेशन का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा द्वारा किया जाता है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी

- गर्भवती महिलाएं।
- धात्री माताएं।
- बच्चे (0 से 5 वर्ष तक के)
- किशोरी बालिकाएं (10 से 19 वर्ष)।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दी जाने वाली सेवाएं

गर्भवती और धात्री माताओं के लिए:

- समस्त गर्भवती महिलाओं का पंजीयन।
- गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था की देखभाल।
- गर्भवती और धात्री माताओं के लिए टेटनेस के टीके, आयरन एवं कैल्शियम की गोली की उपलब्धता।
- छूटी हुई गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं सेवाएं प्रदान करना।
- गर्भावस्था के जोखिमों की पहचान कराते हुए, उच्च जोखिम वाले प्रकरणों का रेफरल (संदर्भन)
- शिशु जन्म से पूर्व की सलाह– गर्भावस्था में पोषण एवं देखभाल, साफ–सफाई, संस्थागत प्रसव, नवजात की स्वास्थ्य जांच एवं गंभीर रुप से बीमार नवजात शिशुओं का एस.एन.सी.यू./ एन.बी.एस.यू. में संदर्भन, प्रसव पश्चात मां की देखभाल इत्यादि।
- गर्भवती और धात्री माताओं के लिए अनुपूरक पोषाहार का वितरण।
- नव दम्पतियों और योग्य दम्पतियों को दो बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने के लिए कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता एवं वितरण।

बच्चों के लिए

- नियमित टीकाकरण।
- छूटे हुए बच्चों के लिए टीकाकरण।
- बच्चों का वज़न, रिकॉर्ड (वज़न) का रख–रखाव एवं वज़न का अनुश्रवण।
- विटामिन ए, आयरन सिरप और बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवा की उपलब्धता और वितरण।
- बच्चों में डायरिया का प्रबंधन (ओ.आर.एस. एवं जिंक) की उपलब्धता एवं प्रयोग विधि की चर्चा तथा बुखार एवं निमोनिया की स्थिति में रेफरल।
- सामान्य एवं कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषक आहार।

किशोरी बालिकाओं के लिए

- किशोरियों को पोषण एवं किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श तथा चर्चा।
- किशोरियों के लिए पेट के कीड़े मारने की दवा की उपलब्धता और वितरण।
- किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन का वितरण।
- किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य और विवाह की सही आयु पर किशोरी शिक्षा।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी जाने वाली परामर्श सेवाएं

- गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण परामर्श। (प्रसव पश्चात् मां एवं नवजात के स्वास्थ्य जांच के लिए आशा किन–किन दिनों में उनके घर आएगी व स्वास्थ्य जांच में क्या–क्या कार्य करेगी, नवजात शिशु में खतरे की लक्षणों की पहचान एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक के शिशुओं के बीमार होने की दशा में प्रदत्त निःशुल्क सेवाओं के सम्बन्ध में)
- भोजन पकाने में रखी जाने वाली साफ–सफाई पर परामर्श।
- स्थानीय उपलब्ध खाद्य सामग्री के भोजन में उपयोग पर परामर्श।
- आयरन, विटामिन तथा अतिरिक्त पोषण के महत्व पर परामर्श।
- गर्भावस्था के जोखिमों के लक्षण प्रसव पूर्व तैयारियों पर परामर्श।
- नवजात को तुरंत स्तनपान, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान और 6 माह बाद पोषण आहार की शुरुआत के साथ स्तनपान पर परामर्श।
- डायरिया प्रबंधन पर परामर्श।
- स्वच्छता के सभी घटकों पर परामर्श।
- दो बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने के लिए माताओं को परामर्श।

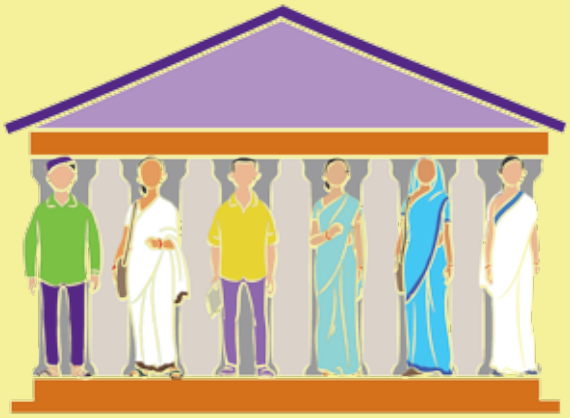

जिम्मेदार सेवादाता

- ए.एन.एम.
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- आशा
- ग्राम पंचायत सदस्य
- आंगनवाड़ी सहायिका
- समुदाय प्रतिनिधि
- संगिनी (आशा समूह से)

ए.एन.एम. के दायित्व

- समस्त औषधि, जरूरी उपकरण एवं शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना।
- नवजात का पंजीयन।
- नियमित एवं सम्पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए की उपलब्धता।
- किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को टेटनेस के टीके।
- गर्भावस्था की प्रभावी देखरेख और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण।
- गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आयरन, कैल्शियम, डीवार्मिंग, गोलियों का वितरण।
- डायरिया का प्रबंधन और बुखार, निमोनिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ितों का रेफरल।
- बच्चों और किशोरियों के लिए पेट के कीड़े मारने की दवा का वितरण।
- सैम (Severe acute malnutrition) बच्चों का चिन्हांकन और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य केन्द्र/एन.आर.सी. (Nutrition Rehabilitation Centre) पर रैफरल।
- किशोरियों को टेटनेस और आयरन की गोलियों के उपयोग हेतु परामर्श।
- वी.एच.एन.डी. (Village Health Nutrition Day) सत्र का अभिलेखन कर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व

- सेवाओं से संबंधित लाभार्थियों की सूची तैयार करना।
- सत्र के समय आंगनवाड़ी केन्द्र की साफ–सफाई एवं स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना।
- वी.एच.एन.डी. के समय बैनर, जी.एम.आर., वज़न मशीन, एस.एन.पी, एम.सी.पी. कार्ड, पानी और साबुन की व्यवस्था करना।
- नवजात शिशु की देखभाल के लिए परामर्श।
- वज़न, वज़न अनुश्रवण के अभिलेखीकरण और जी.एम.आर. और एम.सी.पी. कार्ड पर प्लाटिंग।
- कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन, रेफरल और फॉलोअप।
- अनुपूरक पोषाहार (एस.एन.पी.) का वितरण।

आशा के दायित्व

- नवजात की देखभाल एवं खतरों के बारे में परामर्श। (आशा हाल के जन्मे बच्चे के घर जाकर हर बार उसका वज़न करेगी, थर्मामीटर से तापमान जांचेगी, निमोनिया व अन्य इन्फेक्शन की जांच करेगी। बच्चे को गोद में लेने से पूर्व किस प्रकार साबुन से हाथ धोए जाएं, नाल की देखभाल कैसे की जाए, बच्चे को ठण्डे बुखार से बचने के लिए कम्बल में कैसे लपेटा जाए व सीने से किस प्रकार लगाकर रखा जाए, स्तनपान कब, कैसे व कितनी बार कराया जाए इसके बारे में मां को सिखाएगी। आशा नवजात शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान मां को सिखाएगी ताकि आवश्यकता होने पर वह उसे अस्पताल ले जा सके)।
- सैम बच्चों का टेप से मध्य भुजा का माप (MUAC), रेफरल और फॉलो–अप।
- टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों का चिन्हांकन।
- छूटी हुई गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था की जांच के लिए चिन्हांकन।
- वी.एच.एन.डी. के स्थान पर ओ.आर.एस. के डिपो की व्यवस्था।

जन प्रतिनिधि/प्रधान

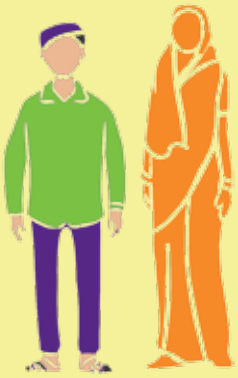

- वी.एच.एन.डी. के स्थान पर शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वी.एच.एन.डी. के दौरान बैठने की व्यवस्था, वज़न मशीन की व्यवस्था, परीक्षण के लिए उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शुद्ध पेय जल के उपयोग, स्वयं की देखभाल और घर की साफ–सफाई पर समूह चर्चा।
- बच्चों की देखभाल और सफाई पर चर्चा।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था।

- प्रसव पश्चात् मां एवं नवजात के स्वास्थ्य जांच के लिए आशा किन–किन दिनों में उनके घर आएगी व स्वास्थ्य जांच में क्या–क्या कार्य करेगी, नवजात शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक के शिशुओं के बीमार होने की दशा में प्रदत्त निःशुल्क सेवाओं के विषय में समुदाय में जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार (मुनादी, दीवार लेखन, मस्जिद से एलान इत्यादि) करना।
- यदि बीमार नवजात शिशु की अस्पताल में उचित देखभाल नहीं हो पाती है तो ऐसी दशा में विभाग अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराना।
- समिति की बैठक में आशा द्वारा किये गये गृह भ्रमणों एवं दी गयी सेवाओं के विषय में समीक्षा करें तथा समिति के सदस्य स्वयं भी गृह भ्रमण कर दी गयी सेवाओं का भौतिक सत्यापन करें।
- कई बार वज़न मशीन, डिजिटल घड़ी, डिजिटल थर्मामीटर इत्यादि उपकरण खराब होने के कारण आशा कार्यकत्री नवजात की स्वास्थ्य जांच नहीं कर पाती है। ऐसे में इन उपकरणों का क्रय समिति के अनटाइड फण्ड से किया जा सकता है। वज़न मशीन 350 रूपये, थर्मामीटर अधिकतम 150 रूपये, एवं डिजिटल घड़ी अधिकतम 100 रूपये के बाजार मूल्य पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराना एवं आकस्मिकता की दशा में दवा क्रय कर निर्धन परिवारों को उपलब्ध कराना।
- कई बार जागरूकता के अभाव, पारिवारिक समस्याओं एवं आर्थिक कारणों से परिवार गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को जनपद स्तर पर स्थित एस.एन.सी.यू. में दिखाने भर्ती कराने या जब तक नवजात शिशु स्वस्थ न हो जाए, तब तक एस.एन.सी.यू. में भर्ती रखने या ठीक होने के पश्चात् फॉलोअप के लिए पुनः नवजात को एस.एन.सी.यू. नहीं ले जाते हैं। ऐसी दशा में कई ऐसे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है जिन्हें बचाया जा सकता है। ऐसे नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में दिखाने, भर्ती कराने, या जब तक नवजात शिशु स्वस्थ न हो जाए, तब तक एस.एन.सी.यू. में भर्ती रखने या ठीक होने के पश्चात् फॉलोअप के लिए समझाना।
- एम्बुलेंस सेवा में समयबद्धता के साथ सेवा उपलब्ध न कराने, अस्पताल में उचित देखभाल न होने की दशा में समिति जनपद स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करा समस्या समाधान के लिए दबाव भी बना सकती है।

प्रभावी व्यक्ति/स्वयं सेवी

- बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति विशेष तथा समुदाय के सदस्यों के साथ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मुद्दों पर चर्चा करें तथा गांव की समस्याओं से ग्राम प्रधान को अवगत कराना।
- गांव के उन परिवारों से जो सरकार की मातृ एवं शिशु पोषण स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं/सेवाएं नहीं ले रहे हैं, उनके साथ परामर्श करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के उपरांत फॉलोअप एक्शन

- उन परिवारों का फॉलोअप किया जाना, जो आगे रेफर किए गए हैं।
- सैम बच्चों में होने वाले सुधार का अनुसरण किया जाए जिससे कि निम्न स्तर के कुपोषण ग्रेड से बचाया जा सके।
- जिन बच्चों का उपचार किया गया है, उनका फॉलो अप किया जाए।
- प्रसव से पूर्व महिला को प्रसव पूर्व तैयारियों एवं तुरंत स्तनपान के लिए सहयोग किया जाए।

एक नजर : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान, पहले और बाद में (ग्रुप 3 को चर्चा के लिए इसकी प्रतिलिपि दें)

वी.एच.एन.डी. से पूर्व	वी.एच.एन.डी. के समय	वी.एच.एन.डी. के बाद
नियमित टीकाकरण से छूटी हुई गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सूची तैयार करना।	ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा की अनिवार्य उपस्थिति। ग्राम पंचायत प्रधान की उपस्थिति।	अभिलेखीकरण करना।
आवश्यक सामग्री एच.बी. टेस्टिंग किट/वज़न मशीन, यूरी स्टिक, बी.पी. मशीन, बैनर, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, आई.एफ.ए. (सिरप, लाल और नीली गोलियां) फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, ओ.आर.एस., ज़िंक की गोलियां, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, ई.सी.पी. वैक्सीन, हब कटर दवाएं सिरिंज (ए.डी. और reconstitution, टेक होम राशन (टी.एच.आर.)।	आवश्यक सामग्री की उपलब्धता।	छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई कुपोषित बच्चों की सूची आशा को जरूरी कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराना।	आवश्यक सामग्री की उपलब्धता।	फॉलोअप प्लान का निर्धारण।
आशा द्वारा बीमार बच्चों की सूची तैयार करना।	सूची के अनुसार बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। कुपोषित बच्चों का वज़न और सैम की Stunting हेतु MUAC टेप का उपयोग	फॉलोअप प्लान का निर्धारण।

प्रसव जांच के लिए उचित स्थान, पानी, शौचालय एवं हाथ धोने की सामग्री की व्यवस्था। गर्भवती महिलाओं की संख्या।	ए.एन.सी. जांच के लिए उपस्थित गर्भवती महिलाओं की स्थिति। गर्भावस्था के परीक्षण की स्थिति।	फॉलोअप प्लान का निर्धारण।
ग्राम पंचायत से जुड़े पुरवों की संख्या तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।	कुल कितने बच्चों का टीकाकरण संपन्न हुआ।	वी.एच.एन.डी. में अनुपस्थित रहे परिवारों का चिन्हांकन।
वी.एच.एन.डी. के समय का निर्धारण। कुल गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों की संख्या जिनके द्वारा आयरन की गोलियां प्राप्त की गई। नवजात शिशुओं की संख्या जिनका कि गृह भ्रमण कर स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श दिया जाना है। गंभीर रुप से बीमार चिन्हित नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें कि संदर्भित किया जाना है अथवा एस.एन.सी.यू. से वापिस आए नवजात जिनका कि फॉलोअप किया जाना है।	गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं बच्चों द्वारा प्राप्त कुल आयरन। आयरन की गोलियों के संबंध में दिया गया परामर्श, सेहत संबंधी असामान्य स्थितियों के प्रबंधन पर परामर्श।	आयरन की गोली प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से फीडबैक लेना एफॉलोअप परामर्श।
चिन्हित समुदाय सदस्यों को सूचित करना तथा वी.एच.एन.डी. में आने के लिए प्रेरित करना।	कुल कितने एम.सी.पी. कार्ड भरे गए।	उन परिवारों का चिन्हांकन, जिनके पास एम.सी.पी. कार्ड नहीं हैं।
वी.एच.एन.डी. के उपयुक्त स्थान चयन के लिए समुदाय से विमर्श।	समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान उचित हो और उचित साधन की सुनिश्चित करना	वी.एच.एन.डी. तक पहुंचने के लिए साधन की सुनिश्चितता समुदाय द्वारा चिन्हित समस्याओं का निराकरण।
वी.एच.एन.डी. में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्थान। लाभार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था।	समुदाय, लाभार्थियों के बैठने हेतु उचित व्यवस्था, प्रसव जांचों के लिए उपयुक्त स्थान। परामर्श के लिए अलग व्यवस्था।	स्थान संबंधी समस्याओं का निराकरण। गर्भवती महिलाओं के प्रसव जांच के समय लेटने हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
समुदाय के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार जो वी.एच.एन.डी. की विभिन्न सेवाओं एवं साफ–सफाई के लिए प्रभावी हो।	प्रभावी परामर्श। सेवादाता में हितग्राही की मानोवृत्ती के आकलन की क्षमता। ऐसे समुदाय का चिन्हांकन जो भ्रांतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को लेने में हिचकते हैं।	जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों समुदाय में चिन्हित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक।

4. बाल संरक्षण

बच्चों के विरूद्ध हिंसक घटनाओं की रोकथाम में पंचायत सदस्यों की भूमिका

- पंचायत सदस्यों को यह जानना जरूरी है कि यदि बच्चे स्कूल नहीं जाते या स्कूल छोड़ देते हैं या नियमित स्कूल नहीं जाते तो ये स्थितियां बच्चों के बाल श्रम और बाल विवाह के लिए सहायक होती हैं, इसलिए बच्चों की स्कूल शिक्षा व नियमित शिक्षा और स्कूल में पूर्ण पंजीयन के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- यदि बच्चा ज्यादा समय स्कूल में बिताएगा तो वह जहां एक ओर समुदाय में व्याप्त बुराइयों से ज्यादा समय तक दूर रहेगा, वही स्कूल में संस्कारित भी होगा, जो भविष्य में उसे बुराइयों से लड़ने की क्षमता देगा।

पंचायत को बच्चों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए

बाल विवाह एवं बाल श्रम से बचाव के लिए बच्चों का चिन्हांकन	कार्य योजना
6 से 14 वर्ष के बच्चे	स्कूल शिक्षक के सहयोग से बच्चों को स्कूल वापस लाने की प्रक्रिया और उनकी नियमित शिक्षा पर जोर देने की योजना बनाना। इस प्रक्रिया में शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों और गांव के प्रभावी व्यक्तियों का सहयोग लेना।
14 से 18 वर्ष के बच्चे	बच्चों को ओपन स्कूल से जोड़ना, ताकि वे दसवीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी कर सकें। आठवीं की पढ़ाई पूरी कर चुके बच्चों को नजदीक के सरकारी स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए कार्यवाही की जाए।
16 वर्ष से ऊपर के बच्चे	यदि इस उम्र के बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ा जा सकता, तो ऐसे बच्चों को श्रम विभाग की बिल्डिंग कंस्ट्रकशन योजना के अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सरकारी या एन.जी.ओ. द्वारा सहायित वोकेशनल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए।
पांचवीं या आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियां	ऐसी लड़कियां बाल विवाह के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं। पंचायतों को इस दिशा में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। इस कार्य में गांव के प्रभावी लोगों की मदद ली जानी चाहिए। लड़कियों के स्कूल छोड़ने की स्थिति में पंचायत सदस्यों तथा प्रधान द्वारा उन परिवारों के मुखियाओं को समझाकर बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य नहीं मानते तो कानून के प्रावधानों और प्रभावी व्यक्तियों का दबाव बनाया जा सकता है।

- यदि गांव में स्कूल छोड़ने वाले और बाल श्रम में संलग्न बच्चों की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो शिक्षा विभाग के सहयोग से या श्रम विभाग की एन.सी.एल.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाना चाहिए। इससे सरकारी स्कूल में बच्चों के पंजीयन में सहयोग मिलेगा और बच्चों में सीखने की क्षमताओं का विकास होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयु के अनुसार बच्चों को कक्षा में प्रवेश मिले और यह सुनिश्चित किया जाए कि अब ये बच्चे नियमित स्कूल जाएं।

- एस.एस.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए छात्रावास का प्रावधान हो, जिससे कि विस्थापन वाले परिवार के बच्चों को छात्रावास की सुविधा मिल सके।
- अत्यधिक गरीब परिवारों और उनके बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। श्रम विभाग की बिल्डिंग कंस्ट्रकशन योजना में पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाए, जिसमें पलायित परिवारों का पंजीयन सरलता से हो सके। इसके अलावा बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को आधार से जोड़ने के लिए भी ग्राम स्तर पर शिविर लगाए जा सकते हैं।
- पंचायत के सभी निवासियों को बाल श्रम कानूनों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया जा सके।
- जो व्यक्ति बच्चों से बाल श्रम करवाता है उसके खिलाफ जुर्माना तथा कैद की सजा भी कराई जाए।
- पहली बार चेतावनी देते हुए दूसरी बार अनिवार्य रूप से कैद की सजा कराएं। बाल श्रम कानून में यह यश उल्लेखित है कि बच्चे स्कूल के बाद घर के काम में सहायता कर सकते हैं लेकिन बच्चों के मनोरंजन, खेल और शिक्षा में व्यवधान न आए।
- बाल श्रम और बाल विवाह के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि ये बच्चे शारीरिक और मानसिक शोषण के ज्यादा जोखिम में होते हैं।
- किशोर बालिकाओं की जल्दी शादी से भी या गांव छोड़ने से गलत तरीके (Piligle) काम में लिप्त होने से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही किशोर बालिकाओं को वेश्यावृत्ति या सस्ते श्रम के लिए बेचा भी जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पंचायत द्वारा भी जन जागरूकता अभियान का आयोजन करना चाहिए।
- किशोरी बाल विवाह से माता मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और शारीरिक विकास में आने वाले नुकसान/प्रभाव के बारे में भी जागरूकता कार्यक्रम किया जाना चाहिए।
- बच्चों में यौन शोषण की रोकथाम हेतु, ग्राम पंचायत स्तर पर एस.एम.सी. पंचायत के सहयोग से बच्चों के लिए अच्छा स्पर्श एवं बुरा स्पर्श के विषय पर सब आयोजन करें। समुदाय और स्कूल स्तर पर पॉस्को एक्ट के बारे में भी चर्चा और जन जागरूकता की जाए।
- प्रायः यह देखा जाता है कि शिक्षकों के बुरे व्यवहार या किसी अन्य कारणों से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत शिक्षा का अधिकार कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से बचाने के क्रम में शिक्षकों को जागरूक करें। साथ ही शिक्षकों के इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
- पंचायत को सचेत रहना चाहिए कि बच्चों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाए। यदि इसका दुरूपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम भी बच्चे को गलत दिशा की ओर प्रेरित करते हैं, इसलिए वयस्क एवं बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल का प्रयोग सार्थक रूप से ही किया जाए, जिससे कि वयस्क एवं बच्चे समाज में व्याप्त कुरीतियों से बच सकें।

5. नवजात शिशु की देखभाल

ग्राम प्रधानों के लिए नवजात शिशु की देखभाल संबंधी उपयुक्त जानकारियां

- स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सा केन्द्र पर ही प्रत्येक प्रसव का होना सुनिश्चित हो।
- जन्म के तुरन्त बाद शिशु का वज़न कर उसको रिकॉर्ड करना।
- जन्म के समय कम वज़न वाले शिशुओं का चिन्हांकन करना (<2.5 कि.ग्रा.) साथ में समय पूर्व जन्मित शिशुओं का चिन्हांकन करें (<37 सप्ताह)।
- जन्म के उपरांत आशा का भ्रमण सुनिश्चित हो – 0, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन।
- मां एवं शिशु के रहने का स्थान साफ एवं हवादार हो।
- जन्म के 48 घंटों के भीतर ही नियमित टीकाकरण का प्रारंभ अनिवार्य।
  (पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्नक 4 को रेफर करें)
- जन्म के समय कम वज़न, समय–पूर्व जन्मित शिशु, जो अनुकूल अनियमितता का शिकार हों, उन्हें समुचित परामर्श के लिए जिला–स्तरीय एस.एन.सी.यू. में रेफर किया जाना चाहिए।
- नवजात शिशु की देखभाल संबंधी आवश्यक बिंदु।
- जन्म के पश्चात् एक घंटे के अन्दर स्तनपान की शरुआत जरूरी।
- स्तनपान से पूर्व शिशु को किसी प्रकार का पदार्थ (शहद, घुट्टी, पानी, ऊपर का दूध) न दें।
- सुनिश्चित करें कि स्तनपान के अतिरिक्त शिशु को अन्य किसी प्रकार का आहार न दिया जाए।
- जन्म के उपरांत कम से कम 48 घंटे तक स्नान न कराएं (शिशु का वज़न 2.5 किग्रा से कम होने की स्थिति में 7 दिन पश्चात् स्नान करायें)।
- कम वज़न एवं समय से पूर्व जन्मे शिशुओं को नाल झड़ने तक स्नान न कराएं।
- नाल को साफ एवं शुष्क रखें और उस पर कुछ भी न लगाएं।
- शिशु के कपड़े हमेशा साफ रहने चाहिए।
- आने–जाने वालों के नित्य संपर्क से शिशु को सुरक्षित रखें।
- नवजात के शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क (कंगारू विधि) विधि का प्रयोग करें। यह खासकर कम वज़न वाले या समय से पहले जन्मे नवजात के लिए बहुत उपयोगी होता है।
- यदि शिशु को बुखार रहता हो, छूने पर उनका शरीर ठंडा महसूस होता हो, स्तनपान न कर पाता हो, रोता बहुत हो, शरीर में छाले हों या फिर पीलिया एवं दौरे के लक्षण दिखाई दें, ऐसी स्थिति में तुरंत उपचार हेतु जिला स्तरीय एस.एन.सी.यू. (Sick newborn care unit) रेफर किया जाना चाहिए।

बीमार शिशुओं के उपचार एवं उनके स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यहां बीमार शिशुओं के जन्म से 28 दिन के जीवन की अवधि में उपचार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन की समुचित व्यवस्था है।

रेफर किए गए नवजात शिशु को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने के लिए 102 एवं 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है।

6. जीवन के पहले हजार दिन

शिशु के पहले 1000 दिन – शिशु मस्तिष्क के विकास और शारीरिक विकास के लिए सबसे अच्छा निवेश

280 दिन
गर्भावस्था

730 दिन
730 बाल्यावस्था के पहले दो वर्ष

280 दिनों की गर्भावस्था

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
पहली तिमाही (1–12 सप्ताह–) पहले तीन महीने गर्भावस्था के तीन सप्ताह तक, एक तंत्रिका नली (न्यूरल ट्यूब) का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क की संरचना का आधार है। तीसरे हफ्ते के अंत तक मस्तिष्क के तीन प्रमुख हिस्से बनते हैं।	गर्भावस्था के आठवें हफ्ते के अंत तक, चेहरे की विशेषताओं सहित, सभी प्रमुख अंग विकसित होना शुरू होता है। मुख्य रूप से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ये वृद्धि होती है। इस अवधि में वृद्धि न होना, जीवन भर विकास की गति में बाधक होता है और जीवन भर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती।	तंत्रिका नली (न्यूरल ट्यूब) के विकास के लिए फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण है। फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा के बिना, तंत्रिका नली में दोष हो सकते हैं और शिशु की मृत्यु हो सकती है। गर्भावस्था से कम से कम 1 महीने पहले से फोलिक एसिड की खुराक शुरू की जानी चाहिए और गर्भावस्था के पहले तीन महीनों तक जारी रखनी चाहिए। मां में रक्ताल्पता (एनीमिया) न हो, इसलिए आयरन महत्वपूर्ण है। (नियमित रूप से प्रतिदिन आयरन की 2 गोलियां) गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और अन्य अंगों के विकास के लिए, मां को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मां के रक्त में पर्याप्त हीमोग्लोबिन होना चाहिए। गर्भावस्था में शारीरिक बदलाव के कारण प्रायः एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए आयरन की आवश्यकता होती है। पहली तिमाही में माता और गर्भस्थ शिशु के कुपोषण के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता।

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
		गर्भवती मां/गर्भस्थ शिशु की आयरन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 180 दिन तक आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। गर्भवती मां को बढ़ी हुई कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा गर्भ से सम्बन्धित जटिलताओं को कम करने के लिए कैल्शियम की गोलियां लेनी चाहिए। गर्भावस्था की सही शुरूआत के लिए नवविवाहित व किशोरियों को भी एनीमिया रहित होना चाहिए इसी वजह से किशोरियों को भी आई.एफ.ए. की गोलियां दी जाती हैं।
दूसरी तिमाही–13–28 सप्ताह–4–6 महीने गर्भावस्था के दूसरी तिमाही शुरू होने तक गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की सभी प्रमुख संरचनाओं का विकास हो चुका होता है और वे काम शुरू कर देते हैं। इस समय मस्तिष्क शरीर के सभी हिस्सों से संपर्क बनाने लगता है। इस समय मस्तिष्क विकास में किसी भी प्रकार की बाधा प्रमुख संरचनात्मक विरूपताओं को जन्म दे सकता है। प्रमुख जन्म दोषों का निदान 18–20 सप्ताह के दौरान किया जा सकता है।	बाहरी प्रजनन अंगों सहित सभी अंगों का गठन हो जाता है। गर्भस्थ शिशु गर्भ के अंदर पैर चलाने लगता है। इस समय तक गर्भस्थ शिशु को लगभग 1–2 किलो ग्राम का हो जाना चाहिए। ये वृद्धि कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि के कारण होती है।	गर्भवती महिला एक अतिरिक्त खुराक लें। गर्भस्थ शिशु के शरीर के निर्माण के साथ–साथ मस्तिष्क के विकास के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लवण का पर्याप्त सेवन करना आवश्यक है। अगर गर्भवती महिला मानसिक तनाव में रहे तो गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है। (गर्भवती के साथ घरेलू हिंसा आदि) गर्भवती को पूरा आराम दें, इससे गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और शरीर का बेहतर विकास होता है। वी.एच.एन.डी./स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर स्वयं दिखायें। वज़न करवायें, खून की जांच करवायें।

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
तीसरी तिमाही 28–40 सप्ताह 7–9 महीने शरीर के अंगों के साथ मस्तिष्क का संपर्क सात महीनों तक पूरा बन जाता है। मस्तिष्क और सिर की वृद्धि आठवें महीने के दौरान काफी तेज होती है। न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच संपर्क शुरू होते हैं और न्यूरॉन्स की परिपक्वता शुरू होती है। गर्भस्थ शिशु इस समय अपनी मां की आवाज को पहचानने में समर्थ हो जाता है। जन्म के समय नवजात के मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो अगले दो सालों में दो गुना हो जाते हैं।	इस अवधि के दौरान गर्भस्थ शिशु के वज़न में सबसे ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए। (दुगने से अधिक) गर्भावस्था के अंतिम 6 हफ्तों में गर्भस्थ शिशु पर ज्यादातर वसा एकत्र होता है। सभी अंगों का आकार भी बढ़ जाता है। गर्भस्थ शिशु द्वारा अंतिम तिमाही में तेजी से आयरन सोखा जाता है।	माताओं को ज्यादा बार और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट खाने की जरूरत होती है। गर्भस्थ शिशु के न्यूरॉन्स की परिपक्वता और कार्य संचालन के लिए आयरन बहुत जरूरी है। रोजाना एक अतिरिक्त आहार लें। कम से कम दो घण्टे आराम करें। भारी सामान नहीं उठायें। प्रसव की सभी तैयारी पूरी करें जैसे कि रूपये–पैसे की व्यवस्था, अस्पताल जाने हेतु साधन की व्यवस्था, बच्चे और मां हेतु कपड़े, नैपकीन आदि। वी.एच.एन.डी. पर जाकर स्वयं दिखायें। वज़न करवायें और खून की जांच करवायें।

730 दिन–पहले दो साल

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
पहला साल इस अवधि के दौरान न्यूरॉन्स में संपर्क की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। मस्तिष्क में, जहां स्मृतियां जमा होती हैं, वह भाग तेजी से विकसित होता है।	एक सामान्य बच्चे के जन्म के पांच महीने बाद, जन्म के भार से दोगुना हो जाना चाहिए। एक वर्ष में ये भार जन्म के भार से तीन गुना होना चाहिए।	एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान, छह महीने के बाद स्तनपान के साथ पूरक पोषक आहार शुरू करें।

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
मस्तिष्क का विकास शरीर के अन्य अंगों की तुलना में तेज है। शिशु सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, उसके बाद वह शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है तथा उसके बाद वह चलना शुरू करता है।	1 वर्ष के अंत तक अनुमानित ऊंचाई और सिर की परिधि क्रमशः 75 से.मी. और 45 सें.मी. होना चाहिए।	शुरूआत 2–3 चम्मच से करें, धीरे–धीरे मात्रा बढ़ायें। विविधता लायें। इस आहार में आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड (बीजों में मिलता है।) और जिंक (शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी) शामिल करना चाहिए। **शिशु के मस्तिष्क को उद्दीप्त/तीक्ष्ण करने के लिए, माता–पिता और देखभाल करने वाले निम्न कार्य कर सकते हैं** खाना खिलाते समय अलग कटोरी से खिलायें। शिशु के साथ ऐसी गतिविधियां करें जिसमें आपके और शिशु के हाथ सक्रिय हों। शिशु की शारीरिक हरकतों और आवाजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए उससे बात करें। शिशु को नहलाते समय उसका मनोरंजन करने के लिए उससे बातें करें। आपकी ये बातचीत शिशु मस्तिष्क के उस हिस्से के लिए लाभकारी है जो बोली और भाषा के साथ काम करता है। शिशु के लिए गाने गाएं। शिशु के साथ खेलते वक्त कहानियों की रंगीन और बड़ी किताबों तथा खिलौनों का उपयोग करें।
दूसरा साल दिमाग के अग्रभाग (frontal lobe) का विकास, जो विशेष रूप से बौधिक क्षमता का निर्धारण करता है और स्मृतियों को स्थापित करता है।	एक बच्चे को एक वयस्क की खुराक से आधी से ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। दो साल तक बच्चे की ऊंचाई और सिर की परिधि क्रमशः 88 से.मी. और 48 से.मी. होनी चाहिए।	प्रोटीन, खनिज और विटामिन युक्त भोजन पर्याप्त पोषण देता है। बच्चों को तीन बार भोजन और दो बार नाश्ता कराया जाना चाहिए। उम्र के इस दौर में कुपोषित बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होते। चाहें आगे की उम्र में वे कितना ही बेहतर क्यों न खाएं।

मस्तिष्क विकास	शारीरिक विकास	क्या करें, क्यों करें
		दूसरे वर्ष के दौरान शिशु के प्रत्येक क्रियाकलाप (उसके खेलने, बोलने, कहने, चलने, पढ़ने और गाने) के माध्यम से मस्तिष्क के विकास को गति दी जा सकती है। **शिशु के खेलों में निम्न प्रकार के खेलों को शामिल करें** किसी भी प्रकार की दो समान चीज़ों को एक साथ रखना। बड़े आकार के सामान में उससे छोटे आकार का सामान रखना और उसके भीतर उससे छोटे आकार का सामान रखना। समान आकृति की वस्तुओं के जोड़े बनाना। शरीर के हिस्सों से पहचान करने के लिए शीशे का खेल (मिरर गेम) आईने के सामने गतिविधि करवाएं।

(पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्नक 4 को रेफर करें)

पंचायतों द्वारा निवेश हेतु अत्यंत आवश्यक क्षेत्र

बच्चों के जीवन के शुरुआती चरण में बौधिक विकास, तथा बाद वर्षों में शिक्षा में निवेश, प्रत्येक पंचायत की प्रमुख वरीयता होनी चाहिए ।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में समन्वित स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) का होना तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुलभ करने हेतु पंचायत द्वारा दृढ़ता से समर्थित पाठशाला प्रबंधन समिति (SMC), बच्चों के बेहतर विकास का नीव रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं ।

सभी प्रतिभागियों की सत्र में भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करें और सत्र का समापन करें। प्रतिभागियों से यह चर्चा करें कि उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं योजना बनाने में उनकी महत्ता के बारे में चर्चा की जाएगी जिसे रिसोर्स एन्वेलप कहा जाता है।

सत्र 5

रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के विषय में समझ विकसित हो सके।
- ग्राम पंचायतों की आय के संसाधनों के विषय पर समझ विकसित हो सकेगी।
- ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारित करने एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करने में समझ विकसित हो सकेगी।

समय

105 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- चार्ट पेपर एवं मार्कर
- रिसोर्स एन्चेलप की पावर पॉइंट (*पृष्ठ संख्या 187 पर संलग्नक 14 को रेफर करें*)
- रिसोर्स एन्चेलप के संकलन हेतु फॉर्मेट

प्रक्रिया

- प्रशिक्षक प्रतिभागियों से चर्चा करें कि ग्राम पंचायतों को किन किन स्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।
- उनसे प्राप्त उत्तरों को समेकित करते हुए प्रतिभागियों को रिसोर्स एन्वेलप से परिचित करवाने के लिए निम्नलिखित पावर पॉइंट प्रस्तुत करें:

ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन किया जाएगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों का आंकलन मुख्य रूप से किया जाएगा। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से जैसे कि सहकारी समितियां, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थाएं, लोगों की निजी पूंजी आदि स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किए जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जाना है। मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे कि एस.एच.जी., सेवानिवृत्त कर्मचारी इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में योगदान लिया जाना।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध मानव संसाधन निम्नवत् हैं:

1) मानव संसाधन

(क) मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के कर्मचारीगण

क्र. सं.	प्रति 10 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	सचिव	पंचायती राज एवं ग्राम विकास	2	ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य
2	सफाईकर्मी	पंचायती राज	18	स्वच्छता
3	रोजगार सेवक (संविदा पर)	ग्राम विकास	10	मनरेगा के अन्तर्गत आने वाले कार्य
4	एन.आर.एल.एम.			योजना में उपलब्ध संसाधन

क्र. सं.	प्रति 10 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य संबंधी
2	आशा (संविदा पर)	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य संबंधी
3	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आई.सी.डी.एस.	24	बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता
4	तकनीकी सहायक (संविदा पर)	सग्राम्य विकास	1.5	मनरेगा
5	एल.ई.ओ.	पशु–पालन	1	पशु–पालन
6	साक्षरता प्रेरक	साक्षरता एवं वैयक्तिक	10	वयस्क साक्षर

मानव संसाधन के उपरान्त ग्राम पंचायतों के पास दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधन है जो निम्नवत् है:–

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
क	**ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय/मानव संसाधन**	**मानव संसाधन**	**वित्तीय संसाधन**	
1	स्वयं के आय के स्रोत (OSR)			
2	14वां वित्त आयोग			
3	चतुर्थ वित्त आयोग			
4	मनरेगा			
5	शून्य लागत की पहल			
6	एन.आर.एल.एम.			

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
8	एन.आर.एच.एम.			
9	सर्व शिक्षा अभियान			
10	महिला एवं बाल विकास			
11	पशु–पालन			
12	वन विभाग			
13	अन्त्येष्टि स्थलों का विकास			
14	राम मनोहर लोहिया समग्र विकास–सी.सी. रोड/केसी. ड्रेन			
15	अन्य			
ख	**संरचनात्मक संसाधन**			
1	पंचायत भवन			
2	आंगनवाड़ी केन्द्र			
3	अन्य			
ग	अन्य संसाधन			
1	डेस्ट टाप कम्प्यूटर प्रिन्टर			
2	इन्टरनेट सुविधा			
3	एन.आई.सी./सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन			
4	द्वितीय/सहयोगी आंकड़ों के स्रोत–जनगणना 2011 सांख्यिकीय विभाग के आंकड़े ग्रामीण आर्थिक एवं सांख्यिकीय बुलेटिन			

2) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है:

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि
- पंचायत घर निर्माण
- अन्य संसाधन यदि कोई हो

वर्ष 2015–16 में उपलब्ध होने वाली धनराशि

टाइड फण्ड

- स्वच्छ भारत मिशन– 1533.00 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए
- पंचायत भवन– रू. 20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए (चिन्हित ग्राम पंचायतों को)
- अन्त्येष्टि स्थलों का विकास– रू. 100 करोड़ सम्पूर्ण राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए
- सी.सी. रोड़ व के.सी. ड्रेन नाली– 450.00 करोड़ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि–

योजना का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत प्रत्येक पांच वर्ष में
एस.बी.एम.	15 लाख अनुमानित	75 लाख
पंचायत भवन (चयतिन ग्राम पंचायत हेतु)	20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए	102.65 करोड़ पूरे राज्य के लिए

अनटाइड फण्ड

- चौदहवें वित आयोग– रू. 6.54 लाख प्रति ग्राम पंचायत, रू. 448 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष
- राज्य वित्त आयोग– रू. 4.19 लाख औसतन प्रति ग्राम पंचायत।
- राजस्व से प्राप्तियां (कर व गैर कर)– ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- सी.एस.आर. गतिविधियां– इस मद में राज्य जिला प्रशासन तथा पंचायतों के प्रयासों से प्राप्त धनराशि।
- वी.एच.एस.एन.सी. फण्ड– रू. 10000.00 प्रति ग्राम पंचायत।
- मनरेगा– रू. 438005.54 लाख वर्ष 2015–16 में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि

मद का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत पांच वर्ष
चौदहवां वित्त आयोग	6.54 लाख	32.70 लाख
राज्य वित्त आयोग	4.19 लाख	20.95 लाख
वी.एच.एस.एन.सी.	10 हजार	50 हजार
मनरेगा	10 लाख	50 लाख

3) ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना

- राज्य पी.आर. पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा।
- प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी (पं.) को ई–मेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे।
- समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

सत्र का समापन अपने इस वक्तव्य से करें

पंचायत एक निर्माण एजेंसी नहीं है जो सिर्फ सीमेंट और गारे में उलझी रहे, यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त एक निकाय है जो विकास की उचित व्याख्या करके अपने यहां के निवासियों के ''सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को पक्का करती है।''

अगले दिन पुनरावलोकन सत्र हेतु प्रतिभागियों को 5 समूहों में विभाजित करें और निम्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण करने को कहें, जिससे अगले दिन की पुनरावलोकन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

1. विद्यालय विकास योजना
2. पेय जल एवं स्वच्छता
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
4. बाल संरक्षण
5. नवजात शिशु की देखभाल
6. जीवन के पहले हजार दिन

स्वयं की आय के स्रोत (OSR) और चौदहवें वित्त आयोग के प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant)

चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान ग्राम पंचायतों को दो भागों में स्थानांतरित किया जाता है:

- बेसिक ग्रांट (90%) और
- प्रदर्शन अनुदान (10%)।

प्रदर्शन अनुदान दो शर्तों पर जारी किया जायेगा – ग्राम पंचायत को अनुदान मांग के वर्ष से, दो वर्ष पूर्व के वित्तीय वर्ष का आय–व्यय की लेखा परीक्षित रिपोर्ट जमा करना चाहिए। (अर्थात यदि मांग 2016–17 के वित्तीय वर्ष के लिए है, तो ग्राम पंचायतों को वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की लेखा परीक्षित रिपोर्ट जमा करना चाहिए) इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षित रिपोर्ट में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि भी दिखना चाहिए।

कराधान से राजस्व प्राप्ति के अलावा स्वयं के स्रोत (ओ.एस.आर.) से प्राप्त हुई आय, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्राम पंचायतों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही को स्थापित करती है।

स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ.एस.आर.) स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर टैक्स और गैर–टैक्स (फीस, दरें और उपयोगकर्ता शुल्क) राजस्व शामिल है। इन में निम्नलिखित मद शामिल हो सकते हैं:

- मनोरंजन कर
- स्वच्छता कर
- भू राजस्व
- वाहन कर
- बाजार कर
- जल कर
- सिंचाई कर
- स्टाम्प ड्यूटी पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/सरचार्ज
- व्यवसाय कर

ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन अनुदान प्राप्ती की पात्रता के योग्य और सक्षम बनाने के लिए राज्य ने बेहतर कराधान प्रस्तावित किये हैं। हालांकि, यह एक बढ़ती हुई जरूरत है कि ग्राम पंचायतें, राजस्व बढ़ाने की अपनी क्षमता जानने के लिए अपने संसाधनों की मेपिंग करें।

दस प्रभावी पोषण हस्तक्षेप

किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती स्त्री के पोषण संबंधित हस्तक्षेप

- **हस्तक्षेप 1–** किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम।
- **हस्तक्षेप 2–** गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम व सही देखभाल (वज़न की निगरानी, एक अतिरिक्त आहार व 04 स्वास्थ्य जांचे)

स्तनपान संबंधित हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 3–** जन्म के एक घण्टें के अन्दर स्तनपान की शुरूआत।
- **पोषण हस्तक्षेप 4–** शिशु को छः माह तक केवल मां का दूध, पानी भी नहीं।

छः माह से दो वर्ष के बच्चों के ऊपरी आहार संबंधित हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 5–** छः माह के बाद मां के दूध के साथ उपरी पोषक आहार की शुरूआत।
- **पोषण हस्तक्षेप 6–** आहार को बढ़ती आयु के साथ बढ़ाना। गरिष्ठता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना तथा मां का दूध 2 वर्ष तक जारी रखना।

सूक्ष्म-पोषक तत्व संबंधित हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 7–** बच्चों को विटामिन ए आयरन, जिंक/ओ.आर.एस. तथा आयोडीन से आच्छादित करना ताकि उनकी प्रतिरक्षण क्षमता बढ़े तथा वे बीमारी से सुरक्षित रहें।
- **पोषण हस्तक्षेप 8–** बीमारियों से बचाव हेतु साफ–सफाई संबंधी व्यवहारों पर ध्यान।

अतिकुपोषित बच्चों की देखभाल एवं संदर्भन संबंधित हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप–** 9 बीमार बच्चों की देखभाल।
- **पोषण हस्तक्षेप–** 10 तीव्र कुपोषण (SAM) वाले बच्चों का उचित प्रबन्धन।

दिवस - 3

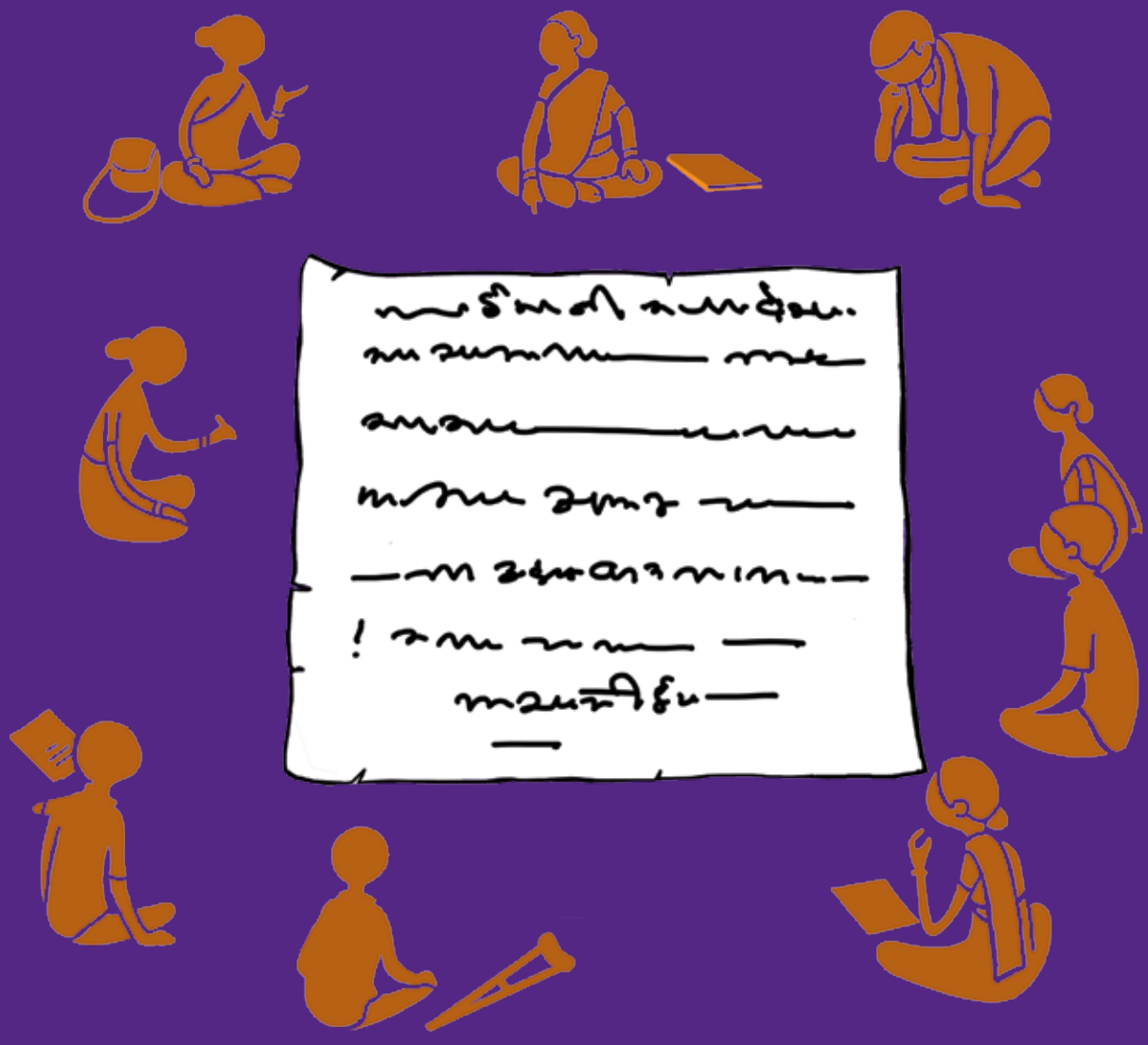

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन		सामूहिक चर्चा	चार्ट पेपर एवं मार्कर	पिछले दिवस का प्रस्तुतीकरण।
9:45–11:30	सत्र 2: योजना निर्माण का तीसरा चरण: आवश्यकताओं / समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण	• पारिस्थितिकीय विश्लेषण पर समझ • वार्डवार आवश्यकताओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण प्रक्रिया • जी.पी.डी.पी. के पांच घटकों में रेणीकरण एवं प्राथमिकीकरण करना	• पारिस्थिति आधारित समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण • परस्पर संवाद आधरित चर्चा • पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	• चार्ट पेपर एवं मार्कर • संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की 5 प्रतियां • पंचायत चिलौकी के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों 5 प्रतियां	जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर समुदाय एवं पंचायत की संवेदनशीलता एवं आंकड़ों को सृजित करने पर समझ विकसित करना।
11:30–11:45	**चाय अवकाश**				
11:45–13:45	सत्र जारी...				
13:45–14:45	**भोजन अवकाश**				
14:45–15:00	स्फूर्तिदायक खेल				
15:00–17:00	सत्र 3: योजना निर्माण का चौथा चरण: ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास	• जी.पी.डी.पी. के लिए संसाधनों का निर्धारण • उपयोगी प्रपत्रों तथा प्रक्रियाओं से परिचय	• परिस्थिति आधारित केस समूह चर्चा • जी.पी.डी.पी. प्रारूप पर कार्ययोजना तैयार करना (काल्पनिक) • प्रवाह क्रम	• ड्राफ्ट प्लान के लिए प्रपत्र • पंचायत चिलौकी के समस्त प्रपत्र एवं रिर्पोट्स	जी.पी.डी.पी. प्रारूप पर आंकड़ों का प्रयोग करते हुए कार्ययोजना / परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।
17:00–17:15	**चाय अवकाश**				
17:15–18:00	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

सत्र 1

विगत दिवस का पुनरावलोकन

समय
15 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री
चार्ट पेपर एवं मार्कर

पिछले दिवस के अंत में दिए गए कार्य के अनुसार 5 समूहों को प्रस्तुतीकरण करने को कहें और पुनरावलोकन की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

1. विद्यालय विकास योजना
2. पेय जल एवं स्वच्छता
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
4. बाल संरक्षण
5. नवजात शिशु की देखभाल
6. जीवन के पहले हजार दिन

पुनरावलोकन के पश्चात् प्रतिभागियों को स्मरण कराएं कि गत दिवस हमने विभिन्न पी.आर.ए. पद्धतियों के माध्यम से पारिस्थितिक विश्लेषण/वास्तविक स्थिति को समझा। हमने रिसोर्स एन्वेलप को भी समझते हुए देखा था कि किस प्रकार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए समस्याओं को दूर करने के रणनीति बनाई जा सकती है।

इस सत्र में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार विगत दिवसों में किए गए अभ्यासों की मदद से हम, ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने हेतु आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान कर उनका प्राथमिकीकरण कर सकते हैं।

सत्र 2

योजना निर्माण का तीसरा चरण: आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण

गतिविधि 1: आंकड़ों का संधारण/संकलन

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- एकत्रित आंकड़ों के संधारण एवं विश्लेषण प्रपत्रों तथा प्रक्रियाओं से परिचित हो पाएंगे।
- राष्ट्र, राज्य और जनपद स्तर के आंकड़ों और पंचायत के आंकड़ों के तुलनात्मक महत्व को समझ पाएंगे।
- समस्याओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यक प्राथमिकताओं का निर्धारण कर पाएंगे

समय

45 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण *(पृष्ठ संख्या 190 पर संलग्नक 15 को रेफर करें)।*
- प्रोजेक्टर।
- पावर पॉइंट की व्यवस्था उपलब्ध न हो तो प्रतिभागियों को निर्धारित प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करवाएं।
- संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की 5 प्रतियां।
- पंचायत चिलौकी के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों 5 प्रतियां।
- ग्राम चिलौकी की योजना प्रशिक्षक समूह के पास सन्दर्भ/सहायता हेतु उपलब्ध हो।

प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को 5 समूहों में बांटें।
- सभी समूहों को संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की प्रतियां वितरित करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- पंचायत स्तर पर संकलित किए गए प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संकलन वितरित किए गए प्रारूपों में किया जाएगा।
- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण से एक–एक क्षेत्र के प्रपत्रों को प्रस्तुत करें तथा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं, प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करें।

क्षेत्र–1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
जल स्रोत • शुद्ध पेय जल व्यवस्था पेय जल के स्त्रोत व संख्या • कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई • इण्डिया मार्क 2 के हैंड पंप की संख्या • उथला (कम गहरा) हैंड पंप की संख्या • अन्य जल स्त्रोत की संख्या (जैसेः कुआं, तालाब, आदि)			
स्वच्छता शौचालयों की संख्याः • व्यक्तिगत शौचालय • सामुदायिक शौचालय • स्कूल शौचालय साफ–सफाई की व्यवस्थाः • कूड़ा–कचरा निपटान • ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन			
नागरिक सेवाएं • जन्म/मृत्यु पंजीकरण • परिवार रजिस्टर कॉपी • विवाह रजिस्ट्रेशन • भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि) • आधार पंजीकरण			
स्वास्थ्य • प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता • 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं? • गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता *(पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्नक 4 को रेफर करें)* • स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि) • क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो। • क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां, तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है?			
बाल विकास एवं पुष्टाहार • बच्चों की संख्या • आंगनवाड़ी की संख्या • आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं • आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन? • आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वज़न • प्रसुति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं • किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण • कुपोषण की स्थिति			

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
शिक्षा • स्कूलों की संख्या व प्रकार • शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता • शिक्षा का अधिकार मानदंड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं • ड्रॉप आउट की स्थिति/कारण • बाल श्रम, बाल विवाह • मध्यान्ह् भोजन की व्यवस्था • स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं? • स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है? • क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?			
सामाजिक सुरक्षा • राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या • राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था • राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है? • राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है? • राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या? • पात्रता के अनुसार आवास • वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन • योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति • सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ			
खेलकूद की व्यवस्था • गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है? • खेल के लिए उचित जगह/मैदान की उपलब्धता			

क्षेत्र-2 संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दों और आपदा प्रबन्धन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख-रखाव • गांव में रोड़ और नालियों का निर्माण और रख-रखाव • बिजली के खंभों की संख्या • सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था • गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है? • गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है? • प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख-रखाव • हैंड पंप • ए.एन.एम. उपकेन्द्र • पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल • ग्रामीण बाजार/हाट • कूड़ा-कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा • पौधे-रोपण: सामाजिक वानिकी • पर्यावरण संरक्षण के कार्य			

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो *(पृष्ठ संख्या 141 पर संलग्नक 3 को रेफर करें)* • आपदा से पूर्व की तैयारियां • आपदा के दौरान की तैयारियां • आपदा के बाद की तैयारियां			
शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार • गांव में शमशान है? • गांव में कब्रिस्तान है? • इनकी स्थिति कैसी है?			
पार्क का रख–रखाव • पार्क की व्यवस्था • पार्क कितना उपयोगी है? • क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?			
लाइब्रेरी का रख–रखाव • गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं? • यदि है तो उसका उपयोग कौन–कौन करता है? • क्या वहां रोज अखबार आता है?			

क्षेत्र-3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
कृषि में सहायता– कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन।			
मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित)।			
मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोज़गार एवं भुगतान			
स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना।			
बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना।			
फलों की खेती में सहयोग।			
पशु–पालन में सहयोग।			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।			
राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना।			
ऊशर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था			

क्षेत्र 4– सुशासन एवं समावेशन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण)।			
एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन।			
अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण।			
सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्प संख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना।			
सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना।			
गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति			
नियमानुसार पंचायत की बैठकें।			
साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन।			
नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक।			
नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी., एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबंधन समिति की बैठक।			
ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।			

क्षेत्र–5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
व्यक्तिगत व्यवहार – शौचालय का उपयोग, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, 6 माह तक नवजात को केवल स्तनपान, 6 महीने के उपरांत पूरक आहार, आयोडिन युक्त नमक का उपयोग।			
सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे कि बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि।			
नशाखोरी, झगड़ों/वाद–विवाद का निपटारा।			

पंचायतों में कम लागत अथवा बिना लागत के कार्यों की सूची

- सारी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन गोली का सेवन, टी.टी. के टीके लगना और सारी आवश्यक गर्भ जांच।
- सभी संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना।
- नवजात को तुरंत एवं लगातार स्तनपान सुनिश्चित करवाना।
- सभी बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण।
- गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी बच्चों का पंजीकरण एवं उपस्थिति।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पूर्व शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति।
- कोई भी बच्चा न स्कूल छोड़े और न निकाला जाए।
- स्कूलों में शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- कोई बच्चा किसी आर्थिक लाभ या अन्यथा किसी प्रकार के काम में सलंग्न न हो (बाल श्रमिक न हो)।
- स्वयं अथवा सरकार की सहायता से प्रत्येक घर में शौचालय की उपलब्धता और नियमित उपयोग (खुले में शौच मुक्त पंचायत)।
- कचरे के निपटान हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन, पंचायतों को स्वच्छ रखना।
- जनहित के कार्यों में जन सहयोग और श्रमदान सुनिश्चित करवाना।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे कि दहेज़ प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा नशे की लत आदि में व्यवहार परिवर्तन संचार करना।

- आंकड़ों के संधारण और विश्लेषण का मॉक सत्र करवाने के लिए पंचायत चिलौकी के प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के एक–एक प्रतियों का वितरण पांचों समूहों में करें।
- प्रत्येक समूह को बताएं कि वे एक–एक सेक्टर के प्रपत्रों में ग्राम पंचायत चिलौकी की तरह ही विकास के आंकड़ों का संकलन करें।
- प्रत्येक समूह को इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय दें।
- समूह द्वारा कार्य हो जाने के बाद प्रत्येक समूह से प्रस्तुतीकरण करवाएं तथा शेष समूह के सदस्यों से ध्यानपूर्वक इन प्रस्तुतियों को सुनने के लिए कहें। *(पृष्ठ संख्या 172 पर संलग्नक 9 को रेफर करें)*

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् इस मुद्दे पर चर्चा करें कि क्या आवश्यकताओं और समाधानों को सुझाने में

- वंचित और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखा गया है?
- महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है?
- दिव्यांग बहु–बाध्यता (multiple vulnerability) से ग्रस्त लोगों/समुदायों/वर्गों की आवश्यकताओं पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है?
- क्या बिना लागत वाले और कम लागत वाले पर्याप्त सुझाव आए हैं?
- क्या ग्राम पंचायत चिलौकी के दिए गए तथ्य एवं समाधान सभी वर्गों के हितों को और विभिन्न विभागों के आवंटनों को समावेशित करते हैं या इनमें कोई सुधार किया जाना चाहिए? *(पृष्ठ संख्या 172 पर संलग्नक 9 को रेफर करें)*

प्रशिक्षकों के लिए मुख्य बातें

- इस चर्चा के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को यह जानकारी मिले कि ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्धारण में समुदाय के वंचित समूहों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों से जुड़े मुद्दे, कम लागत और बिना लागत वाले मुद्दे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दे और उनके समाधान प्राथमिकता पर आ जाएं।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- कॉलम नं. 3 और 4 में जानकारियां भरते समय सचेत और संवेदनशील रहें।
- किसी भी सेक्टर में आंकड़ों का विश्लेषण वंचित समुदाय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- ये जानकारियां ग्रामीण सहभागी आकलन के लिए इस्तेमाल की गई सभी तकनीकों से सामने आई मैदानी/जमीनी हकीकतों, आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आधार पर भरी जाएं।
- गुणात्मक जानकारियों तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का दस्तावेजीकरण सही प्रकार से किया जाना जरूरी है।
- पारिस्थितिकीय विश्लेषण से पांचों क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है।
- वर्तमान में चल रही योजनाओं, योजनाओं का कवरेज और क्रियान्वयन की गुणवत्ता का भी विश्लेषण किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर संकलित और विश्लेषित पांचों क्षेत्रों की स्थिति की तुलना राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तर के आंकड़ों से करना जरूरी है।
- इस प्रक्रिया से राष्ट्र, राज्य और जनपद की स्थितियों और पंचायत की स्थितियों का अंतर पता चलता है।
- इस अंतर के आधार पर पंचायत के स्तर को गम्भीर, सामान्य और यथोचित की श्रेणी बांट सकते हैं।
- ग्राम पंचायत में एकत्र एवं विश्लेषित आंकड़ों को ड्राफ्ट रिपोर्ट का रूप दिया जाना जरूरी है।

उपरोक्त आंकड़ों को संकलित करने के बाद विषय वार/क्षेत्र वार पर, जो कि आवश्यकता के आधार पर सबसे जरूरी हो, उसकी प्राथमिकता तय की जाए।

सबसे पहले ग्राम पंचायत हेतु आवश्यक क्षेत्रों का प्राथमिकीकरण किया जाए।

अब, इन क्षेत्रों के अंतर्गत तय किए गए सुझाव/गतिविधियों का भी प्राथमिकीकरण किया जाए।

समूहों को प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत तय की गयी, प्रमुख तीन प्राथमिकताओं का प्रस्तुतीकरण करने को कहें और उनसे यह बताने को कहें कि उन्होंने किसी भी गतिविधि का प्राथमिकीकरण किस आधार पर किया।

नोटः पारिस्थितिक विश्लेषण, उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नवत् प्रपत्र में किया जाएः

क्र. सं.	सेक्टर/विषय	वर्तमान स्थिति	समस्या/आवश्यकता	प्राथमिकता	निराकरण
सामाजिक तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दें					
1					
2					
3					
4					

प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों का धन्यवाद करें और प्रतिभागियों को बताए कि इस सत्र में हमने आंकड़ों के आधार पर समस्याओं की पहचान की और उनके निराकरण हेतु कुछ सुझाव भी दिए. अगली गतिविधि में हम इस गतिविधि से निकली परिस्थिति के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और गतिविधि का समापन करें।

गतिविधि 2: ड्राफ्ट स्टेट्स रिपोर्ट (DSR) ड्राफ्ट विकास रिपोर्ट तैयार करना

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने का कौशल प्राप्त कर पाएंगे तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने में रखी जाने वाली सावधानियों को समझ पाएंगे।

समय

90 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- पिछले सत्र में उपयोग हुए ग्राम पंचायत चिलौकी के आंकड़े और पांचों सेक्टर के पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र।

प्रक्रिया

पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के जरूरी निर्देशों से परिचित करें

- सभी ग्राम समितियों में रिसोर्स समूह के एक–एक सदस्य को जोड़ कर कार्यकारी समूहों का गठन।
- इन कार्यकारी समूहों के सदस्यों में पारिस्थितिकीय विश्लेषण पर चर्चा और सहमति।
- पारिस्थितिकीय विश्लेषण में शामिल पांचों क्षेत्रों की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी एक–एक कार्य समूह को दें।
- प्रत्येक सेक्टर की रिपोर्ट में:
  - → प्रत्येक अध्याय में परिचय, स्थिति, चर्चा करने वाले बिन्दु, चयनित मुद्दे, कमियां और सुझाव अवश्य होने चाहिए।
  - → उससे जुड़ी योजना का जिक्र अवश्य हो।
- उन गतिविधियों का विवरण हो:
  - → जिन्हें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लिया जा सकता है।
  - → जिन पर ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं है तथा वे गतिविधियां योजना के माध्यम से ली जा सकती हैं।
  - → जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है और इन्हें कम खर्च या बिना खर्च के किया जा सकता है।
  - → जिन क्षेत्रों में कन्वर्जेन्स (अभिसरण) की संभावना है।
- अन्य विशेष स्थानीय विषय जिस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस की जाती है, उसे अलग अध्याय के रूप में रिपोर्ट में संलग्न किया जा सकता है।
- आवश्यक हो तो आंकड़ों की तालिका बना कर परिशिष्ट के रूप में रिपोर्ट के साथ संलग्न की जा सकती है।

- प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् रिसोर्स समूह ''विकास की ड्राफ्ट पारिस्थितिकीय रिपोर्ट'' तैयार कर सकते हैं।

लघु समूह में कार्य

- प्रतिभागियों को पुनः पांच समूहों में बांटें, लेकिन यह प्रयास करें कि पिछले सत्र में बनाए गए समूहों में सदस्यों का बदलाव हो।
- सभी समूहों का विगत सत्र में तैयार किए गए (जिन पर आंकडे भरे गए थे) पांचों सेक्टर के एक–एक पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र वितरित करें।
- सभी समूहों से कहें कि अब वे ग्राम पंचायत चिलौकी के पूर्व में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों तथा आपको दिए गए एक सेक्टर के पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत चिलौकी की पारिस्थितिकीय ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करें।
- इस कार्य के लिए सभी समूहों को 30 मिनट का समय दें।
- कार्य पूरा होने पर सभी समूहों से प्रस्तुतीकरण करवाएं।
- प्रस्तुतीकरण पर सभी की राय लें तथा अपनी राय के आधार पर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिलवाएं।

इस सत्र को समेकित करते हुए निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं/विषय के प्रवाह को अवश्य दोहराएं

- प्राथमिकीकरण और संसाधनों के आवंटन मापदण्ड।
- वंचित परिवारों को केन्द्रित करते हुए पांचों सेक्टरों में संसाधनों का वृहत्त स्तर पर चिन्हीकरण।
- सेक्टर आधारित चर्चा के लिए विषय आधारित समूहों का निर्माण करना। इन समूहों में चर्चा को सहज करने का दायित्व समितियों के सदस्य/कार्यकारी समूह/रिसोर्स समूह के सदस्यों का होगा जिससे स्थानीय लोग चर्चा में खुल कर भाग ले सकें और अपनी राय रख सकें।
- सभी सेक्टरों और वंचित परिवारों के लिए ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों का दस्तावेजीकरण।
- सुझावों को नियोजन समिति के समक्ष रखना।
- प्राथमिकीकरण और संसाधनों के आवंटन को अन्तिम रूप देना।
- प्रस्तावित गतिविधियों का अनुमोदन।
- ग्राम सभा की बैठक की रिपोर्ट तैयार करना।
- विगत गतिविधि की भांति इस गतिविधि के लिए दो प्रतिभागियों को आमन्त्रित करें।
- इनसे कहें कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें संसाधनों के आवंटन और प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण करना है।
- शेष सदस्यों से आग्रह करें कि इस प्रस्तुति में वे ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित, प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य के रूप में भागीदारी करें।
- गतिविधि में शामिल सभी प्रतिभागी इस सत्र के प्रारम्भ में मिली जानकारियों के अनुरूप अपने दायित्वों और बैठक की प्रक्रियाओं का निर्वहन एवं पालन करें।
- शेष प्रतिभागी इस पूरी गतिविधि को ऑब्जर्वर के रूप में देखें तथा अपने नोट्स लें।

तैयारी के लिए इस समूह को 10 मिनट का समय दें तथा ऑब्जर्वर समूह को अलग ले जा कर उनको ऑब्जर्वेशन के निम्न बिन्दुओं पर सुझाव दें

- क्या प्राथमिकीकरण और संसाधनों के आवंटन के मापदण्डों पर सघन चर्चा हुई?
- क्या वंचित परिवारों को केन्द्रित करते हुए पांचों सेक्टरों में संसाधनों का वृहत्त स्तर पर चिन्हीकरण किया गया?

- क्या सेक्टर आधारित चर्चा के लिए विषय आधारित समूहों का निर्माण किया गया?
- क्या समितियों के सदस्य/कार्यकारी समूह/रिसोर्स समूह के सदस्य इन समूहों में चर्चा को सहज करने का दायित्व निभा रहे थे?
- क्या स्थानीय लोगों के रूप में भागीदारी करने वाले प्रतिभागी चर्चा में खुल कर भाग ले रहे थे?
- क्या सभी सेक्टरों और वंचित परिवारों के लिए ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों के नोट्स लिए गए और उनका दस्तावेजीकरण किया गया?
- क्या सभी सुझावों को नियोजन समिति के समक्ष रखा गया?
- तैयारी हो जाने के बाद प्रस्तुति करवाएं।
- प्रस्तुति पर ऑब्जर्वेशन वाले प्रतिभागियों की राय लें।
- पूरी प्रस्तुति पर अपनी विशेषज्ञ राय दें।

किसी भी कार्य या क्षेत्र के प्राथमिकीकरण के आधार

- उस कार्य से होने वाले प्रभाव की व्यापकता।
- अधिकाधिक हितग्राहियों का लाभान्वित होना।
- उल्लेखित कार्य से वैश्विक, राष्ट्रीय अथवा राज्य की प्राथमिकताओं को गति देना।
- महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग, वंचित समूहों, बहु बाध्यता से ग्रस्त वर्गों को लाभ।

ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रारूप

प्रतिभागियों को प्राथमिकीकरण के प्रपत्र से परिचित करवाएं

ग्राम पंचायत का नाम
क्षेत्र पंचायत का नाम
जिला पंचायत का नाम
वर्ष.....

क्रम	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित धन राशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य/एससीएसटी

डी.एस.आर. की ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिर्सोस समूह द्वारा पंचायत समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् पंचायत समिति द्वारा यदि किसी प्रकार के संशोधन हेतु सुझाव देती है तो उसे सम्मिलित करने के पश्चात् संशोधित रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

रिपोर्ट में चिन्हित मुद्दों पर चर्चा तथा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए रिपोर्ट ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जायेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही ड्राफ्ट रिपोर्ट अंतिम मानी जायेगी।

प्रतिभागियों को बताएं कि DSR की ड्राफ्ट रिपोर्ट को पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर हम अगले सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

गतिविधि 3: ग्राम पंचायत कमेटी की बैठक का आयोजन

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- विकास की पारिस्थितिकीय रिपोर्ट को ग्राम पंचायत नियोजन समिति से अनुमोदित कराने की प्रक्रियाओं तथा महत्व से परिचित हो पाएंगे।

समय

45 मिनट

प्रशिक्षण की विधि

- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
- समूह कार्य एवं चर्चा

प्रशिक्षण सामग्री

- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
- प्रोजेक्टर
- विगत सत्र में बनाई गई ग्राम पंचायत चिलौकी की फाइनल पारिस्थितिकीय ड्राफ्ट रिपोर्ट

प्रक्रिया

पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण से सभी प्रतिभागियों को बैठक की तैयारियों के बारे में बताएं:

बैठक से पूर्व तैयारियां

ग्राम प्रधान की सहमति से पंचायत नियोजन समिति की बैठक की तारीख और एजेण्डा तैयार करना।

ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को सूचित करना।

सभी कार्यकारी समूहों से जुड़े रिसोर्स समूह के सदस्यों को पंचायत नियोजन समिति के सामने रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के लिए आमन्त्रित करना।

संबंधित विभागों को पंचायत नियोजन समिति की बैठक में सम्मिलित होने और ड्राफ्ट रिपोर्ट का तकनीकी मार्गदर्शन के लिए आमन्त्रित करना।

बैठक के दौरान किए जाने वाले कार्य

- ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
- प्रत्येक अध्याय पर विस्तृत चर्चा।

- बैठक में उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त करना कि पारिस्थितिकीय विश्लेषण के माध्यम से खोजे गए मुद्दे और समाधान सभी ग्रामवासियों के हित में तथा उनकी सहमति से बने है।
- पंचायत सदस्यों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के सुझाव लेना।
- पंचायत सदस्यों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित परियोजना की संभावनाओं पर चर्चा करना।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप और अनुमानित आवंटन पर चर्चा।

ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित विभिन्न विषयों के प्रस्तुतकर्त्ता और सहजकर्त्ता का निर्धारण

- रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला।
- रिसोर्स एन्वेलप प्रस्तुत करने वाला।
- सेक्टर/प्रसंगों पर चर्चा करने वाला।
- प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला।
- ग्राम सभा की चर्चा का दस्तावेज तैयार करने वाला।
- ग्राम सभा हेतु स्थान और तारीख का निर्धारण।
- ग्राम सभा में भाग लेने के लिए लोगों को आमन्त्रित करने की कार्य योजना पर चर्चा।

ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के उपक्रम में प्रमुख क्षेत्र/घटक/कार्य समय–समय पर कई बार प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे।

हो सकता है कि पारिस्थितिकीय विश्लेषण के बाद रिसोर्स समूह द्वारा तय की गयी प्राथमिकताएं और उनका क्रम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उनके सुझावों को शामिल करने पर, बदलनी पड़ें। पंचायत समिति द्वारा अनुसंशा प्राप्त प्राथमिकताएं संभवतः उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बदलनी पड़े। परन्तु सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए, ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित प्राथमिकताएं ही अंतिम प्राथमिकताएं मानी जाएंगी।

बैठक के बाद किए जाने वाले कार्य

इस बैठक का दस्तावेजीकरण।

- पंचायत सदस्यों तथा संबंधित विभागों से आए प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में संशोधन करके उसे विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट (Draft Development Status Report-DSR) के रूप में तैयार करना।
- प्रतिभागियों में से किन्हीं दो प्रतिभागियों को स्वेच्छा से विगत सत्र में बनाई गई ग्राम पंचायत चिलौकी की फाइनल पारिस्थितिकीय ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करें।
- शेष सदस्यों से आग्रह करें कि इस प्रस्तुति में वे नियोजन समिति की बैठक में उपस्थित विभागीय, अधिकारियों, प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य के रूप में भागीदारी करें।
- गतिविधि में शामिल सभी प्रतिभागी इस सत्र के प्रारम्भ में मिली जानकारियों के अनुरूप अपने दायित्वों और बैठक की प्रक्रियाओं का निर्वहन एवं पालन करें।
- शेष प्रतिभागी इस पूरी गतिविधि को समीक्षक के रूप में देखें तथा अपने नोट्स लें।
- तैयारी के लिए इस समूह का 10 मिनट का समय दें तथा समीक्षकों को निम्न बिन्दुओं पर सुझाव दें:
  - → क्या बताई गई प्रक्रियाओं का उचित ढंग से पालन हुआ?
  - → क्या प्रत्येक अध्याय पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया गया?

- → क्या बैठक में उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया गया कि पारिस्थितिकीय विश्लेषण के माध्यम से खोजे गए मुद्दे और समाधान सभी ग्रामवासियों के हित में हैं?
- → क्या पंचायत सदस्यों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए?
- → क्या पंचायत सदस्यों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित परियोजना की संभावनाओं पर चर्चा की गई?
- → क्या ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप और अनुमानित आवंटन पर चर्चा की गई?

- इस समूह से कहें कि वे अपने समीक्षा के प्रस्तुतीकरण में पहले अच्छाईयों को बताएं, फिर बाद में कमियों के सुधारने के उपाय।
- तैयारी के बाद बैठक में भूमिका निभा रहे सभी प्रतिभागियों से प्रस्तुतीकरण करवाएं और समीक्षक प्रतिभागियों को उनका काम करने को कहें।
- प्रस्तुति के बाद समीक्षक प्रतिभागियों से उनकी प्रस्तुतियां करवाएं।
- अंत में अपने विशेषज्ञ वक्तव्य में निम्नलिखित पक्षों को उभारें:
  - → बैठक में शामिल समिति के प्रतिनिधियों की भागीदारी कैसी थी?
  - → क्या वास्तव में मैदानी स्तर पर ऐसी भागीदारी होती है?
  - → क्या ऐसी भागीदारी से जनोन्मुखी प्लानिंग हो सकती है?
  - → स्थानीय स्तर पर ऐसी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी?

रिसोर्स एन्वेलप का निर्धारण, पारिस्थितिकीय विश्लेषण के साथ–साथ ही किया जाना उचित होगा। पारिस्थितिकीय विश्लेषण एवं उपलब्ध संसाधनों के निर्धारण की प्रक्रियाएं साथ–साथ चलने पर ड्राफ्ट प्लान बनाने में (चूंकि इसमें उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा देना होता है) होने वाले विलम्ब को कम किया जा सकता है।

यदि यह गतिविधि दिन के अंत में होती है तो प्रतिभागियों को इस बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर ''विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट (DSR)'' बनाकर अगले दिन प्रस्तुत करने का होमवर्क दिया जा सकता है।

सत्र में सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

गतिविधि 4: DSR विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट का ग्राम सभा में अनुमोदन और मुद्दों का प्राथमिकीकरण

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट (Draft Development Status Report-DSR) के ग्राम सभा में प्रस्तुतीकरण, अनुमोदन और मुद्दों के प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
- वार्षिक और पंचवर्षीय कार्य योजना में लिए जाने वाले विकास के मुद्दों को चिन्हित कर पाएंगे।
- अन्य विभागों/संस्थानों द्वारा कराए जाने वाले विकास के मुद्दों को चिन्हित कर पाएंगे।

समय

45 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
- प्रोजेक्टर
- प्राथमिकीकरण के प्रपत्र

प्रक्रिया

ग्राम सभा में ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुमोदन की गतिविधियों की निम्नवत् पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण करें

1. ग्राम सभा की बैठक में विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट का वाचन करना/पढ़ा जाना।
2. यह वाचन पंचायत नियोजन समिति के सदस्यों/स्त्रोत समूह के सदस्यों/कार्यवाही समूह के सदस्यों द्वारा पढ़ा जाए।
3. पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा, सम्पर्क और जन स्वास्थ्य आदि मानव विकास संवेदी मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाए।
4. इस वाचन के आधार पर ग्राम सभा पांचों क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करें और उनमें सुधार के लिए विकास की एक समग्र परिकल्पना का निर्माण करें।

यह परिकल्पना इस बिन्दु पर केन्द्रित हो कि ग्राम सभा अपनी पंचायत को 5–10 साल बाद किस रूप में देखना चाहती है। विशेष रूप से:

- स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में।
- महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में।

- अति गरीब और वंचित वर्गों के संबंध में।
- दिव्यांग तथा बहु बाध्यता वाले लोगों के संबंध में।
- इस प्रकार के मुश्किल और कठिन मुद्दों की पहचान करना जिन्हें प्राथमिकता में लेना जरूरी है।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप पर चर्चा।
- रिसोर्स एन्वेलप की कमियां और विकास की जरूरतों को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।
- विगत सत्र की भांति इस सत्र में भी प्रतिभागियों में से किन्हीं दो प्रतिभागियों को स्वेच्छा से प्रस्तुतीकरण के लिए आमन्त्रित करें।
- इनसे कहें कि उपरोक्त सूचनाओं और विगत सत्र के दस्तावेजों के आधार पर उन्हें ''विकास की स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट DSR'' का प्रस्तुतीकरण करना है।
- शेष सदस्यों से आग्रह करें कि इस प्रस्तुति में वे ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित, प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य के रूप में भागीदारी करें।
- गतिविधि में शामिल सभी प्रतिभागी इस सत्र के प्रारम्भ में मिली जानकारियों के अनुरूप अपने दायित्वों और बैठक की प्रक्रियाओं का निर्वहन एवं पालन करें।
- शेष प्रतिभागी इस पूरी गतिविधि को समीक्षक के रूप में देखें तथा अपने नोट्स लें।

तैयारी के लिए इस समूह को 10 मिनट का समय दें तथा समीक्षकों को निम्न बिन्दुओं पर सुझाव दें

- क्या पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा, सम्पर्क और जन स्वास्थ्य तथा मानव संवेदी मुद्दों को अधिक महत्व दिया गया?
- क्या ग्राम सभा ने पांचों क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार–विमर्श और उनमें सुधार के लिए एक वृहत्त परिकल्पना तैयार की?
- क्या इस परिकल्पना में पंचायत के 5–10 साल बाद का वह रूप उभरा जिसमें निम्नलिखित मुद्दों में सुधार दिखेगाः
  - → स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में।
  - → महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में।
  - → अति गरीब और वंचित वर्गों के संबंध में।
  - → दिव्यांग तथा बहु बाध्यता वाले लोगों के संबंध में।
- क्या प्राथमिकता पर लिए जाने वाले मुश्किल और कठिन मुद्दों की पहचान की गई?
- क्या ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप पर चर्चा हुई?
- क्या रिसोर्स एन्वेलप की कमियां और विकास की जरूरतों को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा हुई?
- तैयारी हो जाने के बाद प्रस्तुति करवाएं।
- प्रस्तुति पर समीक्षक प्रतिभागियों की राय लें।
- पूरी प्रस्तुति पर अपनी राय देने के बाद उपलब्ध संसाधनों के आवंटन मापदण्डों पर चर्चा के लिए सभी प्रतिभागियों को आमन्त्रित करें।

ग्राम सभा की बैठक के बाद की गतिविधियां

- ग्राम सभा की बैठक के दौरान प्रस्तुत विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट हुए फैसलों के आधार पर रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाता है।
- प्रतिभागियों को निर्देश दें कि वे ग्राम सभा की बैठक की एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें जिसमें प्राथमिकीकरण और संसाधनों के आवंटन को अन्तिम रूप दिया गया हो।

प्रशिक्षक के लिए नोटः ड्राफ्ट प्लान बनाते समय 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिए जाने वाले विषयों का सन्दर्भ अवश्य लें जिससे कि रिसोर्स एन्वेलप के आधार पर प्राथमिकता तैयार करने में सहायता मिले, जो निम्नवत् हैं। यह तालिका ड्राफ्ट प्लान तैयार करने से पहले प्रतिभागियों से साझा कर ली जाएः

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संभावित गतिविधियां

क्र. सं.	ग्राम सभा द्वारा किए जाने वाले कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य	14वां वित्त आयोग
	सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेलु उपयोग के लिए पेय जल उपलब्ध कराना नहाने, धोने और पालतु पशुओं को पीने के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराना एवं उनका अनुरक्षण	**पेय जल की सुविधाः** • पेय जल, कपड़ा धोने, स्नान करने के लिए सार्वजनिक कुओं, जलाशयों आदि का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण • जल प्रदूषण पर नियंत्रण और निवारण के उपाय करना • ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना का संचालन एवं अनुरक्षण • पेय जल स्रोतों का प्रबंधन	जल एवं स्वच्छता
	ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुल, बांध तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य स्त्रोतों तथा भवनों का निर्माण और अनुरक्षण सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालीयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, अनुरक्षण और उनकी सफाई उपयोग में न आने वालो कुओं, अस्वच्छ तालाबों, खाइयों तथा गड्ढ़ों को भरना	**सड़क, भवन, पुल–पुलिया, जल मार्ग और अन्य यातायात के साधनः** • ग्रामीण सड़क, नाली और पुल–पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण • अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण • नौका, फेरी और जल मार्ग का अनुरक्षण	अधोसंरचना

क्र. सं.	ग्राम सभा द्वारा किए जाने वाले कार्य	ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य	14वां वित्त आयोग
	ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना	**ग्रामीण विद्युतीकरण:** • सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उसका अनुरक्षण • ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता **गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत:** • गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का उन्नयन एवं विकास • बायोगैस स्त्रोतों सहित सामुदायिक गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का अनुरक्षण • उन्नत चूल्हे तथा अन्य ऊर्जा साधनों का प्रचार एवं प्रसार	विद्युतीकरण
	युवा कल्याण, खेलकूद का विस्तार करना; सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास	**खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य:** • खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य कलापों को प्रोत्साहित करना एवं ग्रामीण क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण • सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन। • बाजार और मेला • पंचायत क्षेत्र में मेला (पशु मेला सहित),बाजार एवं हाट का प्रबंधन	अधोसंरचना
	सार्वजनिक मार्गों तथा स्थानों और उन स्थलों में से निजी सम्पत्ति न हो या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हो, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना पशु शवों (लावारिस शवों और पशु शवों सहित) और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों की इस प्रकार व्यवस्था करना ताकि वे अस्वस्थ न हों	**चिकित्सा और स्वच्छता:** • ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना • सार्वजनिक सड़क, तालाब, कुंओं एवं सड़कों की सफाई • सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण • स्नान एवं धुलाई घाट का प्रबंधन एवं नियंत्रण • टीकाकरण • महामारियों की रोकथाम • शमशान एवं कब्रगाह का अनुरक्षण एवं संचालन • लावारिश मानव एवं पशुओं का निपटान • छुट्टा पशु के विरूद्ध निवारक कार्रवाई	अधोसंरचना एवं शमशान, कब्रगाह का प्रबंधन
		सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव: • सरकार स्थानीय प्राधिकार एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा निर्मित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लिए विशेष व्यवस्था एवं उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था व इस हेतु जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना	

चौदहवें वित्त आयोग की धनराशी से बिल्कुल न किए जाने वाले कार्य

- बधाई अथवा धन्यवाद समारोह
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- साज सज्जा
- उद्घाटन समारोह
- मानदेय देने, इनाम प्रदान करने, सम्मान समारोह
- निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता
- मनोरंजक कार्यक्रम
- वातानुकूलक यन्त्र क्रय
- वाहन क्रय
- सरकारी अथवा संविदा कर्मचारियों को सहायता/इनाम देना

इस सत्र में हमने ड्राफ्ट विकास रिपोर्ट बनाना, पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुति एवं ग्राम सभा से अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर अपनी समझ बनाई। अगले सत्र में हम उपलब्ध संसाधनों के निर्धारण के आधार पर वार्षिक एवं दीर्घ कालिक योजना विकसित करना समझेंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

चौथे राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किये जाने वाले कार्य/गतिविधियां

ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख–रखाव को प्राथमिकता देते हुए प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख–रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा – पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव करने में सक्षम होंगी। शेष राशि से नये कार्य कराए जा सकेंगे। नये निर्माण कार्यों में सी.सी. रोड़/खड़ण्जा/नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की कार्य योजना सहायक विकास अधिकारी (पं.) को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। बिना कार्य योजना के ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं कराएंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष कराये जाने वाले कार्यों का विवरण सहायक विकास अधिकारी (पं.) कार्यालय में अवश्य रखा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी (पं.) की होगी।

सत्र 3

योजना निर्माण का चौथा चरण: ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ड्राफ्ट प्लान के प्राथमिकीकरण और अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण कर पाएंगे।
- ड्राफ्ट प्लान के विकास के लिए उपयोगी प्रपत्रों तथा प्रक्रियाओं से परिचित हो जाएंगे।

समय

120 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- पावर ड्राफ्ट प्लान के विकास के लिए उपयोगी प्रपत्रों की प्रतियां।
- विगत सत्र में तैयार किए गए पंचायत चिलौकी के समस्त प्रपत्र तथा रिपोर्ट्स।
- पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
- प्रोजेक्टर
- समूह चर्चा प्रस्तुतीकरण हेतु चार्ट पेपर, मार्कर पेन इत्यादि
- यदि पावर पॉइंट की सुविधा उपलब्ध न हो तो प्रतिभागियों को इस सत्र से संबंधित लिखित सामग्री की छाया प्रति उपलब्ध करवाएं।

प्रक्रिया

प्रतिभागियों को बताएं कि

- विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपार्ट के अनुमोदित होने के बाद ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है।
- प्लान में पांचों क्षेत्रों (सेक्टरों) को आवंटित संसाधन, परियोजना और क्रियान्वयन विधि का विस्तार से विवरण दिया जाना चाहिए।

ड्राफ्ट प्लान निम्नलिखित चरणों द्वारा तैयार किया जा सकता है

1. ग्राम के स्त्रोत समूह/टास्क फोर्स की बैठक।
2. ग्राम सभा के दौरान प्राथमिकता निर्धारित होने एवं उपलब्ध फंड के आधार पर स्त्रोत समूह एकवर्षीय एवं पंचवर्षीय प्लान में ली जाने वाली परियोजनाओं पर सुझाव देगा।
3. स्त्रोत समूह ग्राम पंचायत समिति से चर्चा के पश्चात् एकवर्षीय एवं पंचवर्षीय ड्राफ्ट प्लान तैयार करेंगे।
4. ड्राफ्ट प्लान को पंचायत समिति को जमा करना। प्लान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाएगा। जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का होना आवश्यक है:

→ प्रस्तावित क्षेत्र– इसमें प्रस्तावित क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण गतिविधियों की सूची होगी जिस पर ग्राम सभा के दौरान निर्णय लिया गया है।
→ प्राथमिकताएं– इसमें केवल उन गतिविधियों की सूची होगी जिसे एकवर्षीय योजना हेतु स्वीकृत किया गया है।
→ फंड का आवंटन– इसमें प्रत्येक क्षेत्र हेतु बनाई गई परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण विवरण होगा।
→ फंड के स्रोत– फंड के स्त्रोतों (Centrally/State Sponsored, Fourteenth Finance Commission (FFC), State Finance Commission (SFC), Own Source of Revenue (OSR), Community Contribution etc.) का विवरण प्रत्येक गतिविधि के साथ होना चाहिए।

5 पंचायत समिति आवंटित संसाधनों के आधार पर एकवर्षीय एवं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट को अन्तिम रूप देगी और स्त्रोत समूह उसके आधार पर विस्तृत परियोजनाएं तैयार करेगा।
→ उपलब्ध संसाधनों में से किस परियोजना हेतु कौन सा फंड आवंटित किया जाएगा इस पर पंचायत समिति निर्णय लेगी।
→ विस्तृत परियोजना का निर्माण विभाग के कर्मियों द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक सेक्टर हेतु ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों को संबंधित विभागों को भेजने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी की होगी।

विभिन्न फंड के स्रोतों व योजनाओं के माध्यम से जिन मुद्दों को लिया जाना है उस पर निर्णय पंचायत समिति द्वारा लिया जाएगा, जैसे कि:
→ वर्तमान में चल रही योजनाओं जैसे कि मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं।
→ चौदहवें एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं।
→ स्वयं की आय के स्रोतों के अन्तर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं।
→ परियोजनाएं जो अन्य विभागों के साथ मिलकर की जाने वाली है।
→ परियोजनाएं जो पूर्ण रूप से विभाग द्वारा संचालित होने वाली है।
→ परियोजनाएं जो बिना किसी वित्तीय सहायता के की जानी है।
→ समुदाय का अंशदान।

6 परियोजना निर्माण हेतु टेक्निकल सेल/सपोर्ट ग्रुप को भी मार्ग निर्देशिका में वर्णित समयावधि के अन्दर सूचित करना आवश्यक है।
7 ग्राम पंचायत की बैठक में प्लान के अनुमोदन के लिए पहल ग्राम पंचायत समिति को ही करनी होगी।

प्रतिभागियों को लागत रहित विकास के बारे में बताएं कि

- वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों, दिव्यांगों, बच्चों, बुजुर्गों, किशोरियों और माताओं की समस्याओं को ग्राम पंचायतों को अपनी कार्य योजना में लागत रहित गतिविधियों के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए।
- पंचायतों को शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, और स्वास्थ्य के लागत रहित या कम लागत वाले मुद्दों को कार्य योजना में जरूर शामिल करना चाहिए।
- ग्राम पंचायत समुदाय संवेदित करने वाली ऐसी गतिविधियों को योजना में जरूर शामिल करें, जो कम या बिना लागत की हो।
- लागत रहित विकास के लिए सामुदायिक संवेदीकरण और समुदाय की जिम्मेदारी तय करना एक कमजोर विषय है। लागत रहित विकास के उदाहरण निम्न प्रकार से है:

- → स्वयं सेवकों के द्वारा (स्वयं सहायता समूह, युवा समूह आदि) सभी टीकाकरण हेतु जागरूकता पैदा करना।
- → स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कूड़े–कचरे से मुक्त ग्राम पंचायत बनाने हेतु जागरूकता पैदा करना।
- → विद्यालयों में 100 प्रतिशत दाखिले के लिए जागरूकता पैदा करना और अनुश्रवण करना।
- → आंगनवाड़ी में 100 प्रतिशत दाखिला।
- → ग्राम पंचायत में बंजर भूमि का शून्य होना।
- → संयुक्त रूप से खेती कराने हेतु स्वयं सहायता समूहों को जागरूक करना।
- → बेकार पानी के प्रबंधन हेतु घरों के लिए सोख्ता गढ्ढेः जागरूकता पैदा करना और सोख्ता गढ्ढा बनाने हेतु प्रशिक्षण देना।
- → किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना और कुपोषण को आंगनवाड़ी के माध्यम से संबोधित करना।
- → बाल श्रम को मिटाने की तरफ समुदाय की पहल।
- → समुदाय में सहायता देने वाले समूहों का निर्माणः शारीरिक रूप से असमर्थ और बीमार लोगों को सहायता देना।

अब प्रतिभागियों को 5 समूहों में बांटें

- सभी समूहों को पिछले सत्र में तैयार किए गए पंचायत चिलौकी के समस्त प्रपत्र तथा रिपोर्ट्स के पांचों सेट वितरित करें।
- सभी समूहों को ड्राफ्ट प्लान के विकास के लिए उपयोगी प्रपत्रों के सेट वितरित करें।

परियोजना निर्माण का प्रारूप

ग्राम पंचायत का नामः
परियोजना का प्रकारः
विकास का क्षेत्रः
शीर्षकः

क्र. सं.	विषय	
1	परिचय	
2	विवरण	
3	उद्देश्य	
4	अपेक्षित परिणाम/ दूरगामी परिणाम	
5	स्थान	
6	परियोजना के अवयव (अंश)	
7	क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था	
8	अनुश्रवण प्रणाली	

क्र. सं.	विषय								
9	बजट	अंश	14वां वित्त	स्वयं की आय	मनरेगा	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	अन्य	कुल	
		कुल							
10	समयावधि	गतिविधि	जनवरी– फरवरी	मार्च– अप्रैल	मई– जून	जुलाई– अगस्त	सितम्बर– अक्टूबर	नवम्बर– दिसम्बर	कुल उपलब्ध बजट
		1							
		2							

प्रतिभागियों से कहें कि

- ऊपर दी गई जानकारियों के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करें।
- इस कार्य के लिए समूहों को 20 मिनट का समय दें।
- समय पूरा होने पर सभी समूहों से प्रस्तुतीकरण करवाएं, तथा शेष प्रतिभागियों की राय लें कि सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हुआ या नहीं?
- अपनी राय दें।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बताएं कि हम ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले सत्र में हम तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ एक कुशल प्रशिक्षक के लिए आवश्यक कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण विधियों से भी परिचित होंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद करें और सत्र का समापन करें।

दिवस - 4

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	सत्र 1: विगत दिवस का पुनरावलोकन		सामूहिक चर्चा	चार्ट पेपर एवं मार्कर	पिछले दिवस का प्रस्तुतीकरण।
9:45–11:15	सत्र 2: योजना निर्माण का पांचवां चरण: तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति	• एकत्रित आवंटित बजट के आंकलन के आधार पर विस्तृत परियोजना का निर्माण • सपोर्ट सिस्टम दिशा–निर्देश	• पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • परस्पर संवाद • प्रश्नोत्तर	• ड्राफ्ट प्लान प्रपत्रों को सेट्स • हमारी योजना, हमारा विकास पुस्तिका • पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण	जी.पी.डी.पी. के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था पर समझ विकसित करना।
11:15–11:30	चाय अवकाश				
11:30–13:00	सत्र 3: प्रशिक्षण क्या है? अथवा क्षेत्र भ्रमण (तृतीय दिवस में चर्चा की गई पी.आर.ए. पद्धतियों का ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग करना)	• प्रशिक्षण के महत्व और आवश्यकता की समझ	• समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण • संक्षिप्तीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	• ए 8 साइज के कागज़	प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से प्राप्त सीखों को मजबूत करना।
13:00–14:00	भोजन अवकाश				
14:00–14:15	स्फूर्तिदायक खेल				
14:15–16:00	सत्र 4: वयस्क के सीखने का चक्र एवं मनोविज्ञान	• वयस्क सीख सिद्धान्त • सहभागी प्रशिक्षण के सिद्धान्त • टूल्स एवं विधियां • परिस्थितियों की समझ	• समूह चर्चा • रोल प्ले • फिश बॉल	• पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण • बोर्ड एवं मार्कर	प्रतिभागियों की सहभागी प्रशिक्षण विधियों एवं सहज सीख वातावरण बनाने पर समझ विकसित करना।
16:00–16:30	सत्र 5: अच्छे प्रशिक्षक के गुण	• अच्छे प्रशिक्षक के गुणों की समझ	• सामूहिक चर्चा	• चार्ट एवं मर्कर	प्रशिक्षक की सभी पद्धतियों का उपयोग।
16:30–16:45	सत्र 6: प्रशिक्षण पद्धतियां	• प्रशिक्षण के उपयोग में लाई गई विभिन्न पद्धति की समझ	• सामूहिक चर्चा	• चार्ट एवं मर्कर	प्रशिक्षण की सभी पद्धतियों का उपयोग।
16:45–17:00	चाय अवकाश				
17:00–17:30	सत्र 7: सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया	• समुदाय में सहभागिता की समझ	• सामूहिक चर्चा	• वाईट बोर्ड एवं मार्कर	सहभागिता से निर्णय ले पाना।
17:30–17:45	फीडबैक एवं प्रश्नोत्तर		• सामूहिक चर्चा		प्रतिभागियों की सीख पर समाप्त।

सत्र 1

विगत दिवस का पुनरावलोकन

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- विगत दिवस की सीखों का स्मरण कर पाएंगे।

समय

15 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

चार्ट पेपर एवं मार्कर

प्रक्रिया

विगत दिवस की गतिविधि के अनुरूप प्रतिभागियों से पिछले दिन की सीखों का पुनरावलोकन करवाएं। प्रस्तुतियों पर अपनी विशेषज्ञ राय देकर प्रतिभागियों को आगामी सत्र के लिए आमंत्रित करें।

सत्र 2

योजना निर्माण का पांचवां चरण: तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति

समय
90 मिनट

सत्र के उद्देश्य
सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- एकत्रित आवंटित बजट के आंकलन के आधार पर विस्तृत परियोजना का निर्माण कर पाएंगे।
- तकनीकी सेल/नामांकित अफसरों से परियोजना की तकनीकी स्वीकृति लेने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।

प्रशिक्षण सामग्री

- ड्राफ्ट प्लान के विकास के लिए उपयोगी प्रपत्रों के सेट्स।
- पावर पॉइंट प्रस्तुतियां (*पृष्ठ संख्या 195 पर संलग्नक 16 को रेफर करें*)
- प्रोजेक्टर
- यदि पावर पॉइंट की सुविधा उपलब्ध न हो तो प्रतिभागियों को इस सत्र से संबंधित लिखित सामग्री की छाया प्रति उपलब्ध करवाएं।

प्रक्रिया

प्रतिभागियों को बताएं कि

- ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार होने और विभिन्न स्रोतों से फंड के आवंटन के पश्चात् बजट आंकलन के साथ विस्तृत परियोजना का निर्माण किया जाता है।
- यह कार्य गांव के स्त्रोत समूह, संबंधित विभागों के कर्मी और ग्राम पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है।
- इसके लिए परियोजना निर्माण से पूर्व कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती हैं:
  1. परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्र भ्रमण
  2. निरीक्षण
  3. लक्षित समूहों से विचार–विमर्श
  4. तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा
  5. आंकड़ों का संकलन

प्रतिभागियों को परियोजना निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएं कि

- संबंधित विभागों के कर्मियों की सहायता से परियोजना बनाई जाती है और बजट का आंकलन भी किया जाता है।
- राज्य के मार्गनिर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायत से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जाती है।
- राज्य की मार्गनिर्देशिका के अनुसार तकनीकी सेल/अफसरों से तकनीकी स्वीकृति ली जाती है।

प्रतिभागियों को परियोजना की विषय–वस्तु तथा परियोजना निर्माण के प्रारूप के बारे में बताएं कि।

परियोजना निर्माण में निम्नलिखित अवयवों (अंशों) का होना आवश्यक है, जैसे कि

- परियोजना का शीर्षक।
- पारिस्थितिक विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर परिचय – पृष्ठभूमि और परियोजना का सारांश।
- परियोजना का विवरण।
- परियोजना के उद्देश्य।
- परियोजना का स्थान।
- परियोजना के अंश एवं गतिविधियों का विवरण।
- बजट–लागत और फंड का स्रोत– परियोजना के अंशवार लागत और फंड का विवरण।
- समयावधि और कार्ययोजना– परियोजना के क्रियान्वयन का कैलेण्डर।
- क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था।
- अपेक्षित परिणाम– ग्राम सभा के निर्णयों के आधार पर लाभार्थी/लाभान्वित क्षेत्र।
- कार्यवाही और रख–रखाव – कार्यवाही और रख–रखाव की प्रणाली।
- अनुश्रवण– अनुश्रवण के सूचक और अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित पद्धति।

परियोजना निर्माण का प्रारूप जिसे प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रयोग किया जाएगा

ग्राम पंचायत का नामः
परियोजना का प्रकारः
विकास का क्षेत्रः
शीर्षकः

क्र. सं.	विषय								
1	परिचय								
2	विवरण								
3	उद्देश्य								
4	अपेक्षित परिणाम/ दूरगामी परिणाम								
5	स्थान								
6	परियोजना के अवयव (अंश)								
7	क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था								
8	अनुश्रवण प्रणाली								
9	बजट	अंश	14वां वित्त	स्वयं की आय	मनरेगा	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	अन्य	कुल	
		कुल							

क्र. सं.	विषय								
10	समयावधि	गतिविधि	जनवरी– फरवरी	मार्च– अप्रैल	मई– जून	जुलाई– अगस्त	सितम्बर– अक्टूबर	नवम्बर– दिसम्बर	कुल उपलब्ध बजट
		1							
		2							

वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति के मापदंड

प्रशासनिक स्वीकृति – ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा

02 लाख रुपए तक : ग्राम पंचायत के द्वारा

02 से 02.50 लाख रुपए तक : ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा

02.50 से 05.00 लाख रुपए तक : डी.पी.आर.ओ. के द्वारा

05.00 लाख रुपए से ऊपर : जिलाधिकारी के द्वारा

प्रत्येक परियोजना दस्तावेज ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा होती है। निर्मित ग्राम पंचायत विकास योजना को अगली ग्राम सभा में रखा जाता है।

परियोजना निर्माण के बादः

1. परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है।
2. तकनीकी सेल/अफसरों को तकनीकी अनुमोदन के लिए पत्र भेजा जाता है।
3. तकनीकी अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है।
4. ग्राम सभा के दौरान प्राथमिकीकरण की सूची का मिलान करते हुए ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
5. तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास योजना को पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत समिति के समक्ष रखा जाता है।
6. अन्तिम अनुमोदन से पहले ग्राम पंचायत समिति को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि योजना का निर्माण लिए गए निर्णयों के अनुरूप है।

ग्राम पंचायत समिति की बैठक के बारे में प्रतिभागियों को बताएं किः

- बैठक में ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
- जिन विभागों के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन होना है, उन विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो।
- स्त्रोत समूह के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे हर जिज्ञासा का उत्तर दिया जा सके।
- ग्राम सभा द्वारा किए गए प्राथमिकीकरण की तुलना और चर्चा की जा सके।
- ग्राम पंचायत कमेटी द्वारा परियोजना और बजट का अनुमोदन हो।
- बैठक के दौरान हुई चर्चा को रिकॉर्ड किया जाए। उसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है।

- बैठक के अन्त में निर्णयों को सभी को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए और उस पर सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तारीख, स्थान और समय निर्धारित करना चाहिए।
- ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लिया जाना चाहिए।
- इस बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनके अनुश्रवण की प्रक्रिया के संबंध में ग्राम सभा के सभी सदस्यों को प्रेरित और संवेदित किया जाना चाहिए।
- अनुमोदित योजना को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना।

ग्राम सभा से अनुमोदन से पूर्व कुछ गतिविधियां निम्नानुसार संचालित की जाती हैं

1. वातावरण निर्माण की गतिविधि– ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में समुदाय को भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु।
2. ग्राम सभा की बैठक के स्थान पर बैठने, साउंड सिस्टम, पीने के पानी आदि की व्यवस्था करना।
3. ग्राम सभा में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित विभागों को सूचना भेजना।
4. गांव वालों को ग्राम सभा में भागीदारी के लिए सूचना भेजना।

ग्राम सभा से अनुमोदन के दौरान गतिविधियां

- ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं परियोजनावार विवरण का प्रस्तुतीकरण।
- तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा।
- ग्राम सभा द्वारा योजना का अनुमोदन।
- बैठक की गतिविधि रिपोर्ट तैयार करना। इस बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्लान प्लस पर PDF फाइल इस बात की पुष्टि हेतु अपलोड की जाती है। यह कार्य योजना सबकी सहभागिता एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ बनाई गई है।
- ध्यान रखें कि योजना को क्रियान्वित करने वाले ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद की गतिविधियां

1. क्रियान्वयन की रणनीति को अन्तिम रूप देना।
2. परियोजना की तकनीकी अनुमोदन के लिए पहल करना।
3. ग्राम सभा के दौरान लिए गए निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।
4. अनुमोदित योजना को जिला एवं ब्लॉक पंचायत को जानकारी/अनुमोदन हेतु भेजना।
5. योजना की फाइनल प्रति जिसमें क्रियान्वयन प्रणाली और आवंटित धनराशि का विवरण शामिल हो, को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

क्रियान्वयन

यह सुनिश्चित करना कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, ग्राम पंचायत को:

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- परियोजना के प्रारम्भ होने के समय गांव वालों के साथ करना चाहिए।
- सामग्री का उपार्जन पारदर्शी और बराबरी के तरीके से हो।
- मजदूरों को काम उपलब्ध कराना (कुशल/अर्ध–कुशल/अकुशल–मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची द्वारा)।
- प्रतिदिन के मास्टर रोल पर उपस्थिति।
- कार्य का निरीक्षण।
- कार्य/सामग्री का नाप–जोख और निरीक्षण और एम.बी. में लिखना/दर्ज करना।
- नियमानुसार मजदूरों की मजदूरी का भुगतान।
- विक्रेता को बिलों के आधार पर भुगतान करना।
- संबंधित एकाउन्ट और रिकॉर्ड का ब्यौरा रखना।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार करना।

अनुश्रवण

- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा तथा प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड किया जाएगा। यह सचिव का दायित्व है।
- योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित स्थायी समिति जिम्मेदार है, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करें और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित कर लें। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी आएगा।
- योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 14वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे।
- एक्शन सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. जनरेट की जाएगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी।
- प्रिया सॉफ्टवेयर (www.accountingonline.gov.in) पर कार्यों के आईडी (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- योजना बनाने की प्रक्रिया का शत प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ADO पंचायत द्वारा 03 माह में किया जाएगा।
- जिला पंचायत अधिकारी (DPRO) द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- मुख्य विकास अधिकारी (CDO) द्वारा 2 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाएगा। *(पृष्ठ संख्या 179 पर संलग्नक 10 को रेफर करें)*

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद करें और सत्र का समापन करें।

सत्र 3

प्रशिक्षण क्या है?
अथवा क्षेत्र भ्रमण (तृतीय दिवस में चर्चा की गई पी.आर.ए. पद्धतियों का ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग करना)

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ड्राफ्ट शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर को समझ पाएंगे।
- प्रशिक्षण के महत्व और आवश्यकता को रेखांकित कर पाएंगे।

समय

90 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- प्रतिभागियों की संख्या के बराबर ए–8 साइज के कागज के टुकड़े।

गतिविधि 1: समूह चर्चा

प्रतिभागियों को तीन समूह में बांट दें। प्रतिभागियों को कागज का एक–एक टुकड़ा दे दें। सभी प्रतिभागियों से आग्रह करें कि आगे दिए जा रहे काम को अपनी समझ से करें, किसी की नकल न करें।

तीनों समूहों को निम्नानुसार तीन काम करने को कहें:

- पहला समूह–कागज की नाव बनाएं।
- दूसरा समूह–कागज का हवाई जहाज बनाएं।
- तीसरा समूह– कागज की गेंद बनाएं।
- पांच मिनट बाद तीनों समूहों के सदस्यों को इस आधार पर अलग–अलग करें कि कौन दिए गए कार्य को ठीक से कर सका और कौन नहीं।

जो प्रतिभागी दिए गए काम को नहीं कर सके, उनसे जानें कि वे अपना काम क्यों नहीं कर सके? जवाब मिलने पर उन प्रतिभागियों से पूछें कि कार्य सीखा देने पर वह नाव, हवाई जहाज या गेंद बना सकते हैं?

उनके सकारात्मक जवाब आने पर सभी प्रतिभागियों को बताएं कि किसी काम को कुशलता से सम्पन्न करने के लिए उस कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है।

प्रतिभागियों से ही प्रशिक्षण को परिभाषित करवाने के लिए उन्हें एक घटना सुनाएं।

"कुछ गांवों में परियोजना के अन्तर्गत नए–नए ग्राम सेवक चिन्हित किए गए हैं। उनमें से एक ग्राम सेवक में सामाजिक कार्यों से जुड़ने की बहुत तीव्र उत्सुकता है लेकिन उसके पास चारों व्यवहारों से जुड़ा विस्तृत ज्ञान नहीं है। दूसरे सदस्य के पास जानकारियां तो काफी हैं लेकिन उसमें अपनी बात कहने और उस पर तर्क करने का हुनर नहीं है। तीसरे कार्यकर्ता के पास जानकारियां भी अच्छी हैं और अपनी बातों को कहने का हुनर भी उसे आता है, लेकिन वह लोगों से मिलने–जुलने में आलस करता रहता है।"

प्रतिभागियों से पूछें कि इन तीनों सदस्यों की कमियों को किन–किन श्रेणियों में रखें और उन्हें दूर करने के लिए क्या करें। चर्चा को इस निर्णय पर पहुंचाने का प्रयास करें कि पहले सदस्य की कमी/कमजोरी ज्ञान (Knowledge) से संबंधित है। दूसरे सदस्य की कमी दक्षता या कौशल (Skill) से संबंधित है। तीसरे सदस्य की कमी 'अभिवृत्ति' (Attitude) संबंधी कही जाएगी।

सभी प्रतिभागियों को बताएं कि ये सभी कमियां/कमजोरियां प्रशिक्षण द्वारा दूर की जा सकती हैं। जानकारियां या ज्ञान देना सबसे ज्यादा सरल काम है। कौशल देना, ज्ञान देने से ज्यादा कठिन काम है। अभिवृत्ति बदलना सबसे ज्यादा कठिन काम है। प्रशिक्षण के दौरान ये तीनों कार्य किए जाते हैं, जबकि शिक्षण के दौरान प्रायः केवल पहला कार्य किया जाता है।

सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की निम्नलिखित परिभाषा पर एकमत करें:

- किसी काम को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति के बदलाव की सुनिश्चित प्रक्रिया को ही प्रशिक्षण कहते हैं।
- वास्तव में प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को ज्ञान और कौशल देकर उसका व्यवहार में बदलाव लाने को अग्रसर करती है।

सत्र को समाप्त करने से पहले प्रश्क्षक यह पूछें की प्रशिक्षण के दौरान 5 क्षेत्र, 5 चरण अथवा किसी भी गतिविधि को लेकर किसी ओर प्रतिभागी के मन में कोई शंका हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही यदि कोई शंका या प्रश्न हो तो उसका समाधान करें।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

वयस्क के सीखने का चक्र एवं मनोविज्ञान

गतिविधि 1: वयस्क सीख चक्र

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सीख चक्र से परिचित हो पाएंगे।
- वे परिस्थितियां समझने लगेंगे जिनसे वयस्क सीखते हैं।
- ये प्रतिपादित करना कि वयस्क सीखने को महत्व कब देते हैं।
- वयस्कों को प्रशिक्षित करने के कौशल विकसित कर पाएंगे।
- सहभागी प्रशिक्षण पद्धति का महत्व बता पाएंगे।

समय

15 मिनट

प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न पूछें

- मेरे सुझाव देने/कह देने पर आप लोग सिलाई–कढ़ाई सीखेंगे?
- मेरे सुझाव देने/कह देने पर आप लोग पंचर जोड़ना सीखेंगे?
- मेरे सुझाव देने/कह देने पर आप लोग रोज सुबह 5 बजे उठकर घूमना शुरू कर देंगे?

प्रतिभागियों को चर्चा के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे बता पाएं कि उन्होंने क्या सोचकर जवाब दिया?

उपरोक्त सुझावों पर प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बोर्ड पर लिखें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- वयस्क उपरोक्त कसौटियों पर सोच–विचार का निर्णय लेते हैं।
- यदि सुझाव इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं, तब ही वयस्क उन्हें अपनाने और उपयोग में लेने को प्रेरित होते हैं।
- वयस्क बिना उद्देश्य के कुछ भी सीखना पसंद नहीं करते। वे वही सीखते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करता है और जिस सीख का वे अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में तत्काल कर सकते हैं।

निम्नलिखित पावर पॉइंट या वाइट बोर्ड पर रेखा चित्र बनाकर समझाएं,
उपरोक्त सीख चक्र के माध्यम से उन्हें बताएं कि:

- वयस्क वही सीखते हैं जो उन्हें **रुचिकर** लगता है।
- वयस्क वही सीखते हैं जिसमें उन्हें **लाभ** दिखता है।
- वयस्क वही याद रखते हैं जो उन्हें **उपयोगी** लगता है।

- वयस्क वही बात मानते हैं जो उन्हें अपने **अनुभवों के आधार पर सही** लगती है।
- वयस्क अपने **व्यक्तिगत अनुभवों** को महत्व देते हैं।
- वयस्क आपकी बात मान कर उन्हीं मामलों में व्यवहार को बदलने को प्रेरित होते हैं, जिनके प्रति वे पूरे **सोच–विचार** के बाद **निष्कर्ष** पर पहुंच चुके होते हैं, इसलिए हमें वयस्कों को सिखाते और उन्हें व्यवहार बदलाव के लिए प्रेरित करने के लिए की गई कार्यवाहियों में इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। *(पृष्ठ संख्या 181 पर संलग्नक 11 को रेफर करें)*

गतिविधि 2: समूह चर्चा

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सीखने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।
- सीखने के विभिन्न चरणों के बारे में जान पाएंगे।
- सीखने की प्रक्रिया का व्यवहारिक उपयोग कर पाएंगे।

समय

30 मिनट

प्रतिभागियों से पूछें कि सड़क पर चलते समय केले के छिलके पर फिसल जाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर नोट करें और प्रतिभागियों से विश्लेषित कराएं कि क्या प्रतिक्रियाओं में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई हैं:

दी गई प्रतिक्रियाएं	घटना
क्या हुआ?	केले के छिलके पर फिसल जाना
ऐसा क्यों हुआ?	
अब क्या करें?	

प्रतिभागियों को बताएं कि प्रायः हम 'ऐसा क्यों हुआ?' पर भी विचार नहीं करते इसलिए 'अब क्या करें?' पर भी न ही विचार किया जाता है और न ही कोई कार्यवाही की जाती है।

हमारा ध्यान 'क्या हुआ?' पर केन्द्रित होता है। इस बात पर अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि 'ऐसा क्यों हुआ?' और 'अब क्या किया जाए?' पर उससे भी कम ध्यान दिया जाता है।

होना इसके ठीक विपरीत चाहिए कि 'क्या हुआ' से ज्यादा 'क्यों हुआ?' पर ध्यान दिया जाना चाहिए था और 'क्यों हुआ?' से ज्यादा ध्यान 'अब क्या किया जाए?' पर दिया जाना चाहिए था।

क्या हुआ?	हमने समझाया पर लोग नहीं समझे।
क्यों हुआ?	शायद हमारे पास जानकारियां कम थीं। शायद हमने अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं किया। शायद हम उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए।
अब क्या करें?	अपनी जानकारियां/ज्ञान बढ़ाएं। अपना कौशल बढ़ाएं। उनकी समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण विकसित करें।

ऐसा करने पर हम पाएंगे कि हमारे ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में न सिर्फ सुधार हो रहा है बल्कि हम उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं अन्यथा हमारी स्थिति 'रट्टे तोता' जैसी हो जाएगी।

गतिविधि 3: परिस्थितियों की समझ

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- वयस्कों के सीखने की परिस्थितियों/प्रशिक्षण में सहभागिता के महत्व को वर्णित कर पाएंगे।

समय

60 मिनट

प्रतिभागियों को 6 समूहों में बांटे।

- प्रत्येक समूह को पहले से तैयार पर्चियों में से एक–एक वितरित करें। इन पर्चियों में प्रशिक्षण की एक स्थिति लिखी हुई है।
- प्रत्येक समूह को निर्देशित करें कि वे उनको मिली पर्ची में वर्णित स्थिति पर चर्चा करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि दी गई स्थितियों में उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी और वे किन स्थितियों/परिस्थितियों में सीखना पसंद करेंगे?

स्थिति–1 : आपको कुछ नहीं आता यह मानकर प्रशिक्षण दिया जाता है तो कैसा लगेगा?

स्थिति–2 : अगर प्रशिक्षण के दौरान आपके किसी विचारों/अनुभवों को मान्यता नहीं दी जाए?

स्थिति–3 : क्लास में बैठे बच्चों की तरह अनुशासित रख कर प्रशिक्षण दिया जाए?

स्थिति–4 : प्रशिक्षण के दौरान आपके अनुभवों को कोई मान्यता या सम्मान नहीं दिया जाए?

स्थिति–5 : प्रशिक्षण के दौरान आपका मखौल/हंसी उड़ाई जाए?

स्थिति–6 : प्रशिक्षण के दौरान आपको अपने मतलब का ज्ञान या कौशल न मिले?

समूहों से प्रस्तुतीकरण पर शेष सदस्यों की राय लें। प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं तथा विचारों को बोर्ड पर लिखते जाएं। अंत में प्रतिभागियों को बताएं कि वयस्कों को सिखाते/सम्प्रेषण करते वक्त यदि हम सचेत नहीं रहेंगे तो सामने बैठे वयस्क के मन में भी इसी तरह के भाव और विचार आएंगे तथा उन्हें सिखाने व व्यवहार बदलने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।

वयस्कों से सम्प्रेषण के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि:

- वयस्क अपने कार्यकलापों से अपना विकास कर सकते हैं।
- हो सकता है वे अशिक्षित/गरीब हों लेकिन उनके पास कठिन जिन्दगी से जूझने के भरपूर अनुभव होंगे।
- वयस्क से बात करते हुए हमें अपने आपको सही जानकारी का स्त्रोत मान कर प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। उनके पास भी पर्याप्त जानकारियां हैं।
- हमें उनकी रोजमर्रा की समझ को मान्यता देते हुए उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- जिन वयस्कों को उनके अनुभवों और ज्ञान के आधार पर सीखने को प्रेरित किया जाता है तो वह तेजी से सीखते हैं।
- महिलाओं के पास सीखने के मौके पुरुषों की अपेक्षा और भी सीमित हैं, इसलिए उनको सिखाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

सत्र 5

अच्छे प्रशिक्षक के गुण

गतिविधि 1: सामूहिक चर्चा

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- अच्छे प्रशिक्षक के गुणों को जान पाएंगे।
- अपने भीतर अच्छे प्रशिक्षक के गुणों को विकसित कर पाएंगे।

समय

30 मिनट

सभी प्रतिभागियों से यह बताने का निवेदन करें कि:

- उन्हें सबसे अच्छे शिक्षक कौन से लगते हैं? और क्यों?
- उन्हें सबसे खराब शिक्षक कौन से लगते हैं? और क्यों?

कुछ प्रतिभागियों से दोनों प्रकार के शिक्षकों के गुणों और अवगुणों पर विस्तार से वर्णन करने का निवेदन करें। गुण, अवगुण के वर्गीकरण के लिए उन्हें निम्नलिखित बिन्दु दें:

- शिक्षक के ज्ञान का स्तर।
- शिक्षक के पढ़ाने का तरीका।
- शिक्षक की बातचीत की शैली।
- विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहने का तरीका।
- कक्षा में अनुशासन बनाने का तरीका।
- पढ़ाने में नए तौर–तरीकों के उपयोग के कारण।
- शिक्षक के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण।

अच्छे एवं बुरे शिक्षकों के गुण–दोषों को चिन्हित करवा लेने के बाद सभी प्रतिभागियों को बताएं कि:

- जब विद्यार्थी (बच्चे) के रूप में आपने इतने सारे गुण–दोषों के आधार पर शिक्षक को पसंद या नापसंद किया है तो वयस्क भी कम से कम इन कसौटियों पर तो अपने प्रशिक्षक को पसंद या नापसंद करेंगे।

सहभागी पद्धति से प्रशिक्षण के दो मुख्य उद्देश्य हैं, सीखने वालों की सीखने की क्षमता विकसित करना और सीखने का उचित माहौल बनाना। इसलिए प्रशिक्षक में ये सभी गुण, प्रशिक्षण के प्रभाव को बढ़ा देते हैं।

सत्र 9

प्रशिक्षण पद्धतियां

गतिविधि 1: पद्धतियों का महत्व

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- प्रशिक्षण के उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का महत्व तथा उपयोग समझ पाएंगे।

समय

15 मिनट

प्रतिभागियों से पूछें कि अगर किसी नए विषय पर आपको ज्ञान प्राप्त करना है या किसी विषय पर ज्यादा गहरी जानकारी/ज्ञान चाहिए तो कारगर साधन कौन सा होगा, इसके लिए हम निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करें:

स्तर	पद्धतियां
ज्ञान	भाषा, पढ़ना, सिम्पोजियम, सेमिनार, इत्यादि पर जानकारी बढ़ाने के लिए प्रभावी पद्धतियां मानी गई हैं।
जागरूकता	छोटे समूह में चर्चा, सिमुलेशन, रोले प्ले, केस स्टडी, अभ्यास।
दक्षता	अभ्यास, क्षेत्र में काम करना, प्रदर्शन।

प्रतिभागियों को बताएं जब प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को ज्ञान/जानकारी देना हो या किसी विषय पर समझ बढ़ानी हो, तब पहले तीन तरीके काफी प्रभावी होते हैं। संभाषण की इस पद्धति में कम समय में ज्यादा जानकारियां पहुंचाई जा सकती हैं।

प्रतिभागियों को बताएं कि जब प्रतिभागियों को जागरूकता या कौशल देना होता है तो प्रशिक्षण में कई अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

- छोटे समूह में चर्चा।
- रोल प्ले।
- शैक्षणिक खेल।
- शैक्षणिक कहानियां।
- केस स्टडी।
- प्रत्यक्ष प्रदर्शन।
- प्रश्नोत्तरी।

प्रतिभागियों को बताएं कि प्रशिक्षण में इन सभी पद्धतियों का कुशलता से उपयोग करने परः

- प्रतिभागियों की भागीदारी बढ़ जाती है।
- प्रतिभागी सक्रिय होकर सीखते हैं।
- प्रतिभागी अपने पुराने अनुभवों से जोड़ कर नए विचारों को देख पाते हैं।
- प्रतिभागी अपने गलत व्यवहारों या गलत तरीकों को चिन्हित कर पाते हैं और सही व्यवहारों या तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

सत्र 7

सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया

गतिविधि 1: 'आओ नारे बनाएं'

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- वास्तविक सहभागिता का अर्थ बता पाएंगे।
- नेतृत्व द्वारा समुदाय को नेतृत्व के अवसर देने की प्रक्रिया को बता पाएंगे।

समय

30 मिनट

विधि

- प्रशिक्षक 8–10 प्रतिभागियों (केवल पुरुष या केवल महिला) को बुलाएं और उनको अपने निर्देशन में नारे लगाने को कहें।
- प्रतिभागियों को बताएं कि नारे की पहली लाइन आप बोलेंगे और दूसरी लाइन वे सब मिलकर बोलेंगे। नारा : हम सबने ये ठाना है।
- ग्राम विकास की योजना बनानी है।
- नारा लगाते हुए एक गोल चक्कर लगाएं।
- सभी प्रतिभागियों से पूछें कि क्या नारे लगाने में इन सभी की सहभागिता हुई?
- अब एक बार फिर नारा लगाने के लिए प्रतिभागियों को तैयार कीजिए। इस बार इस समूह में उस लिंग के एक सदस्य को भी शामिल कीजिए, जिस लिंग का पहले कोई सदस्य नहीं था।
- नारा लगाते हुए फिर एक गोल चक्कर लगाएं।
- सभी प्रतिभागियों से पूछें कि क्या नारा लगाने में अब ये लिंग के आधार पर सहभागिता हुई?
- प्रतिभागियों को बताएं कि पहली बार सिर्फ 'दिखावे की सहभागिता (Pseudo Participation) थी और दूसरी बार दूसरे प्रकार की भागीदारी लिंग के आधार पर 'प्रतीकात्मक सहभागिता (Symbolic Participation) थी।
- नारा लगाने वाले समूह में शामिल लोगों से कहें कि अब वे ग्राम पंचायत कार्य योजना निर्माण के लिए खुद एक नारा गढ़ें।
- इस काम को करने के लिए उन्हें 5 मिनट का समय दें।
- जब वे नारा तैयार कर लें, तो उस नारे के बारे में जानकारी लें, उनकी प्रशंसा करें और उनको अपने साथ बोलने के लिए कहें। ये कह कर आप फिर पुराने नारे को ही दोहरा दें।

- प्रतिभागियों को बताएं कि इस बार नारा बनाने के काम में सभी को शामिल किया गया। दिमागी रूप से सब लोग नारा बनाने के लिए सक्रिय हुए। उनसे बातचीत भी हुई लेकिन नारा लगाते समय समूह के अगुआ ने अपनी मनमानी की और सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। इस प्रकार की सहभागिता को Manipulated Participation कहते हैं।
- अब प्रतिभागियों को पुनः नारा बनाने के लिए इकट्ठा करें।
- उनसे ग्राम पंचायत विकास योजना पर नारा बनाने का आग्रह करें।
- प्रतिभागियों बताएं कि जानकारी के लिए अगर कोई आवश्यकता है तो उसके लिए साहित्य उपलब्ध है।
- इस कार्य के लिए उन्हें 10 मिनट का समय दें।
- उनके बनाए नारे को लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। नारे की पहली लाइन बोलने के लिए उन्हें अपना अगुआ चुनने का काम सौंपें।
- इस प्रकार पुनः नारे लगाकर एक चक्कर लगाएं।
- प्रतिभागियों को बताएं कि यह वास्तविक सहभागिता (Real Participation) है। इसमें सभी काम समूह को सही रूप से सक्षम और सक्रिय करके किए जा रहे थे। इस प्रक्रिया में सारे काम के सूत्र समूह के हाथ में हैं।
- प्रतिभागियों से पूछें कि उन्होंने कितनी बार नारे लगाएं?
- आपको नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजा कब आया?
- ये मजा किन–किन कारणों से आया?
- जितनी बार आपको नारे लगाने में मजा नहीं आया उसके पीछे क्या कारण है?

प्रतिभागियों को इस नतीजे पर पहुंचने में मदद कीजिए कि

- शुरू की दो नारे बाजी में वे अगुआ के लिए कठपुतली की तरह केवल नारा लगा रहे थे। विषय से उनका कोई जुड़ाव नहीं था।
- तीसरी वाले नारे बाजी में नारा बनाने का काम करते हुए उनका जुड़ाव विषय से हुआ और उन्होंने सोचना शुरू किया, इस प्रकार उनका विषय से जुड़ाव हो गया।
- चौथी बार नारे बाजी में उन्होंने लीडर की तरह खुद परेशानी ढूंढी, उस पर मिल जुलकर नारा बनाया, इसके लिए उन्होंने विषय पर और ज्यादा गहराई से विचार किया जिसके कारण वे परेशानी या विषय से और ज्यादा गहराई से जुड़ गए। यह सब करने के बाद उन्होंने खुद ही अपना लीडर चुना और उसकी लीडरशीप में नारेबाजी की।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- सहभागिता का अवसर मिलने पर लोग सोचना और निर्णय लेना शुरू करते हैं।
- सहभागिता के मौके मिलने पर हर सदस्य में अगुआई का विकास होता है और सहभागिता का मौका न मिलने पर हर सदस्य अगुआ की बात को बिना किसी विवाद के सिर्फ मानता या सिर्फ दोहराता है।
- जब सहभागिता का मौका नहीं मिलता तो कोई भी सदस्य कुछ नहीं सीखता और समूह अपनी ताकत से नहीं चलता। ऐसे समूह कमजोर हो जाते हैं।
- गांव से जुड़े हर काम और निर्णय में सहभागिता की स्थितियां पैदा करना अगुआई का काम है।
- प्रशिक्षण में सहभागिता के मौके पैदा करते रहने से प्रतिभागी जल्दी सीखते हैं।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और सत्र का समापन करें।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

पोस्को एक्ट में बाल शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

इस एक्ट के अनुसार 7 तरीकों के यौन शोषण को शामिल किया गया है जिसमे स्पर्श या बिना स्पर्श का यौन शोषण शामिल है जैसे कि बच्चों (लड़का/लड़की), को गंदी तस्वीरें/वीडियो दिखाना और अश्लील बातें करना भी शामिल है।

कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 से कम हो, उसकी सहमती या बिना सहमती के सम्भोग करना अपराध है इसलिए डॉक्टर, अध्यापक या बच्चों की देखभाल करने वालों को यदि यह पता चलता है कि बच्चों के साथ लिंग शोषण किया है या बच्ची गर्भवती हो गयी है तो तत्काल पुलिस को रिपोर्ट अनिवार्य है।

इस कानून के अंतर्गत अपराध हुआ तो वो साबित जिम्मेदार बच्चे पर नहीं होगी बल्कि इसकी जिम्मेदारी अपराधी पर होगी की उसने यह अपराध नहीं किया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट नामक पुराना कानून था, फिर भी बाल विवाह होता रहा है। बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। माता–पिता पंडित जी तक को सजा हो सकती है।
- विवाह के समय लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

दिवस – 5

समय	सत्र	प्रमुख बिन्दु	विधि	सामग्री	उद्देश्य
9:30–9:45	विगत दिवस का पुनरावलोकन				
9:45–11:00	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जी.पी.डी.पी. निर्माण की प्रक्रियाओं का डेमो	• जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया की समझ			जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया पर समझ और उसे समझने के तरीकों का प्रभास।
11:00–11:15	**चाय अवकाश**				
11:15–13:00	पूर्व सत्र जारी				
13:00–14:00	**भोजन अवकाश**				
14:00–15:00	पूर्व सत्र जारी				
15:00–16:00	खुला सत्रः पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर चर्चा				
16:00–17:00	समापन सत्र				

सत्र 1

आओ करके सीखें

गतिविधि 1: प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- विभिन्न सत्रों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर पाएंगे।

समय

240 मिनट

- सभी प्रतिभागियों को 5 के समूह में वितरित करें।
- प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि वे अभी तक प्राप्त किए गए ज्ञान तथा कौशल के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना के सत्रों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन करें।
- प्रतिभागियों में सत्रों का बंटवारा करें तथा उन्हें आवश्यक साहित्य व सामग्री वितरित करें।
- प्रत्येक समूह को अगले दिन इन सत्रों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का दायित्व सौंप कर इस दिवस का समापन करें।

निम्न विषयों पर प्रतिभागियों को आवश्यक रूप से तैयारी कर मॉक सत्र आयोजित करने को कहें:

क्रमांक	सत्र का विषय	तैयारी का समय	प्रस्तुतीकरण का समय
1	वातावरण निर्माण	40 मिनट	20 मिनट
2	परिस्थिति विश्लेषण	40 मिनट	20 मिनट
3	समस्याओं/आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण	40 मिनट	20 मिनट
4	रिसोर्स एन्वेलप (वित्तीय एवं मानव संसाधन)	40 मिनट	20 मिनट
5	वार्षिक और दीर्घकालिक योजना निर्माण	40 मिनट	20 मिनट

प्रत्येक सत्र के बाद खुली चर्चा हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इन विषयों से अलग यदि समय हो तो अन्य विषयों पर भी प्रस्तुति करवाई जा सकती है। प्रशिक्षण में सीखे हुए प्रशिक्षण की कोई भी विधि का उपयोग करने के लिए प्रतिभागी स्वतंत्र होंगे।

बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

इस अधिनियम में कुछ पेशों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें कार्य घंटों को तय करना, साप्ताहिक अवकाश सहित कार्य परिस्थितियों का विनियमन, निरीक्षकों को नोटिस, आयु रजिस्टर रखना आदि के संबंध मं विवादों को निपटाने के प्रावधान किए गए है। 2006 में जारी की गई अधिसूचना द्वारा होटलों, ढाबों भोजनालयों और मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के घरेलू कामगारों को अधिनियम की परिधि में लाया गया है। बाल श्रम के संपूर्ण उन्मूलन की ओर यह एक कदम है।

- अनूसूची क और ख में ऐसे 16 पेशे और 65 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जिनमें बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- अधिनियम की धारा 17 में ऐसे सभी की पहचान की गई है। जिन्हें काम करने वाले बच्चों का बचाव करने के लिए अधिनियम द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम तथा श्रम के लिए जाने वाले बच्चों हेतु छापा मारने और उन्हें बचाने का मसौदा प्रोटोकाल प्रक्रिया प्रस्तुत किया है।

कोइ भी बालक/बालिका जो कि 14 वर्ष से कम है कि सी व्यवसाय या खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने से रोकना।

कुछ परिस्थितियों को छोड़कर।

जिसमें बालक/बालिका स्कूल के उपरांत जीविका चलाने हेतु पार्ट टाइम कार्य करता है अथवा परिवार में हाथ बटाने के लिए परिवार के साथ कोई छोटा मोटा कार्य कर रहा है। जब तक कि यह कार्य किसी भी प्रकार से बच्चे के मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक प्रगति पर बाधा न बन रहा हो।

संलग्नक

बाल संरक्षण के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यवस्था

बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति का गठन प्रत्येक जिले में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो देखरेख एवं सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले बच्चों का संज्ञान लेगी एवं उनके विकास, पुर्नवास इत्यादि हेतु कार्य करेगी।

किशोर न्याय बार्ड

प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बार्ड होगें, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एव सुरक्षा) अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया जाएगा। जो विधि के विरूद्ध श्रेणी में आने वाले बच्चों के मामलों का न्यायनिर्णयन एवं निपटान करेगा।

जिला बाल संरक्षण

जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला स्तर पर सभी बाल अधिकार और संरक्षण क्रिया–कलापों का समन्वयन और कार्यान्वयन करेगी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई

राज्य सरकार इन नियमों की अधिसूचना के चार माह के भीतर जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नियुक्त करेगी और इकाई में पुलिस निरीक्षक स्तर का किशोर या बालक कल्याण अधिकारी तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो वैतानिक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने दो समाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा उपलब्ध कराएगी।

संस्थाएं

- बाल कल्याण समिति (CWC)
- किशोर न्याय बोर्ड (JJB)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)
- चाइल्ड लाइन (1098)
- आश्रय गृह/बाल गृह/संरक्षण गृह/ड्राप इन सेन्टर खुला आश्रय गृह (Shelter Homes)
- दस्तक ग्रहण

संलग्नक 1: पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायत एक अवधारण

- सामान्य बोल–चाल की भाषा में 'पंचायत' का आशय पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह है, जिसका गठन औपचारिक अथवा अनौपचारिक तौर पर किसी प्रयोजन के लिये स्थायी अथवा अस्थायी रूप में किया जाता है।
- शब्दकोषों में पंचायत को ग्राम की पांच या अधिक व्यक्तियों की ऐसी संस्था या समिति के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है, जो एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्याओं का सरकारी कानून के दायरे में रहकर निदान खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करती है।
- कभी जातीय पंचायत, कभी सामाजिक मामलों में मध्यस्थता करने वाली पंचायत, अथवा कभी ग्रामों की स्वायत्ता में अपना योगदान करने वाली संस्था के रूप में इसकी पहचान रही है।
- अब इन्हें केवल पंचायत न कहकर पंचायती राज के रूप में संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ ही होता है कि स्थानीय स्वायत्त शासन की एक पद्धति।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसी इकाई है, जिसके माध्यम से स्थायी स्वायत्त शासन (स्थानीय लोगों का अपना शासन) चलाया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में ग्राम पंचायतों का एक लम्बा इतिहास है।
- पहले पंचायतें एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करती थीं।
- इनका प्रादुर्भाव सहज रूप से ग्रामीण जीवन शैली के रूप में हुआ था।
- इनका उल्लेख वेदों, उपनिषदों एवं जातक कथाओं आदि में मिलता है।
- अथर्ववेद के अनुसार वैदिक काल में ग्रामीण सभाओं एवं संघों का प्रभावशाली अस्तित्व था। इनमें ग्रामवासी एकत्र होकर स्थानीय सार्वजनिक हितों के संबंध में निर्णय लिया करते थे।
- बौद्धकाल एवं मार्यकालीन भारत में ग्राम पंचायतें न केवल अस्तित्व में रहीं, वरन् वे और अधिक सशक्त सुदृढ़ होकर उभरीं। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रत्येक ग्राम में अपनी एक सभा हुआ करती थी।
- मुगलकाल में ग्रामीण जीवन एवं उसकी संस्थायें अपनी परम्परागत रीति का अनुपालन करती रहीं, क्योंकि अधिकांश शासकों द्वारा देश की ग्रामीण संस्कृति एवं व्यवस्था पर सीधे प्रहार कभी नहीं किया गया। इसके मूल में दो कारण थे। एक शासक वर्ग अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्षशील रहा। दूसरा, अकबर एवं शाहजहां जैसे मुगल शासकों ने समझ लिया था कि सामान्य जनमानस को उद्वेलित कर उनके साम्राज्य का टिकना मुश्किल हो जायेगा,

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1870 में वाइसराय मेयो ने स्थानीय स्वशासन को विकसित करके विकेन्द्रीकरण की नीति का सूत्रपात किया।
- लार्ड मेयो के पद्चिन्हों पर चलते हुए लार्ड रिपन ने वर्ष 1882 में अत्यंत आवश्यक ऐसी संस्थाओं का एक प्रजातांत्रिक ढांचा तैयार किया।
- वर्ष 1915 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव में यह सुझाव दिया कि गांव पंचायतों की स्थापना करने के साथ–साथ उन्हें सुदृढ़ आर्थिक आधार भी प्रदत्त किया जाये।
- वर्ष 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रमुख उद्देश्य लोगों को अपने स्वयं के स्थानीय मामलों के प्रबंधन करने की शिक्षा देना है।
- वर्ष 1925 तक उत्तर प्रदेश सहित आठ प्रदेशों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। वर्ष 1926 तक छः देशी रियासतों द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए।

स्वाधीन भारत में पंचायतों का विकास

- सामान्य स्वाधीन भारत में सरकार द्वारा गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार करने हेतु सम्पूर्ण देश में पंचायती राज स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के साथ–साथ देश का पहला राज्य था, जिसने वर्ष 1947 में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 पारित किया तथा वर्ष 1949 से पंचायती राज संस्थाओं का विधिवत गठन किया गया।
- भारतीय संविधान के भाग–चार में पंचायत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत अनुच्छेद–40 में इसे इस प्रकार जोड़ दिया गया : ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों''।
- बलवंतराय मेहता अध्ययन दल (1957) इस समिति का गठन मुख्यतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु किया गया था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह तथ्य उजागर किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी गलती यह है कि इसके संचालन में जनता का सहयोग नहीं लिया गया।
- इस परिप्रेक्ष्य में मेहता समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सामुदायिक विकास को गति एवं स्थायत्वि प्रदान करने के लिए समीचीन होगा कि जनता को अपनी आधाभूत आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता हेतु एक सशक्त मंच उपलब्ध कराया जाय।
- इस सुझाव को कार्यरूप में परिणित करने हेतु सामान्य जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था स्थापित की जाये।

क्रमशः

पिछड़े संथानम कमेटी (1963) पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति ठीक करने के संबंध में परामर्श देने हेतु भारत सरकार द्वारा संथानम कमेटी का गठन 1963 में किया गया था।

- इस समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पंचायतें गृह कर, तथा वाहन कर अनिवार्य रूप से लगाएं।
- इस समिति द्वारा पंचायतों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों को विकसित करने की दृष्टि से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पंचायतराज वित्त निगम स्थापित किए जाने की मुख्य रूप से संस्तुति की गई थी।

अशोक मेहता समिति (1977–78) भारत सरकार ने वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की थी।

- पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए।
- पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- इन संस्थाओं के चुनाव समय पर अनिवार्यतः हो जाने चाहिए।
- पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्वि–स्तरीय होना चाहिए। पहला जिला स्तर पर तथा दूसरा मण्डल स्तर पर।
- जी.के.वी. राव समिति (1985) इस समिति का काम ग्राम विकास के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की समीक्षा करना था।
- समिति ने सिफारिश की, कि जिला परिषदों को सुदृढ़ बनाया जाये, जिला स्तर पर योजना बनाने तथा खण्ड और निम्न स्तर की योजना निर्माण में संसाधनों के साथ बेहतर तालमेल भी रखा जाए।

क्रमशः

एल.एम. सिंघवी समिति (1986) सिंघवी कमेटी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई थी।

- उसका कहना था कि भारतीय संविधान में इसके लिए पृथक अध्याय जोड़ा जाये, ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पहचान एवं सत्यनिष्ठा भरपूर एवं सारगर्भित रूप से अक्षुण हो सके।
- पी.के. थुंगन समिति (1988) इस समिति का गठन भी पंचायत राज व्यवस्था पर विचार करने के लिए किया गया।
- इस समिति ने अपने सिफारिश में कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

क्रमशः

संशोधन की पृष्ठीाूमि

- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 72वां संविधान संशोधन विधेयक 16 दिसम्बर 1991 को पेश किया गया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (प्रवर समिति) को विचार करने के लिए सौंप दिया गया। इस समिति ने अपनी सहमति जुलाई 1992 को दिया तथा संशोधन विधेयक का क्रम बदल कर 73वां कर दिया।
- जिसे 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा ने तथा 23 दिसम्बर 1992 को राज्य सभा ने पारित कर दिया। 17 राज्यों की स्वीकृति मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति से स्वीकृत लेने के लिए प्रस्तुत किया गया जिस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया।
- इस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें एक वर्ष के भीतर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अपने यहां कानून बनाए या पूर्व में चले आ रहे कानून को इस संशोधन के अनुसार संशोधित कर लें।

73वां संविधान संशोधन

- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन अनिवार्य होगा। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। राज्यों को इस बात का निर्देश है, कि राज्य के विधान मण्डल द्वारा कानून बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किये जाएंगे।
- पूरे देश में ढांचागत एकरूपता लाने के लिए त्रिस्तरीय ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था लागू की गयी।
- कार्यकाल पांच वर्ष का चुनाव अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था को नियमित, निष्पक्ष एवं सुचारू–रूप से संचालित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया हैं
- तीनों स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा।
- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उस राज्य क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्ष व सदस्य के पद आरक्षित होंगे।
- महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सदस्यों का एक तिहाई से अन्यून भाग आरक्षित होगा। यह व्यवस्था प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के पद हेतु भी होगी।

क्रमशः

- पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया।
- संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर राज्य वित्त आयोग के गठन तथा पंचायतों के ऑडिट की समुचित व्यवस्था की गयी।
- ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से विकास के लिए 29 विभागों के कार्ये को पंचायतों के सुपुर्द करने की व्यवस्था की गई।
- सभी स्तर की पंचायतों के चुनाव में भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की एक निश्चित आयु सीमा–21 वर्ष का निर्धारण।
- ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी के साथ योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान इसी क्रम में 74वें संविधान संशोधन में किया गया है।
- इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया जिससे पंचायत राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन्न स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में विकसित किया जा सके। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निश्चित किया गया।

ग्राम सभा एक परिचय

- ग्राम सभा का तात्पर्य गांव में रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक समूह से है जिसमें शामिल व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। जहां एक से अधिक ग्राम शामिल हैं वहां सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा।
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 2 (छ) किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम की निर्वाचन नियमावली/मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी।
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 3 राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगी।

ग्राम सभा एक परिचय

ग्राम सभा के कार्य

- समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना।
- ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता पहुंचाना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अनुरूप केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार 2 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकि स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है।
- ग्राम सभा की बैठक में ही वाषिक कार्य योजना की पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग्राम पंचायत एक परिचय

- संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 11–च के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जाएगा।
- संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12–1 (क) के आधार पर प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी।
- धारा–12(1)(ख) के अनुसार ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी।
- धारा–12(1) (ग) के अनुसार किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में,
- जिसकी जनसंख्या एक हजार हो, नौ सदस्य होंगे।
- एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होंगे।
- दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, तेरह सदस्य होंगे।
- तीन हजार से अधिक हो तो पन्द्रह सदस्य होंगे।
- ग्राम पंचायत के कार्य– जैसेः. ग्रामीण आवास :पेयजल ईंधन और चारा भूमि लघु वन उत्पादन सामाजिक और कृषि वानिकी :मत्स्य पालन पशु पालन दुग्ध उद्योग सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार
- गरीबी उपशमन कार्यक्रम चिकित्सा और स्वच्छता

स्थायी समितियां एवं उनके कार्य

क्रं सं.	समिति का नाम	
	नियोजन एवं विकास समिति	कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन एवं योजना बनाना।
	शिक्षा समिति	प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित काम।
	निर्माण कार्य समिति	सभी निर्माण काम कराना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी काम, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण विशेष रूप से महिला बाल कल्याण
	प्रशासनिक समिति	राशन की दुकान संबंधी कार्य पंचायत स्तर पर कर्मियों संबंधी समस्त विषय
	जल प्रबन्धन समिति	नलकूपों का संचालन पीने के पानी संबंधी कार्य

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं समितियां

संगठन	कार्यकाल	बैठक	सूचना	कोरम	अध्यक्षता
ग्राम सभा	स्थायी	वर्ष में 2 बार	15 दिन पूर्व	1/5	प्रधान
ग्राम पंचायत	5 वर्ष	महीने में एक बार	5 दिन पूर्व	1/3	प्रधान
स्थायी समितियां	5 वर्ष	महीने में एक बार	5 दिन पूर्व	4 सदस्य	संबंधित समिति का सभापति

संलग्नक 2: विकास गरिमा के साथ रहने का अधिकार

प्रतिभागियों को दोनों चित्रों को दिखाकर निम्नलिखित चर्चा करें:

- चित्रों में क्या हो रहा है?
- दोनों चित्रों में क्या अंतर है?

संलग्नक 3: आपदा पूर्व/पश्चात् संभावित गतिविधि

आपदा पूर्व संभावित गतिविधियां	कैसे
समुदाय स्तर पर जोखिम की पहचान और उससे निपटने की तैयारी हेतु योजना का निर्माण।	• सामुदायिक सदस्यों, वार्ड के सदस्यों, किसानों क्लब, एस.एच.जी., युवा समूह, युवा, शिक्षक और धार्मिक नेताओं (प्रधान) के साथ खुली बैठक में सूचनाओ का अदान–प्रदान।
उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की खामियों की पहचान कर उनकी क्षमता वृद्धि	• सामुदायिक नेताओं, एन.जी.ओ., समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूह, महिला प्रतिनिधियों के साथ परामर्श, जो पहल कर समुदाय के सदस्यों की क्षमता विकसित करने और सहयोग करने के लिए तैयार हो।
प्राकृतिक आपदा–प्रभावी क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करने की लिए उपायों का विकास	• आपदा प्रभावी गांव ध्रुरवो में उच्च स्थानों पर हैण्ड पम्प के निर्माण की कार्य योजना। • उच्च स्थानों पर आश्रय स्थल का निर्माण • पूर्व में ही क्लोरीन टैबलेट, दवाइयां, अनाज, चारा, बीज, जीवन रक्षक जैकेट, लाइफ बुयाय ट्यूब, नौकाओं, रस्सियों और स्ट्रेचर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लॉक–स्तर पर कृषि और बागवानी विभाग के साथ साझेदारी कर ऐसे फसलों की खेती को बढ़ावा देना जो कम समय में तैयार हो सके। • गांवों में वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी के लिए प्रोत्साहित करना एवं निवेश को बढ़ावा देना। • ब्लॉक स्तर पर पशु निरीक्षक के साथ पशुधन की टीकाकरण सुनिश्चित करें या ग्राम पंचायत स्तर पर प्राइवेट के माध्यम से टीकाकरण सुनिश्चित करें। • ग्रामीण स्तर पर पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय की पहचान करें।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि	कैसे
लोगों को फसल, पशुधन और अन्य संपत्तियां का बीमा करने के लिए प्रोत्साहित करें।	• फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर जागरूकता शिविर का आयोजन। • जागरूकता शिविर की व्यवस्था कर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनियों को आमंत्रित करें और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने पर किसानों को सुरक्षा व्यवस्था एवं पशुधन की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने लिए उन लोगों के लिए जो क्षति को बर्दास्त नहीं कर सकते,(ग्रामप्रधान/सचिव और वार्ड सदस्यों) सरकार की सहायत दिलाने में मदद करे।
• आपदा प्रभावी क्षेत्रों वाले गाँव में टास्क फोर्स का गठन कर उनकी क्षमता वृद्धि। • समुदाय आधारित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना जिसकी पहुच (रेडियो, टीवी, ध्वनि चेतावनी झंडे इत्यादि) के माध्यम से पूरे समुदाय तक हो।	महिलाओं के समूहों, युवा समूहों, क्लब, वार्ड सदस्यों, किसानों के समूह, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य पंचायत स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान/सचिव) को शामिल कर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स गठन जो निम्नानुसार हो सकते हैं: 1. सूचना और चेतावनी दल 2. निकासी और खोज एवं बचाव टीम 3. प्राथमिक चिकित्सा 4. जल एवं स्वच्छता दल 5. आश्रय प्रबंधन 6. राहत प्रबंधन 7. शव निपटान दल 8. नुकसान आकलन दल 9. पुनर्निर्माण और पुनर्वास टीम उपरोक्त टास्क फोर्स को सक्षम बनाने के लिए आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की परिस्थितियों में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।
• अनाज/बीज/चारा बैंक की स्थापना	• अनाज बैंक/चारा बैंक/बीज बैंक के माध्यम से लोंगो के लिए भोजन एवं पशुओ के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित समाधानों की पहचान करें। • (अनाज बैंक/चारा बैंक/बीज बैंक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जा सकता है)।

आपदा पश्चात् संभावित गतिविधियां	कैसे
	• ग्राम प्रधान/सचिव/वार्ड मेम्बर निम्न को सुनिश्चित करें। • प्रतिकर के भुगतान के लिए पीड़ितो की पहचान और उनका 'राज्य आपदा राहत निधि' के मानको के अनुसार वितरण । • मुआवजा पाने लिए पालन की जाने वाली लेखन प्रक्रिया विशेषकर मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा आदि से संबंधित मामलो में पेपर कार्य हेतु। • परिवारों की सहायता करें। • यह सुनिश्चित करें कि जो सरकारी विभाग मुआवजे के लिए जिम्मेदार उन तक संबंधित कागजात और मूल्यांकन पत्र समय पर सहायता हेतु पहुंचें। • जिसमे जीवन की हानि, संपत्ति की हानि, फसलों की हानि, पशुधन नुकसान का मुआवजा आदि के साथ पुनर्वास, मरम्मत और और पुनर्निर्माण के लिए योजना और उसका क्रियान्वयन। • घरों, सामुदायिक भवनों के पुनर्निर्माण के लिए योजना तैयार करना, जीपी के अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों, हैण्ड पंप आदि के जीर्णोधार के लिए ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी की सहायता के साथ काम। • सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए न्यूनतम विनिर्देश • स्वास्थ्य/शैक्षणिक सुविधाएं की पूर्व अवस्था की प्राप्ति या अस्थायी विकल्प की बहाली। • सभी के लिए बैंक खाता सुनिश्चित करें और समूह के लिए सहयोग कर उनको बैंक के साथ जोड़े।

संलग्नक 4: नियमित टीकाकरण

संलग्नक 5: देखने का नज़रिया

संलग्नक 6: उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड

उत्तर प्रदेश विकास डैश बोर्ड

समूह 1 अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• 2017–18 का उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट रुपए 3,84,659.71 करोड़। • यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत ज्यादा है। • उत्तर प्रदेश में नई योजनाओं के लिए रुपए 55,781.96 करोड़ का प्रावधान है। • सामाजिक कल्याण– रुपए 22,665 करोड़। • फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य कृषि विकास योजना– रुपए 969.00 करोड़। • पंडित दीन दयाल किसान समृद्धि योजना– रुपए 10 करोड़। • किसानों की 'ऋण माफी'– रुपए 36 करोड़। • केन्द्र सहायित योजनाएं– • प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण रुपए 3096 करोड़। • प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी रुपए 2942 करोड़। • मनरेगा– रुपए 1260 करोड़। • प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना– रुपए 1769 करोड़।	**गरीबी** • लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। (2011 का सेंसस तथा प्लानिंग विभाग की 2016–17 का वार्षिक प्लान) • प्रति वर्ष 26 लाख से ज्यादा लोग राज्य के बाहर पलायन करने को मजबूर हैं।	• गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे कितने लोग जीवन गुजार रहे हैं? • अंतयोदय के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कितने परिवारों की गिनती, सबसे ज्यादा गरीब परिवारों के रूप में की जा सकती है? • महिला मुखिया वाले कितने परिवार हैं? • एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या कितनी है? • मनरेगा के अंतर्गत औसत कितने दिनों का रोजगार सृजन होता है? • कितनी विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलती है? • upagriculture.com में कितने कृषक पंजीकृत हैं? • कितने दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र/आधार मिला है? • अभी तक कितने घरों (House hold) को प्रमाणित किया गया है? • कितने परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं? • कितने परिवार भूमिहीन हैं/कितने परिवारों के पास खेत नहीं हैं? • कितने परिवारों की भूमि खेती करने योग्य नहीं है? (सिंचाई की कमी या कोई अन्य कारण) • कितने परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है?

समूह 2 स्वास्थ्य

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• 2017–18 का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बजट रुपए 5500 करोड़। • 108 नंबर की एंबुलेंस सेवा में 712 एंबुलेंस और जुड़ीं। • माह की प्रत्येक 5 तारीख को बचपन दिवस का आयोजन। • माह की प्रत्येक 15 तारीख को लाड़ली दिवस का आयोजन। • मातृत्व वंदना योजना में रुपए 5000/– का प्रावधान। • जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के लिए रुपए 1400/ का प्रावधान।	उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 54 लाख बच्चे जन्म लेते हैं इनमें से– • 24 लाख शिशुओं का जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है। • 18 लाख शिशु घर में जन्म लेते हैं। • 12 लाख शिशुओं का जन्म प्राइवेट अस्पतालों में होता है। • कुल 67.2 प्रतिशत की दर से संस्थागत प्रसव का अर्थ है कि अभी भी 30 प्रतिशत से ज्यादा घरेलु प्रसव हो रहे हैं। • विभाग द्वारा अनुशंसित, गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सेवा–सुविधा (ANC) का लाभ सिर्फ 3.8 प्रतिशत ग्रामीण गर्भवती ही ले पाती हैं। • नवजात शिशु मृत्यु दर (IMR) में उत्तर प्रदेश राष्ट्र के 30 प्रदेशों की सूची में 28वें नंबर पर है। ये शिशु अपना पहला जन्म दिन भी नहीं मना पाते। • देश में जन्में 1000 जीवित शिशुओं में 37 शिशुओं की मृत्यु होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 46 है। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में 1000 जीवित शिशुओं में से 46 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। • देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां जन्में 1000 जीवित शिशुओं में 10 से भी कम शिशुओं की मृत्यु होती है। • इन मरने वाले शिशुओं में भी बालिका शिशुओं का औसत ज्यादा है। बालक शिशु मृत्यु दर 44 है तो बालिका शिशु मृत्यु दर 48 है।	• कितने नवजात शिशु अपना पहला जन्म दिन मनाने से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं? • इनमें से कितने बालक शिशु होते हैं और कितनी बालिका शिशु? • जन्म के 28 दिनों के भीतर कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है? • इनमें कितने बालक शिशु होते हैं और कितनी बालिका शिशु? • ये असमानता क्या दर्शा रही है? • कितने घरेलू प्रसव हो रहे हैं? • ये प्रसव कौन करवाता है? क्या वह प्रशिक्षित है? • क्या जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात स्तनपान (Colostrum) कर पाते हैं? • क्या नवजात शिशुओं को मां के दूध के अलावा कुछ और दिया जाता है? • कितने बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित हैं? • कितने परिवार बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाना चाहते? • कितने परिवारों (ईंट भट्टा पर काम करने वाले, पलायन पर निकले परिवार आदि) की टीकाकरण सुविधा तक पहुंच ही नहीं है? • कितनी महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं?

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
	• उत्तर प्रदेश में नवजात मृत्यु दर (Neonatal morality rate) (जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशु मृत्यु) भी राष्ट्रीय दर से ऊंची है। उत्तर प्रदेश में यह दर 31 है जबकि भारत वर्ष में 25 मात्र। • उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (MMR) भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में एक लाख प्रसव में 258 महिलाओं की मृत्यु होती है जबकि भारत वर्ष में 167 महिलाओं की। • उत्तर प्रदेश में जन्म के एक घंटे के भीतर सिर्फ 25.2% नवजात स्तनपान कर पाते हैं। (NFHS–4) • उत्तर प्रदेश में नियमित टीकाकरण का कवरेज 51% है जबकि राष्ट्रीय प्रतिशत 62 है। • उत्तर प्रदेश में 52.4% महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं (NFHS–4)। इसका आशय है कि उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। • जानवरों के काटने से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं।	• क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ए.एन.एम. इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं? • जानवरों के काटने से कितने लोग मरते हैं? • किन्हीं मौसमी बीमारियां/महामारी का प्रकोप (टाइफाइड, चिकन पॉक्स, टी.बी., खसरा, मलेरिया, जे.ई., फिलराइसिस, काला जार, आदि)?

समूह 3 पोषण

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• प्रबंधन (प्रोक्यूरमेंट) बजट (2016–17) – रुपए 430744/– लाख आई.सी.डी.एस. के लिए। • 75 ज़िलों में 187,997 आंगनवाड़ियां। • पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 133 लाख बच्चे। • परियोजना का अमल? • डी.पी.ओ. 50 • सी.पी.डी.ओ. 641 • सुपरवाइज़र 4247 • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 173944 • आंगनवाड़ी सहायिका 154258 • डी.पी.ओ. के 40% पद रिक्त हैं। • प्रत्येक माह एक निश्चित दिवस (बुध/शनिवार) को उप केन्द्र की ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम की आशा के संयुक्त प्रयास से प्रत्येक ग्राम में वी.एच.एन.डी. दिवस का आयोजन। • उप केन्द्र के छूट गए गांवों में उसी महीने के किसी अन्य दिवस पर वी.एच.एन.डी. दिवस का आयोजन। • वी.एच.एन.डी. का आयोजन गांव के आंगनवाड़ी केन्द्र पर या ऐसी जगह पर जहां समुदाय के सभी लोग सुविधा से पहुंच सकें। • वी.एच.एन.डी. में दी जाने वाली सेवाएं–सुविधाएं • गर्भवती का पंजीयन तथा संबंधित सेवा सुविधा तथा परामर्श। • परिवार नियोजन से संबंधित सेवा सुविधा तथा परामर्श। • आई.एफ.ए., डी–वर्मिंग तथा बच्चों की अन्य सामान्य बीमारियों से संबंधित उपचार तथा दवाओं का वितरण। • वी.एच.एन.डी. के बारे में फीडबैक और गुणवत्ता सुधार के सुझाव लेने के लिए मेगा कॉलसेंटर।	• उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के 46 प्रतिशत बच्चों का विकास और शरीर का बढ़ना, खराब पोषण के कारण अवरुद्ध हो जाता है। (उम्र के अनुसार ऊंचाई का बढ़ना) • एक वर्ष में अनुमानित 310,000 बच्चों की मौत कुपोषण के कारण होती है। • पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में से 45 प्रतिशत मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। • अनुमान है कि पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 45 लाख बच्चे ऊंचाई के अनुपात में कम वज़न के हैं। • अनुमान है कि 6 माह से कम उम्र के लगभग 16 लाख बच्चों को 6 माह तक सिर्फ मां के दूध पर नहीं पाला जाता। (6 माह तक सिर्फ स्तनपान)	• पंचायत में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? • क्या वे नियमित खुलते हैं? (साल में 300 दिन और महीने में 25 दिन) • आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होने की योग्यता वाले कितने बच्चे हैं? • आंगनवाड़ी केन्द्र में कितने बच्चे पंजीकृत हैं तथा कितने बच्चे केन्द्र में आते हैं? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र में वज़न मशीन चालू हालत में है? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों का नियमित वज़न लिया जाता है? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषक आहार की नियमित सप्लाई होती है? • क्या आधार कार्ड को SNP से लिंक कराया गया है? • कितने परिवारों में कुपोषित बच्चे और कमजोर गर्भवती महिलाएं हैं? • क्या गर्भवती महिलाओं के लिए आई.एफ.ए. की गोलियों और बच्चों के लिए विटामिन ए (वर्ष में दो बार) की नियमित व्यवस्था है? • क्या वी.एच.एन.डी. का आयोजन होता है? • क्या वी.एच.एन.डी. के स्थान पर गर्भवती की जांचों की व्यवस्था है? • क्या वी.एच.एन.डी. में परामर्श दिया जाता है? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र/वी.एच.एन.डी. द्वारा दी जा रही सेवा–सुविधा में कोई अभाव है? • क्या ग्राम पंचायत पर आयोडिन युक्त नमक उपलब्ध रहता है? • क्या मनरेगा के कामों की जगह पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच उपलब्ध होता है?

समूह 4 शिक्षा

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• 2017–18 का उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट रुपए 62351 करोड़। • सर्व शिक्षा का बजट रुपए 9461 करोड़। • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए बजट रुपए 551 करोड़। • मध्यान भोजन का बजट रुपए 254 करोड़। • दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की स्कॉलर शिप (वजीफा) के लिए बजट रुपए 142 करोड़। • डिग्री कॉलेज तथा विश्व विद्यालयों में वाई फाई सुविधा के लिए बजट रुपए 50 करोड़। • स्कूल के विद्यार्थियों को स्वेटर, जूते और मोजे वितरण के लिए रुपए 300 करोड़ का प्रावधान।	• उत्तर प्रदेश में 1 लाख 60 हजार बच्चे स्कूल से बाहर हैं। • उत्तर प्रदेश के 6 से 13 वर्ष तक के कुल 41 लाख बच्चों में से 1 लाख 60 हजार बच्चे स्कूल से बाहर हैं। (SRI-LMRB study for MHRD, 2014) • उत्तर प्रदेश में कक्षा 4 से कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों का कमजोर शैक्षणिक परिणाम। विभिन्न विषयों में 40 से 50% के बीच। (State Level Achievement Survey 2014) • पांचवीं कक्षा के मात्र 47% विद्यार्थी ही विचारों को ग्रहण करने और हिन्दी में उनका अर्थ समझने में सक्षम हैं। (National Achievement Survey, Cycle–4, NCERT, 2014) • उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर में ही 8.58% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यह राष्ट्रीय वार्षिक अनुपात 4.13% से दोगुने से भी ज्यादा है। (School Education in India, U–DISE, 2015–16, NUEPA) • उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जाने वाले बच्चों की दर 79.10% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 90.14% का है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश इस मुद्दे पर काफी पिछड़ा हुआ है। (School Education in India, U-DISE, 2015-16, NUEPA)	• क्या आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों को पूर्व शिक्षा मिलती है? (आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की पूर्व शिक्षा के लिए कविता, कहानी और अन्य गतिविधियों का प्रावधान है।) • कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते? • कितने लड़के? कितनी लड़कियां? • क्या प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में जाने वाले बच्चों की संख्या में कोई कमी आती है? • गरीबी के कारण कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं? • क्या शाला प्रबंधन समिति (SMC) सक्रिय है और उसकी बैठकें होती हैं? • क्या शाला प्रबंधन समिति कुछ जरूरतें बताती है? • क्या स्कूल में नियमित पढ़ाई होती है? • क्या स्कूल जाने वाले बच्चों में उनकी उम्र के अनुरूप अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक क्षमताएं दिखाई देती हैं? • स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए चालू हालत में अलग–अलग शौचालय हैं? • क्या माहवारी के कारण लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं? • स्कूल में यूनिफॉर्म, किताबों, सेनेटरी नेपकिन आदि की आपूर्ति कैसी है? • मध्यान भोजन की गुणवत्ता कैसी है? • क्या ये नियमित है?

समूह 5 बाल सुरक्षा

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• IPCS योजना	• उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के मात्र 10% बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं। • उत्तर प्रदेश में 20 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। • 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के 28 लाख बच्चे विवाहित हैं। इनमें से 71% लड़कियां हैं। • उत्तर प्रदेश में काम–काजी बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीस लाख चालीस हजार बाल श्रमिक हैं। • उत्तर प्रदेश में जुविनाइन जस्टिस बोर्ड में तैतीस हजार बच्चों के प्रकरण लंबित हैं। • भारत नेपाल सीमा मानव तस्करी के लिए अति संवेदनशील हैं, और उत्तर प्रदेश से बच्चों और महिलाओं को तस्करी के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है।	• बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की क्या स्थिति है? • 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं? • कितनी लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है? • इनमें से कितने लड़के हैं? • कितने बच्चे घरों में/गांव में/नजदीक की बस्ती में/शहर में काम करते है? • इनमें से कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? • क्या गांव के किन्हीं बच्चों पर कोई कानूनी प्रकरण दर्ज है? • क्या बच्चों की तस्करी का कोई प्रकरण है? • क्या ग्राम पंचायत, पलायन पर बाहर जाने वाले परिवारों के हाल–चाल की जानकारी और उनकी खबर रखती है? • क्या ग्राम पंचायत, पलायन पर जाने वाले परिवारों की बुनियादी जरूरतों के बारे जानती है? • क्या किशोर और युवा नशीली पदार्थों (मादक द्रव्यों) का सेवन कर रहे हैं?

समूह 6 जल एवं स्वच्छता

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• 2017–18 का उत्तर प्रदेश का जल एवं स्वच्छता का बजट– • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रुपए 1938 करोड़। • राज्य में शौचालय निर्माण के लिए रुपए 3255 करोड़ का आवंटन। • स्वच्छ भारत मिशन द्वारा शहरों के लिए रुपए 1000 करोड़ की घोषणा। • स्वच्छ भारत मिशन का अमला– • ग्राम पंचायत सचिव– 12000 • सफाई कर्मी– 98000 • ए.डी.ओ.– 650 • डी.पी.आर.ओ.– 75 • डी.डी.एस.– 14 • संचलनालय– 100 • क्लर्क सह डी.पी.आर.ओ. ऑफिस–600	• उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अभी भी 79 लाख 30 हजार लोग खुले में शौच जाते हैं। • दुनिया भर में खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों में हर आठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है। • लगभग 51% घरों यानि 13 लाख 90 हजार घरों में शौचालय नहीं हैं।	• कितने परिवार खुले में शौच जाते हैं? • कितने परिवार के सभी सदस्य पूरे साल शौचालय का उपयोग करते हैं? • क्या सभी परिवारों के पास शौचालय बनवाने के लिए जगह है? • क्या सभी परिवारों को पानी की सहज उपलब्धता है? • क्या सभी परिवार पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करते हैं? • क्या जल स्त्रोतों में नियमित क्लोरीन डाला जाता है? • ग्राम पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ठ के निपटान की क्या व्यवस्थाएं हैं? • ठोस और तरल अपशिष्ठ के निपटान की पहल और मौसमी बीमारियों के संबंध में ग्राम पंचायत में कभी कोई चर्चा हुई है?

समूह 7 महिलाओं की स्थिति

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/ आंकड़े क्या हैं?
• आशा ज्योति केन्द्र– • महिलाओं के लिए हेल्प लाइन नंबर– 1090/181 • स्वयं सहायता समूह/ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन • अहिल्या बाई शिक्षा योजना के अंतर्गत अभी लड़कियों को स्नातक तक की निःशुल्क शिक्षा बजट 21 करोड़ रुपए।	• उत्तर प्रदेश की मात्र 32.8% लड़कियां यानि एक तिहाई लड़कियां 10 या उससे अधिक वर्ष तक स्कूल जा पाती हैं। • मात्र 16.7% महिलाएं ही आय वर्धक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। (सेंसस 2011) • महिलाओं का निम्न शैक्षणिक स्तर 57% है। • जन्म के वक्त सामान्य लिंगानुपात 952 है, जो अपने आप में काफी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ए लिंगानुपात 878 लड़कियों का है। अर्थात् उत्तर प्रदेश में 74 लड़कियां मां की कोख से जन्म ही नहीं ले पातीं। (SRS 2011–13 – SRS compendium) प्राकृतिक नियमों के अनुसार लड़कों की अपेक्षा ज्यादा लड़कियों का जन्म होता है। विकसित देशों और राज्यों में जैसे केरल में 1000 लड़कों पर 1030 लड़कियों का जन्म होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में ये अनुपात 900 तक है, यानि हम 1000 लड़कों पर 100 लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। • उत्तर प्रदेश की 40% महिलाएं घर में पति की हिंसा सहने को मजबूर हैं। • उत्तर प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा का ग्राफ बहुत ऊंचा है। राष्ट्र में हुए कुल महिला के विरुद्ध अपराधों में से 11% उत्तर प्रदेश में घटते हैं। (NCRB 2015) • हिरासत में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। (NCRB 2015)	• कितनी महिलाएं निरक्षर हैं? • कितनी महिलाएं आय वर्धक गतिविधियों से जुड़ी हैं? • क्या आपके यहां लिंग जांच और गर्भपात की घटनाएं होती हैं? • आपके यहां घरेलु हिंसा की घटनाएं होती हैं? • कितने परिवारों में शराब का प्रचलन है? • क्या देहज के कारण कोई मौत हुई है? • क्या किसी लड़की को दहेज की वजह से ससुराल से वापस भेजा गया है? • कितनी महिलाएं पति की हिंसा का शिकार होती हैं?

समूह 8 प्राकृतिक आपदाओं के खतरे

उत्तर प्रदेश – जिस पर हम बात करते हैं।	जिस पर बात नहीं करते/होती है।	पिछले एक वर्ष की स्थिति/आंकड़े क्या हैं?
• प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़, बाढ़ प्रभावितों के जीवन की दुर्दशा कर देती है। • उत्तर प्रदेश का बुंदेल खंड इलाका सूखे से ग्रस्त है। • उत्तर प्रदेश का 2017–18 का बुंदेल खंड की स्पेशल योजना का बजट रुपए 200 करोड़। • उत्तर प्रदेश का 2017–18 का पूर्वांचल की स्पेशल योजना का बजट रुपए 300 करोड़।	• उत्तर प्रदेश के 22 जिले बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। • बुंदेल खंड क्षेत्र के 7 जिले सूखे से ग्रस्त हैं।	• क्या आपका इलाका बाढ़ प्रभावित है? • क्या आपका इलाका सूखा ग्रस्त है? • क्या आपके यहां, हर साल घटने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की कोई व्यवस्थाएं हैं? • क्या आपके यहां कोई खुली खदान या कोई ऐसी खदान है जिसकी कोई निगरानी नहीं करता? • यदि बाढ़ प्रवण है तो, क्या ऊपर उठा हुआ हैंड पंप है? • यदि बाढ़ प्रवण है तो, क्या समुदाय/जानवरों के लिए ऊपर उठा हुआ आश्रय घर है? • कितने परिवार वालों ने फसल, पशु और सम्पत्ति का बीमा कराया हुआ है? • क्या अनाज बैंक/बीज बैंक/चारा बैंक का कोई प्रावधान है? • आपातकाल के मामले में गांव वालों तक पहुंचने के लिए क्या कोई चेतावनी प्रणाली और घोषणा प्रबंधन है?

संलग्नक 7: पी.आर.ए. टूल्स

टूल 1: समूह चर्चा (FGD)

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सामाजिक तथा सुरक्षा संबंधी जानकारियों के संकलन तथा विश्लेषण के प्रति संवेदनशील होंगे।
- इन जानकारियों को प्राप्त करने में विषय केन्द्रित समूह चर्चा के महत्व तथा उसकी तकनीक को आत्मसात करेंगे।

समय

45 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- कहानी

प्रक्रिया

प्रतिभागियों से ध्यानपूर्वक निम्नलिखित कहानी सुनने का आग्रह करें:

- एक गांव में स्कूल के विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब ही रहता है। लड़कियां भी प्रायः 5वीं कक्षा के बाद स्कूल आना छोड़ देती हैं। कई लड़कियों की तो कम उम्र में शादी ही हो जाती है। गांव की गर्भवती महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है और कुपोषण के चलते छोटे बच्चों का विकास भी अवरुद्ध है।
- जबकि इस गांव में तीन साल पहले स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) का नया भवन निर्मित हुआ है। आठवीं स्कूल और पी.एच.सी. का भवन बहुत अच्छी हालत में है।
- विचार करें कि जब स्कूल और पी.एच.सी. के भवन इतनी अच्छी हालत में हैं तो लड़कियों/महिलाओं/बच्चों की हालत इतनी खराब क्यों है?

सहजकर्ता निम्न बिन्दुओं को प्रतिभागियों से साझा न करें। निम्न बिन्दु सहजकर्ता के उपयोग हेतु हैं जिनका उपयोग सत्र के अन्त में समूह चर्चा के दौरान किया जा सकता है:

- क्या अधोसंरचना की कमी से?
- क्या राशि की कमी से?
- क्या सप्लाई की कमी से?
- क्या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी से?
- क्या सेवादाताओं की लापरवाही से?

- क्या परिजनों की लापरवाही से?
- क्या पंचायत द्वारा इन विषयों को प्राथमिकता न देने की वजह से?
- सभी सम्भावित कारणों पर चर्चा कराएं।

परिणाम निकालें कि

- ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी विभागों और पंचायत ने अधोसंरचनाओं पर ध्यान दिया लेकिन व्यक्ति और समुदाय के विकास को नजर अंदाज कर दिया।
- समुदाय ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

सीखः जरूरी है कि अधोसंरचनाओं और आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक और वैयक्तिक विकास के प्रति पूरी तरह सचेत रहा जाए।

प्रतिभागियों को बताएं कि महिलाओं/बालिकाओं से जुड़े मुद्दों की पहचान के लिए विषय केन्द्रित समूह चर्चाएं एक कारगर तरीका है।

टूल 2:

रोल–प्ले का आयोजन

प्रतिभागियों में से 10–12 प्रतिभागियों को एक रोल प्ले में भागीदारी के लिए आमन्त्रित करें और उन्हें बताएं कि निम्नलिखित परिस्थिति पर रोल प्ले करने बाद सामने आए मुद्दों को संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस कार्य के लिए वे अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं या फिर शेष प्रतिभागियों में से किसी एक सदस्य को चुन सकते हैं।

रोल प्ले की परिस्थिति

आप रिसोर्स समूह के सदस्य हैं और गांव के बच्चों के साथ एक विषय केन्द्रित समूह चर्चा करने गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में शाला जाने वाले बच्चों के साथ ही शाला छोड़ चुके बच्चे भी शामिल हैं।

इस विषय केन्द्रित समूह चर्चा के माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि

वर्तमान में शाला की अधोसंरचना संबंधी स्थिति कैसी है?

बच्चों के बौद्धिक विकास (पठन–पाठन) की स्थिति क्या है?

- रोल प्ले तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को 10 मिनट का समय दें।
- शेष प्रतिभागियों से कहें कि वे रोल प्ले का अवलोकन करें।
- रोल प्ले की प्रस्तुति करवाएं।
- रिपोर्ट की प्रस्तुति करवाएं।

शेष प्रतिभागियों से पूछें कि

- क्या रोल प्ले में विषय पर केन्द्रित रहा गया?
- क्या रोल प्ले के माध्यम से सामने आई परिस्थितियां, रिपोर्ट में स्पष्टता से सामने आ गई हैं?

सभी प्रतिभागियों के विचारों को समाहित करते हुए अपना वक्तव्य दें कि

- समुदाय में उपस्थित समस्याओं और मुद्दों पर समुदाय की समझ/विचारों को जानना जरूरी है।
- समान पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोगों के साथ समूह में खुली चर्चा से समस्या के समाधान भी प्राप्त होते हैं।
- चर्चा के दौरान किए गए अवलोकन, चिन्हित समस्याओं और समुदाय द्वारा दिए गए सुझावों का दस्तावेजीकरण जरूरी है।

रोल प्ले में सभी की सक्रीय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए गतिविधि का समापन करें।

टूल 3: हाउस होल्ड सर्वे

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के बाद सभी प्रतिभागी:

- हाउस होल्ड सर्वे में समाहित किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और सर्वे प्रपत्र से परिचित होंगे।

समय

30 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- हाउस होल्ड सर्वे के 4 सेट

प्रक्रिया

लघु समूह कार्य

प्रतिभागियों को बताएं कि हाउस होल्ड सर्वे में पंचायत के निवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा वहां निवासरत निराश्रित, विकलांग, विधवा, आपदा में पलायन करने वाले तथा पलायित परिवार तथा कुपोषित बच्चों तथा बुजुर्गों और अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं।

ध्यान रखने वाली बातें

- किसी भी सर्वे में आवश्यकता अनुसार जानकारी ही ली जानी चाहिए।
- प्रारूप में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रयोजन आधारित होने चाहिए, जो समुदाय में हस्तक्षेप में सहायक हों।
- सुगमकर्ता जानकारियों को आंकड़ों के रूप में एकत्र करें जिससे उनका संधारण सम्भव हो तथा विश्लेषण सरलता से किया जा सके।
- प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट कर हर समूह को सर्वे प्रपत्र का एक सेट दें। उनसे कहें कि दिए गए सर्वे प्रपत्र का गंभीरता से अध्ययन करें तथा अपनी शंकाओं का निवारण करें।

यदि प्रतिभागियों के कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो उनका समाधान करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि सर्वे के प्रारम्भ और समापन की समयावधि पूर्व निर्धारित हो और तय समय–सीमा में कार्य पूरा किया जाए। समुदाय से सीधे प्राप्त होने वाले ये आंकड़े ''प्राथमिक आंकड़े'' हैं। चयनित वार्ड सदस्य/स्वयं सहायता समूह/समुदाय के स्वयं सेवी/युवा समूह इस कार्य में सहयोगी हो सकते हैं।

संसाधनों की कमी के कारण ग्राम पंचायत के सभी मजरों में जाकर आंकड़े एकत्र करना कठिन है तो नमूने के तौर पर सभी मजरों के कुछ परिवारों से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए धन्यवाद दें और गतिविधि का समापन करें।

(हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट संग्लनक 7 में दिए गए हैं)

टूल 4: सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण/रिसोर्स मैपिंग

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण के महत्व तथा प्रक्रिया को समझ पाएंगे।

समय

45 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- बड़ी कार्ड शीट तथा मार्कर पेन
- स्केच पेन
- लकड़ी
- चॉक
- कोयला
- रंगोली पाउडर आदि।

सामाजिक मानचित्रण क्यों?

गांव में घरों की बसाहट और बस्ती के फैलाव के साथ वहां की सामाजिक संरचना, निवासी समूहों और संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने में मददगार होती है।

यह स्थान सम्बन्धी विश्लेषण और उसके समुदाय के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान में मददगार होता है।

ध्यान रखें

- उद्देश्यों के मुताबिक सामाजिक मानचित्रण भिन्न–भिन्न होते हैं, जैसे कि गांव/टोला, साधन, सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, भूमि, जल, जंगल, फसल, मिट्टी की उर्वरता, संसाधनों की पहचान, योजना बनाने और मूल्यांकन आदि कामों के लिए किया जाता है।
- एक ही गांव में अलग–अलग लोगों द्वारा बनाया गया नक्शा उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर भिन्न हो सकता है।
- प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर चित्रण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि शिक्षा, संस्कृति, जाति, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्तर, उम्र, लिंग और स्थान आदि।
- बड़े गांव (100 से 500 परिवार) का सामाजिक नक्शा बनाना प्रायः कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अपने सहयोगियों के साथ मजरों/टोलों/मोहल्लों (एक स्थान पर निवास करने वाले परिवार के समूह) के कई छोटे–छोटे नक्शे बनवाएं और अन्त में एक जगह इकट्ठा होकर, सहयोगियों की मदद से सम्पूर्ण नक्शा बना लें।
- इस प्रकार तैयार किए गए नक्शे को ग्रामीणों से चर्चा करके सत्यापित करना जरूरी है जिससे यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे सुधारा जा सके।

कैसे?

- किस प्रकार का मानचित्र बनाना है पहले यह तय कर लें, सामाजिक साधन, उद्यम, भूमि, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, लाभार्थी आदि।
- गांव वालों को आमंत्रित करें तथा समय व स्थान उनकी सुविधानुसार चुनें।
- अपने उद्देश्य के बारे में समझाएं।
- मानचित्रण के लिए उपयुक्त स्थान (ऐसी जगह जहां काफी लोग इकट्ठा हो सकें और जमीन पर मानचित्रण के लिए काफी बड़ा स्थान शेष रहे) का चयन करें तथा उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि लकड़ी, चॉक, कोयला, रंगोली पाउडर आदि का भी ध्यान में रखें।
- मानचित्र बनाने से पहले अगर गांव का सामूहिक भ्रमण कर लें तो बेहतर होगा।
- मानचित्र बनाने में प्रारम्भिक मदद करें तथा जमीन पर बड़े आकार में नक्शा बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें।
- मानचित्र अगर बनना प्रारम्भ हो जाए तो अपने हाथ के लकड़ी के टुकड़े को (जिससे जमीन पर लकीर खींची जा रही हो) नक्शा बनाने वाले को सौंप दें।
- स्वयं मानचित्रण से बाहर रहें तथा गांव के कुछ और लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- मानचित्रण का विश्लेषण अवश्य कराएं, नक्शा क्या कहना चाहता है इसको समझने के लिए मानचित्रण से साक्षात्कार करना सबसे महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह निरर्थक हो जाएगा।
- गांव वालों की देख–रेख में, जमीन पर बनाए गए नक्शे को अपने लिए कागज पर बना लें और गांव वालों से इसकी पुष्टि करा लें।

संसाधन मानचित्रण क्यों?

- गांव में प्राकृतिक जैसे कि भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, खलिहान, नालाबंदी, मेड़ बंदी आदि की पहचान के लिए।
- जल स्त्रोत तथा बाढ़ एवं जल निकासी की दिशा की जानकारी के लिए।
- गांव की सार्वजनिक भू–सम्पत्ति व साधन, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- प्रकृति या मानव निर्मित संसाधनों की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- जीवकोपार्जन के साधन जैसे फसल, पशु पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बाग–बगीचा, रेशम, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन आदि धन्धों के चिन्हीकरण के लिए।

ध्यान रखें

- नक्शे के उद्देश्यों पर स्पष्टता से विचार–विमर्श करें, जिससे समुदाय में शंका का भाव समाप्त हो।
- गांव में उपलब्ध राजस्व नक्शे, कन्दूर के नक्शे, हवाई फोटोग्राफ्स (जो उपलब्ध हों) को भी देखें।
- मौजूदा सूचनादाताओं की संख्या और प्रतिनिधित्व में उनके सही अनुपात को देखें।
- गांव में उपलब्ध संसाधनों की चेकलिस्ट सूचनादाताओं के सहयोग से तैयार करें। संसाधन चित्रण के दौरान इस सूची के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करवाएं।
- संसाधन चित्रण की प्रक्रिया के दौरान विवादास्पद संसाधनों के बारे में ज्यादा खोज–बीन न करें।

कैसे

मानचित्रण प्रारम्भ करने से पूर्व की गतिविधियां

- तारीख, समय और स्थान का निर्धारण।
- समुदाय के हितग्राहियों की सूचना देना।
- मानचित्रण के लिए चॉक, रंगीन पाउडर जैसी सामग्री की व्यवस्था।

मानचित्रण प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियां

- समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- समुदाय के प्रेरित करके सबसे पहले गांव की सीमाएं बनाना।
- सीमाएं बनाने के बाद विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे कि सड़क, पुल, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्र और पूजा स्थल आदि को नक्शे में उकेरना।
- बसाहट के प्रकार जैसे कि घरों की बसाहट, घर का प्रकार (कच्चा, पक्का, झोपड़) को नक्शे में उकेरना।
- अन्य सामाजिक संस्थान को, जैसा समुदाय द्वारा बताया जाए।

सामाजिक एवं ससांधन मानचित्रण पूर्व करने के बाद की गतिविधियां

- समुदाय की आवश्यकताओं और मांगों की पहचान करना।
- समुदाय की सहायता से आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय करना।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करें और गतिविधि का समापन करें।

टूल 5: ग्राम भ्रमण

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ग्रामीण सहभागी आकलन प्रक्रिया में ग्राम भ्रमण के महत्व को समझ पाएंगे।

समय

30 मिनट

प्रशिक्षण सामग्री

- बड़ी कार्ड शीट, मार्कर पेन तथा स्केच पेन

प्रक्रिया

पावर पॉइंट प्रस्तुतियां दर्शाएं।

प्रतिभागियों से पूछें कि

- क्या सामाजिक और संसाधन मानचित्रण के बाद भी ग्राम भ्रमण का कोई औचित्य है?
- क्या इस भ्रमण से कोई नई जानकारियां मिल सकती हैं?
- क्या योजना निर्माण के लिए कोई नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं?

हर प्रश्न के बाद प्रतिभागियों के विचारों को आने दें तथा उन पर शेष प्रतिभागियों की राय लेते चलें।

सभी प्रश्नों पर विचार–विमर्श के पश्चात् प्रतिभागियों को इस तथ्य पर सहमत करें कि :

- संसाधन मानचित्रण में हमें प्रायः संख्यात्मक जानकारियां प्राप्त होती हैं लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति, गुणवता और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रायः बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं।
- ग्रामीणों के समूहों के साथ ग्राम भ्रमण के दौरान हमें प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों के नजरिए से सभी संसाधनों और उनके आस–पास के परिवेश को देखने और अनुभूत करने का मौका मिलता है।
- ग्राम भ्रमण से हमें एक अन्तर्दृष्टि (Insight) प्राप्त होती है।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- ग्राम भ्रमण में ग्रामीणों के समूहों के साथ गांव की एक दिशा से दूसरी दिशा तक भ्रमण किया जाता है।
- समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संसाधनों और स्थितियों का निरीक्षण करना, उन संसाधनों और स्थितियों के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना, विचार–विमर्श करना और उसको एक नक्शे के रूप में प्रस्तुत करना ग्राम भ्रमण का उद्देश्य होता है।
- भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की परिस्थिति, उपयोग सम्बन्धी समस्याओं और उनके निराकरण के लिए किए गए प्रयासों तथा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा करते हैं।

ग्राम भ्रमण की प्रक्रिया

- भ्रमण में सहभागी के रूप में साथ आने वाले ग्रामीणों का चयन।
- गांव के मानचित्र से भ्रमण मार्ग का निर्धारण।
- भ्रमण में शामिल स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थान विशेष पर उपस्थित लोगों को बातचीत में शामिल करना। ये बातचीत, स्थानीय लोगों के साथ एक छोटी मीटिंग का रूप ले लेती है।
- प्राप्त जानकारियों को सारणी के रूप में लिपिबद्ध करना। (क्षेत्र सम्बन्धी विशेषताओं को दिखाने हेतु चित्रों का उपयोग भी किया जा सकता है।)

ग्राम भ्रमण के लाभ

- ग्राम पंचायत में परिसम्पत्तियों के निर्माण और सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध संरचनात्मक ढांचे को जांचने और उसके सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगता है।

विभिन्न समुदायों की नागरिक सुविधा तक पहुंच की स्थिति पता लगती है।

भ्रमण से पूर्व की गतिविधियां

- तारीख एवं समय का निर्धारण।
- विभिन्न हितभागियों को सूचित करना।

भ्रमण के दौरान की गतिविधियां

- पंचायत समुदाय के सक्रिय सदस्यों के साथ मुख्य स्थानों को संलग्न करते हुए ग्राम पंचायत का पूर्ण भ्रमण।
- ग्राम पंचायत की वनस्पति, स्थान, बसाहट, संरचनात्मक ढांचे, स्वच्छता आदि की परिस्थिति का पता लगाना।
- ग्राम पंचायत में मौजूद अलग–अलग परिस्थितियों पर समुदाय से जानकारी एकत्र करना।

भ्रमण के बाद की गतिविधियां

- भ्रमण के दौरान एकत्रित आंकड़ों का दस्तावेज तैयार करना।
- सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र से आंकड़ों की पुष्टि करना।

प्रतिभागियों से पूछें कि उनके विचार में योजना निर्माण के लिए किन–किन मुद्दों पर जानकारियों का संकलन जरूरी है। प्रतिभागियों के विचारों को संक्षिप्त रूप से बोर्ड पर नोट करें।

प्रतिभागियों को इस बात पर सहमत करें कि कार्य योजना निर्माण के लिए

- पूरे समुदाय विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़ी सेवा–सुविधाओं की वर्तमान परिस्थितियों की पहचान जरूरी है।
- गरीब, निराश्रित, वृद्ध, विकलांग, विधवा, आपदा से पलायित परिवार, कुपोषण की स्थिति और कमजोर समूहों की वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की पहचान जरूरी है।
- गुणवत्तापूर्ण जीवन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सेवाओं की जानकारी जरूरी है।
- वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं संरचनात्मक ढांचों और सेवाओं (जैसे स्वच्छ पेय जल, आस–पास की स्वच्छता, नाली, सड़कें) की जानकारी जरूरी है।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका आकलन करना और रिपोर्ट बनाना जरूरी है।
- प्राथमिक आंकड़े– घरों के सर्वे, ग्राम भ्रमण, समूह केन्द्रित चर्चा और सामाजिक मानचित्रण से इकट्ठे किए जाते हैं।
- द्वितीयक आंकड़े– पूर्व में प्रकाशित रिपोर्ट/मुद्रित डाटा/रजिस्टर में मौजूद होते हैं।
- जनगणना, एस.ई.सी.सी., जल और स्वच्छता के आंकड़े राज्य/जनपद से मिलते हैं।
- ग्राम पंचायत के रिकार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, स्वयं सहायता समूह/फेडरेशन और स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े मिलते हैं।
- द्वितीयक आंकड़ों की पंचायत पर उपलब्धता की संभावना कम होती है। यदि ये आंकड़े मिल भी जाए तो भी इनकी पुष्टि के लिए प्राथमिक आंकड़ों से इनको मिलाना जरूरी है।

प्रतिभागियों को बताएं कि अक्सर विकास से हमारा आशय सिर्फ भौतिक विकास से ही होता है। सड़क – खडंजे, भवन, बिजली, पानी आदि से संबंधित कार्यों को ही हम विकास मान लेते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि, विकास के सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलू भी हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय हमें स्वास्थ्य, पेय जल तथा स्वच्छता, शिक्षा, बाल सुरक्षा आदि पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम इन विषयों के बारे में भी बात करेंगे।

सभी प्रतिभागियों को सत्र में भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करें और गतिविधि का समापन करें।

संलग्नक 8: पारिवारिक सर्वे प्रपत्र

सर्वे दिनांक.....

A

क्र. सं.	पंचायत का नाम	
1	परिवार क्रमांक/घर का नम्बरः	
2	परिवार के मुखिया/पुरुष या महिला का नाम	
3	धर्म	हिन्दू 1 मुस्लिम 2 ईसाई 3 सिख 4 जैन 5 बौद्ध 6 कोई धर्म नहीं 7 अन्य 96
4	जाति	अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति 2 अन्य पिछड़ा वर्ग 3 अन्य 4

B. मूलभूत पारिवारिक जानकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	उम्र	लिंग	शैक्षणिक स्तर	वैवाहिक स्थिति	अपंगता	व्यवसाय	आधार कार्ड	बैंक अकाउंट	मोबाइल फोन	राशन कार्ड	पेंशन/ स्कॉलरशिप	मनरेगा जॉब कार्ड	महीने में कितने दिन का काम
		01–मुखिया, 02–पति या पत्नी, 03–बेटा या बेटी, 04–दामाद या बहू, 05–पोता/पोती/नाती/नातिन, 06–माता–पिता, 07–सास/ससुर, 08–भाई या बहन, 09–साला/साली, 10–भतीजा/भतीजी/भांजा/भांजी, 11–अन्य सम्बन्धी/रिश्तेदार, 12–गोद लिया हुआ/फॉस्टर (पोषित किया गया)/सौतेला बच्चा, 13–कोई सम्बन्ध नहीं, 98–नहीं जानते	01–उम्र 0 से 3 वर्ष, 02–उम्र (पूरा) 6 वर्ष, 03–उम्र 6 (पूरा) 14 वर्ष, 04–उम्र 15 से 18 वर्ष, 05–उम्र 18 (पूरा) और लगभग	01–पुरुष, 02–स्त्री	01–आंगनवाड़ी केन्द्र में संचालित स्कूल पूर्व शिक्षा में जाते हैं, 02–निजी प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल में जाते हैं, 03–किसी प्ले स्कूल/नर्सरी स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में नहीं जाते, 04–केवल कक्षा 5 तक पढ़े हैं, 05–कक्षा 8, 06–कक्षा 10, 07–कक्ष 12, 08–स्नातक, 09–स्नातकोत्तर, 10–अशिक्षित, 11–केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं, 98–नहीं जानते	01–अविवाहित, 02–विवाहित लेकिन गौना नहीं हुआ, 03–विवाहित और गौना हो गया, 04–विधवा/विधुर, 05–तलाकशुदा, 06–अलग रह रहे हैं, 07–नहीं बताया	01–हां, 02–नहीं	01–कृषक, 02–कृषक मजदूर, 03–गैर कृषक मजदूर, 04–स्वरोजगार, 05–नियमित वेतनभोगी/वेतन कर्मचारी, 06–किराया भोगी, पेंशन भोगी, अन्य प्राप्तियों के प्राप्तकर्ता (अनिवासी पारिवारिक सदस्य द्वारा भेजी जाने वाली रकम), 07–कार्य नहीं किया, 08–घरेलू कार्य, 96–अन्य	01–हां, 02–नहीं	01–हां, 02–नहीं	01–हां, 02–नहीं	01–हां, 02–नहीं	01–हां, 02–नहीं, 03– विधवा, 04–बूढ़ा, 05–विकलांग, 06–परिवार, 07–छात्रवृत्ति, 08–कोई अन्य	01–हां, 02–नहीं	01–25 दिन/वेतन, 02–10 से 24 रोजगार के दिन, 03–5 से 9 रोजगार के दिन, 04–5 दिन से कम

C. भूमि स्वामित्व का स्वरूप

	क्या खेती योग्य भूमि है	हां...01 नहीं...02
1	कुल पारिवारिक भूमि स्वमित्य	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
2	कृषि कार्य में संलग्न कुल रकबा	
3	गैर कृषि भूमि का कुल रकबा	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
4	सिंचाई की चिरस्थायी सुविधायुक्त कुल भूमि का रकबा	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
5	बंजर/कृषि हेतु अयोग्य कुल भूमि का रकबा	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
6	कुल बुवाई क्षेत्रफल	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
7	दोहरी बुवाई वाली कुल कृषि भूमि	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
8	बागवानी/पुष्प कृषि में उपयुक्त कुल भूमि का रकबा	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
9	नकदी फसलों में प्रयुक्त कुल भूमि का रकबा	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04
10	आप अपने कृषि उत्पाद कहां बेचते हैं, खुले बाजार में या सरकारी न्यूनतम समर्थित मूल्य पर?	2 एकड़ से कम...01 2–5 एकड़...02 5 एकड़ से अधिक...03 नहीं पता...04

D. पशुधन

क्र. सं.		संख्या
1	गाय / बैल	
2	बकरी	
3	मुर्गी	
4	सूअर	
5	अन्य	

E. आजीविका सहयोग

10.1	क्या आपको पशुपालन विभाग से कोई सहायता प्राप्त हुई?	हां...01 नहीं...02
10.1.1	यदि हां तो सहयोग के बारे में सविस्तार बताएं	जानवरों का टीकाकरण...01 कृतिम गर्भधारण...02 बीमा...03
10.2	आप कृषि हेतु बीज, खाद इत्यादि कहां से खरीदते हैं? केन्द्र / खुला बाजार	सरकारी विक्रय केन्द्र ...01 खुला बाजार....02
10.3	कृषि विकास / विस्तार अधिकारी से आपको किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है? प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, कर्ज	प्रशिक्षण...01 कर्ज...02 बीज...03 खाद..04 कृषि यन्त्र...05 अन्य...06
10.4	क्या आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है?	हां...01 नहीं...02
10.5	क्या आपने कभी फसल बीमा करवाया है?	हां...01 नहीं...02
10.6	कृषि कार्य करने हेतु आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं?	हां...01 नहीं...02

F. परिवार की सुख-सुविधाओं तक पहुंच

8.1	मकान का प्रकार जहां पर परिवार रहता है	कच्चा	1	
		अर्ध पक्का	2	
		पक्का	3	
8.2	क्या आपके परिवार के पास निम्न उपकरण/सामान हैं?		हां	नहीं
		बिजली/विद्युत संयोजन/कनेक्शन	1	2
		एल.पी.जी. गैस	1	2
		बिजली का पंखा	1	2
		टेलिविज़न	1	2
		सिलाई मशीन	1	2
		मोबाइल टेलिफोन	1	2
		लैंड लाइन टेलिफोन	1	2
		इंटरनेट कनेक्शन	1	2
		रेफ्रिजरेटर/फ्रिज	1	2
		मोटर साइकिल या स्कूटर	1	2
		कार/जीप	1	2
		ट्रैक्टर	1	2
		साइकिल	1	2
8.3	आपके परिवार के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है?	घर के आंगन/भूखंड में पाइप वॉटर	01	
		सार्वजनिक नल/स्टैंड पाइप	02	
		टयूबवैल/बॉरवैल	03	
		हैंड पंप	04	
		सुरक्षित (ढका हुआ) कुआं	05	
		असुरक्षित (खुला) कुआं	09	
		अन्य	69	
		स्पष्ट करें		
8.4	जहां से आप पीने का पानी लाते हैं, वह स्रोत कहां स्थित हैं?	स्वयं के घर के अंदर	1	
		स्वयं के आंगन/भूखंड में	2	
		अन्य कहीं	3	

8.5	आपका परिवार किस प्रकार के शौचालय का उपयोग करता है? (कृपया जांचें)	फ्लश या हाथ से पानी उड़ेलने वाला फ्लश शौचालय जो सीवर प्रणाली से जुड़ा है। फ्लश या हाथ से पानी उड़ेलने वाला फ्लश शौचालय जो सैप्टिक टैंक से जुड़ा है फ्लश या हाथ से पानी उड़ेलने वाला फ्लश शौचालय जो पिट/गर्त (गढ्ढे) से जुड़ा हो कोई शौचालय सुविधा नहीं/शौच के लिए खुले स्थान में जाते हैं/ मैदान {खुले में शौच}	01 02 03 13	
8.6	क्या आपके परिवार के सभी सदस्य शौचालय का उपयोग करते हैं?	हां...01 नहीं...02	1 2	
8.7	इस परिवार के अलावा क्या किसी अन्य परिवार के लोग भी आपके शौचालय का उपयोग करते हैं?	हां...01 नहीं...02	1 2	

G. परिवार के बच्चों से संबंधित जानकारी

क्र. सं.			0–3 वर्ष				03–06 वर्ष			06–14 वर्ष		14–18 वर्ष	
	नाम	लिंग लड़का	जन्म प्रमाणपत्र	आंगनवाड़ी में पंजीकृत	पंजीरी मिलती हैं	उम्र अनुसार सभी टीके लगे हैं	आंगनवाड़ी में पंजीकृत	पंजीरी मिलती हैं	उम्र अनुसार सभी टीके लगे हैं	स्कूल जाते हैं	अगर नहीं, तो क्या कार्यरत हैं (कोड अनुसार भरें)	स्कूल जाते हैं	अगर नहीं, तो क्या कार्यरत हैं (कोड अनुसार भरें)
		हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02	हां...01 नहीं...02
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

कोडः 06–14 वर्ष

14–18 वर्ष

01–घरेलू काम–काज जैसे कि खरीददारी जलाने वाली लकड़ी एकत्र करना, साफ–सफाई, पानी लाना या बच्चों की देखभाल में मदद

02–खेत में काम करना

03–व्यापार/गली/सड़क में वस्तुएं बेचना?

04–अन्य कोई कार्य

H. महिलाओं से संबंधित जानकारी

	नाम	क्या किसी स्वयं सहायता समूह/बचत समूह से जुड़ी हैं	क्या आय अर्जित करने के लिए किसी कार्य से जुड़ना चाहती हैं
1			
2			
3			
4			
5			
6			

संलग्नक 9: ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत चिलौकी

ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ फैजाबाद हाईवे के किनारे ग्राम पंचायत चिलौकी स्थित है। इस गांव के निवासियों का कहना है कि पहले इस गांव के लोग मूलतः सब्जी की खेती और व्यापार किया करते थे। यहां के लोगों द्वारा सब्ज़ियों की खेती में विशेषकर लौकी व मूली की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती थी। इस गांव की मिट्टी में उत्पादित लौकी में एक अलग प्रकार की चमक होती थी, जिसके आधार पर इस गांव को चिलौकी कहा जाने लगा और इस प्रकार इस गांव का नाम चिलौकी पड़ा।

चिलौकी गांव वर्ष 2010 के ग्राम पंचायत चुनाव तक सराय का स्थान ग्राम पंचायत का एक हिस्सा था। वर्ष 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस गांव को ग्राम पंचायत चिलौकी के रूप में परिसिमित कर एक अलग ग्राम पंचायत के रूप में सूचिबद्ध किया गया। इस प्रकार यह गांव ग्राम पंचायत चिलौकी के रूप में अस्तित्व में आया।

वर्ष 2015 के चुनाव में यहां के मतदाताओं द्वारा ग्राम प्रधान के अतिरिक्त ग्यारह ग्राम पंचायत सदस्यों का चयन कर इस ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। चूंकि इस ग्राम पंचायत को अस्तित्व में आए अभी एक वर्ष ही पूरे हुए हैं, इसलिए इस ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं व परिसम्पत्तियों का घोर अभाव है।

ग्राम पंचायत की राज्य मुख्यालय लखनऊ से दूरी 50 किलोमीटर है।

जिला मुख्यालय बाराबंकी से दूरी 18 किलोमीटर तथा विकास खण्ड मुख्यालय मसौली से दूरी 15 किलोमीटर है।

ग्राम पंचायत से संबंधित आधारभूत जानकारी

स्रोत : प्राथमिक (PRRA आधारित) व द्वितीयक (सेवा प्रदाता संस्थाएं व कर्मी)

स्थापना संबंधी जानकारी	जनसंख्या विवरण
• ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्ष : 2015 • ग्राम प्रधान का नाम : श्री सोमनाथ • ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या : 11 • ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां : 06 • भौगोलिक क्षेत्रफल : • ग्राम समाज की जमीन : 74 बिगहा • साक्षरता दर : 67.96 • नजदीकी रेलवे स्टेशन : सफदरगंज 3 कि.मी. • सम्बद्ध विकास खण्ड : मसौली 15 कि.मी. • सम्बद्ध जिला : जनपद बाराबंकी 18 कि.मी.	• अनुसूचित जाति वर्ग : 206 (म.:, प..:) • अन्य पिछड़ी जाति वर्ग : 885 (म.:, पु.:) • अल्पसंख्यक वर्ग : 154 (म.:, पु.:) • सामान्य जाति वर्ग : 14 (म.:, पु.:) • कुल जनसंख्या : 1245 (म.: 593, पु.: 652) • लिंग अनुपात : 1000 / 960 • मनरेगा में मजदूरी करने वालों की संख्या : 254 • दिव्यागों की संख्या : 15 शारीरिकः 7, अंधापनः 2, मूक–बधिरः 2, विशेष 1) • 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या : 104
ग्राम पंचायत सदस्यों का वार्डवार विवरण	**परिवार संबंधी विवरण**
• वार्ड न. 01 : सुमिरता (अनुसूचित महिला) • वार्ड न. 02 : रामकिशुन (अनुसूचित पुरूष) • वार्ड न. 03 : सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 04 : दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 05 : पिंकी देवी (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 06 : राजेश (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 07 : सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 08 : रतिभान (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 09 : मिथिलेश कुमारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 10 : रीता (अन्य पिछड़ा वर्ग) • वार्ड न. 11 : श्याम सुन्दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	• आबादी की संरचना : 3 पुरवा व 5 बस्तियां • ग्रामवासीयों के प्रमुख धर्म : हिन्दु व मुस्लिम • आय के प्रमुख स्रोत : खेती व मजदूरी • कुल परिवारों की संख्या : 228 • भूमिहीन परिवारों की संख्या : 30 • राशन कार्ड धारक : 161 (BPL: 194, APL: 34) • मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवार : 200 • खेती पर आश्रित परिवारों की संख्या • खेतीहर मजदूरी पर आश्रित परिवार • गैर कृषि मजदूरी पर आश्रित परिवार • नौकरी पर आश्रित परिवार : 7 • व्यवसाय पर आश्रित परिवार

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का विवरण	
1. नियोजन एवं विकास समिति अध्यक्ष : सोमनाथ (ग्राम प्रधान) सदस्य : राम किशुन (अनुसूचित जाति) सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) पिंकी देवी (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) श्याम सुन्दर (अन्य पिछड़ा वर्ग) सुमिरता (अनुसूचित महिला) दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग)	**2. शिक्षा समिति** अध्यक्ष : सोमनाथ (ग्राम प्रधान) सदस्य : राम किशुन (अनुसूचित जाति) दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) पिंकी देवी (महिला) राजेश (अन्य पिछड़ा वर्ग) सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग) सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) सहयोजित सदस्य : श्रीमति प्रतिभा (प्रधानाध्यापक) सुनिल कुमार (अभिभावक) शिवबरण (अभिभावक) राम किशोर (अभिभावक)
3. निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष : राजेश (अन्य पिछड़ा वर्ग) सदस्य : सुमिरता (अनुसूचित महिला) सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) पिंकी देवी (महिला) श्याम सुन्दर (अन्य पिछड़ा वर्ग) दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग)	**4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति** अध्यक्ष : सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग) सदस्य : राम किशुन (अनुसूचित जाति) रतिभान (अन्य पिछड़ा वर्ग) रीता (अन्य पिछड़ा वर्ग) दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) सुमिरता (अनुसूचित महिला)
5. प्रशासनिक समिति अध्यक्ष : सोमनाथ (ग्राम प्रधान) सदस्य : सुमिरता (अनुसूचित महिला) सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग) पिंकी देवी (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) राजेश (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्याम सुन्दर (अन्य पिछड़ा वर्ग) दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग)	**6. जल प्रबंधन समिति** अध्यक्ष : दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) सदस्य : राम किशुन (अनुसूचित जाति) रीता (अन्य पिछड़ा वर्ग) सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग) मिथिलेश कुमारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) रतिभान (अन्य पिछड़ा वर्ग) सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग)

ग्राम पंचायत की अन्य कार्यात्मक समितियों का विवरण

उ. प्र. पंचायती राज अधि. 1947 (संशोधित 1995) धारा 28 (क) अन्तर्गत भूमि प्रबंधन समिति

अध्यक्ष : सोमनाथ (ग्राम प्रधान)

सदस्य : सुमिरता (अनुसूचित महिला)
रामकिशुन (अनुसूचित पुरूष)
दिनेश कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग)
सन्तराम (अन्य पिछड़ा वर्ग)
पिंकी देवी (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला)
राजेश (अन्य पिछड़ा वर्ग)
सत्य नारायण (अन्य पिछड़ा वर्ग)
रतिभान (अन्य पिछड़ा वर्ग)
मिथिलेश कुमारी (अन्य पिछड़ा वर्ग)
रीता (अन्य पिछड़ा वर्ग)
श्याम सुन्दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

सचिव : भूपेन्द्र द्विवेदी (लेखपाल)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति

अध्यक्ष : श्री रामकिशोर (अभिभावक)

उपाध्यक्ष : श्रीमति आशा देवी (अभिभावक)

सचिव : श्रीमति नीरज श्रीवास्तव (अध्यापक)

सदस्य : श्रीमति सन्तोष सिंह (ए.एन.एम.)
श्री भूपेन्द्र द्विवेदी (लेखपाल)
श्री शिवबरन (अभिभावक)
श्री बुधराम (अभिभावक)
श्री सुनील कुमार (अभिभावक)
श्री अशोक कुमार (अभिभावक)
श्रीमति तारा देवी (अभिभावक)
श्रीमति भोषरानी (अभिभावक)
श्रीमति शकुन्तला (अभिभावक)
श्रीमति रामदेई (अभिभावक)
श्रीमति रम्पता (अभिभावक)
श्रीमति गुड्डी (अभिभावक)

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति

ग्राम पंचायत स्तर पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता का विवरण

शैक्षणिक सेवाएं

- प्राथमिक विद्यालय : 1 (सरकारी)
- अपर प्राथमिक विद्यालय : 1 (सरकारी)
- माध्यमिक शिक्षा : 4 कि.मी. दूर
- उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा : 4 कि.मी. दूर
- स्नातक स्तरीय शिक्षा : 10 कि.मी. दूर
- स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षा : 18 कि.मी. दूर
- ग्रामीण पुस्तकालय : अनुपलब्ध

स्वास्थ्य सेवाएं

- आशा/ए.एन.एम. की सेवा : अनियमित
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र की सेवा : अनुपलब्ध
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवा : 10 कि.मी. दूर
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवा : 3 कि.मी. दूर
- दवा की दूकान : 1 प्राईवेट
- एम्बूलेंस की सेवा : कॉल बेसिस
- पशु चिकित्सालय : 4 कि.मी. दूर

पेय जल की सेवाएं

- सामुदायिक टंकी व स्टैण्ड पोस्ट : अनुपलब्ध
- इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प : 16 (सार्वजनिक)
- कम गहरे हैण्ड पम्प : 210 (व्यक्तिगत)
- कुआं : 10 (सभी सूखे व कूड़े से पटे पड़े हैं)

सिंचाई के साधन

- सार्वजनिक नहर : 1 (परन्तु पानी नहीं आता)
- सार्वजनिक ट्यूबवेल : अनुपलब्ध
- सिंचाई के मुख्य स्रोत : व्यक्तिगत ट्यूबवेल एवं वर्षा जल

महिला व बाल कल्याण सेवाएं	स्वच्छता सेवाएं
• आंगनवाड़ी केन्द्र : 1 (भवन अनुपलब्ध) • पोषाहार का वितरण : नियमित • बच्चों के वज़न का माप : नियमित (मशीन द्वारा) • बच्चों हेतु खिलौने व चित्र पहेली : उपलब्ध	• सामुदायिक शौचालय : अनुपलब्ध • पारिवारिक शौचालय : 15 (213 को अनुपलब्ध) • सामुदायिक साफ–सफाई सेवा : अनियमित • गन्दा जल निकास हेतु नालियां : नहीं के बराबर
डाक एवं दूर संचार की सेवाएं	**बैंकिग सेवाएं**
• डाक घर की सेवा : 3 कि.मी. दूर • बेसिक टेलिफोन व इन्टरनेट सेवा : अनुपलब्ध • मोबाईल फोन नेटवर्क सेवा : उपलब्ध	• भारतीय स्टेट बैंक की सेवा : उपलब्ध • अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवा : 3 कि.मी. दूर • सहकारी बैंक की सेवा : • किसान क्रेडिट कार्ड :
अन्य सुविधाएं	
• पुलिस चौकी : 1 • गांव की सड़कें : कच्चा, खडंजा, डामर व आर. सी.सी. (परन्तु सभी जर्जर अवस्था में) • मार्ग प्रकाश की व्यवस्था : अनुपलब्ध • सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था : अनुपलब्ध • ग्राम पंचायत भवन : अनुपलब्ध • ग्राम स्तरीय संगठन : अनुपलब्ध • ग्रामीण बाजार : उपलब्ध • साप्ताहिक बाजार : 3 कि.मी. दूर	• तालाब : 4 (2 में गन्दा पानी, 2 में पानी नहीं) • अंत्येष्ठि स्थल • श्मसान घाट : अनुपलब्ध • कब्रिस्तान : अनुपलब्ध • धार्मिक स्थल • मंदिर : 5 • मजार : 1 • मस्जिद : अनुपलब्ध • खेल का मैदान : अनुपलब्ध • पार्क की व्यवस्था : अनुपलब्ध

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण संबंधित आंकड़े

शिक्षा से संबंधित आंकड़े

बच्चों की संख्या

- 5–14 वर्ष के बच्चों की संख्या : 214
- गांव के विद्यालय में पढ़ने वालों की सं0 : 182
- अन्य विद्यालयों में पढ़ने वालों की सं0 : 182
- विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की सं0 : 04

प्राथमिक विद्यालय में सेवाओं की उपलब्धता

- विद्यालय भवन : उपलब्ध (मरम्मती आवश्यकता)
- बाउण्ड्रीवाल व गेट : उपलब्ध
- बच्चों के बैठने की व्यवस्था : अनुपलब्ध
- रैम्प की व्यवस्था : उपलब्ध
- बच्चों के लिए झूला : उपलब्ध
- पृथक–पृथक शौचालय : उपलब्ध (परन्तु ताला)
- साफ–सफाई : सफाईकर्मी की अनियमित सेवा
- दोपहर का भोजन : नियमित
- पेय जल : कैम्पस में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प
- विद्युतिकरण : अनुपलब्ध
- खेल का मैदान : अनुपलब्ध
- विद्यालय प्रबंध समिति

उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवाओं की उपलब्धता

- विद्यालय भवन : उपलब्ध (मरम्मत आवश्यक)
- बाउण्ड्रीवाल व गेट : उपलब्ध
- बच्चों के बैठने की व्यवस्था : आंशिक उपलब्धता
- रैम्प की व्यवस्था : उपलब्ध
- बच्चों के लिए झूला : उपलब्ध
- पृथक–पृथक शौचालय : हां (मरम्मत आवश्यक)
- शौचालय में टंकी का पानी : नहीं
- साफ–सफाई : सफाईकर्मी की अनियमित सेवा
- दोपहर का भोजन : नियमित
- भोजन कक्ष : अनुपलब्ध
- पेय जल : इण्डिया मार्का हैण्डपम्प उपलब्ध
- विद्युतिकरण : अनुपलब्ध
- खेल का मैदान : अनुपलब्ध
- प्रयोगशाला : अनुपलब्ध
- पुस्तकालय : अनुपलब्ध
- विद्यालय प्रबंध समिति : हां परन्तु बैठकें अनियमित

महिला एवं बाल स्वास्थ्य व पोषण से सम्बन्धित आंकड़े

- विगत वर्ष जन्म लेने वाले बच्चे : 14 (5m / 9f)
- 0–1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण : 14 (5m / 9f)
- विगत वर्ष 0–1 वर्ष के बच्चों की मृत्यु : 1 (m)
- विगत वर्ष 0–5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु : 1 (f)
- विगत वर्ष सामान्य से कम वज़न के
- जन्म लेने वाले बच्चों की सं. : 02 (1m / 1f)
- 0–6 वर्ष के बच्चों की सं. : 104 (55m / 49f)
- सामान्य वृद्धि वाले बच्चे : 86 (54m / 32f)
- माडरेट माल न्यूट्रेशन वाले बच्चेः 27 (12m / 15f)
- गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चे : 3 (2m / 1f)
- विगत वर्ष गर्भवती महिलाओं की सं. : 12
- 100 IFA की सुविधा प्राप्त महिलाएं : 12
- VHND का आयोजन : अनियमित
- जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी : 14
- प्रा. स्वा. केन्द्र पर सुविधाएं : दवा, संतुलित आहार, पेय जल व स्वच्छता

कृषि एवं पशुपालन संबंधी आंकड़े

फसल के प्रकार व परिवारों के निर्भरता का प्रतिशत			गांव में उपलब्ध पशुधन की संख्या व उपयोगिता के प्रकार		
खेती के प्रकार	मुख्य फसल	निर्भरता का प्रतिशत	मुख्य पशुधन का नाम	पशुधन की संख्या	पशुधन की उपयोगिता
रबी	गेहूं	100 प्रतिशत	गाय	30	दूध, गोबर खाद व व्यवसाय
खरीफ	धान	100 प्रतिशत	भैंस	100	दूध, गोबर खाद व व्यवसाय
जैद	सब्जी	20 प्रतिशत	बकरी	50	व्यवसाय

संलग्नक 10: "ग्राम पंचायत विकास योजना" निर्माण की गतिविधियों के लिए सुझावात्मक समय-सारणी

ध्यान रखें:– योजना निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाओं का विस्तृत दस्तावेजीकरण जरूरी है क्योंकि कार्य योजना प्लान–प्लस पर अपलोड करते वक्त दस्तीवेजीकरण की कार्यवाही को भी अपलोड करना होता है।

गतिविधि	सम्भावित दिवस	उद्देश्य
टास्कफोर्स के प्रशिक्षित सदस्यों के प्रधान और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक	1 दिन	• प्रशिक्षण की बातों को साझा करना • सहयोग की अपेक्षा • आगामी ग्राम सभा बैठक की तैयारी
ग्राम सभा की बैठक	1 दिन	• जी.पी.डी.पी. के बारे में चर्चा • पूरी प्रक्रिया का साझा • आगामी गतिविधियों का साझा
द्वितीयक डाटा का कलेक्शन	3 दिन प्रधान, सचिव, नियोजन समिति, टास्कफोर्स	• आगामी पी.आर.ए. टूल्स के मायम से निकली वास्तविक स्थिति की तुलना हेतु एवं वास्तविक स्थिति निकालने हेतु
पारिस्थितिकीय विश्लेषण पारिवारिक जांच सामाजिक संसाधन समूह चर्चा	2 दिन 1 दिन 1 दिन 2 से 3 दिन	• गांव की वास्तविक समस्याओं, आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के निर्माण में सहायता हेतु
उपरोक्त स्रोतों से निकले बिन्दुओं को समेकित करना एवं सूचीबद्ध करना	3 दिन	• ताकि योजना बनाने में सफलता मिले और सही योजना बन सके।
संसाधनों की उपलब्धता का विवरण एवं संकलन	1 दिन	• जिससे कि ग्राम पंचायत की योजना में कौन–कौन से विषयों को उपलब्ध बजट के अनुसार लिया जा सके।
ड्राफ्ट प्लान बजट सहित तैयार करना	1 दिन	• उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर गांव की आवश्यकता एवं प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए योजना का स्वरूप निर्धारित करना।
ग्राम पंचायत की बैठक में शेयर करना	1 दिन	• टास्कफोर्स एवं नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में शेयर करना।

गतिविधि	सम्भावित दिवस	उद्देश्य
ग्राम सभा की बैठक	1 दिन	• पंचायत द्वारा तैयार रिपोर्ट को ग्राम सभा की बैठक में विचार–विमर्श एवं सुझाव हेतु रखना, यदि ग्राम सभा बिना सुझाव के पारित कर देती है तो प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई ऐसा समझा जाएगा।
ग्राम पंचायत की बैठक	1 दिन	• यदि ग्राम सभा सुझाव देती है तो यह देखना कि टास्कफोर्स द्वारा उन बिन्दुओं को समाहित किया गया है या नहीं।

संलग्नक 11: वयस्क सीख चक्र

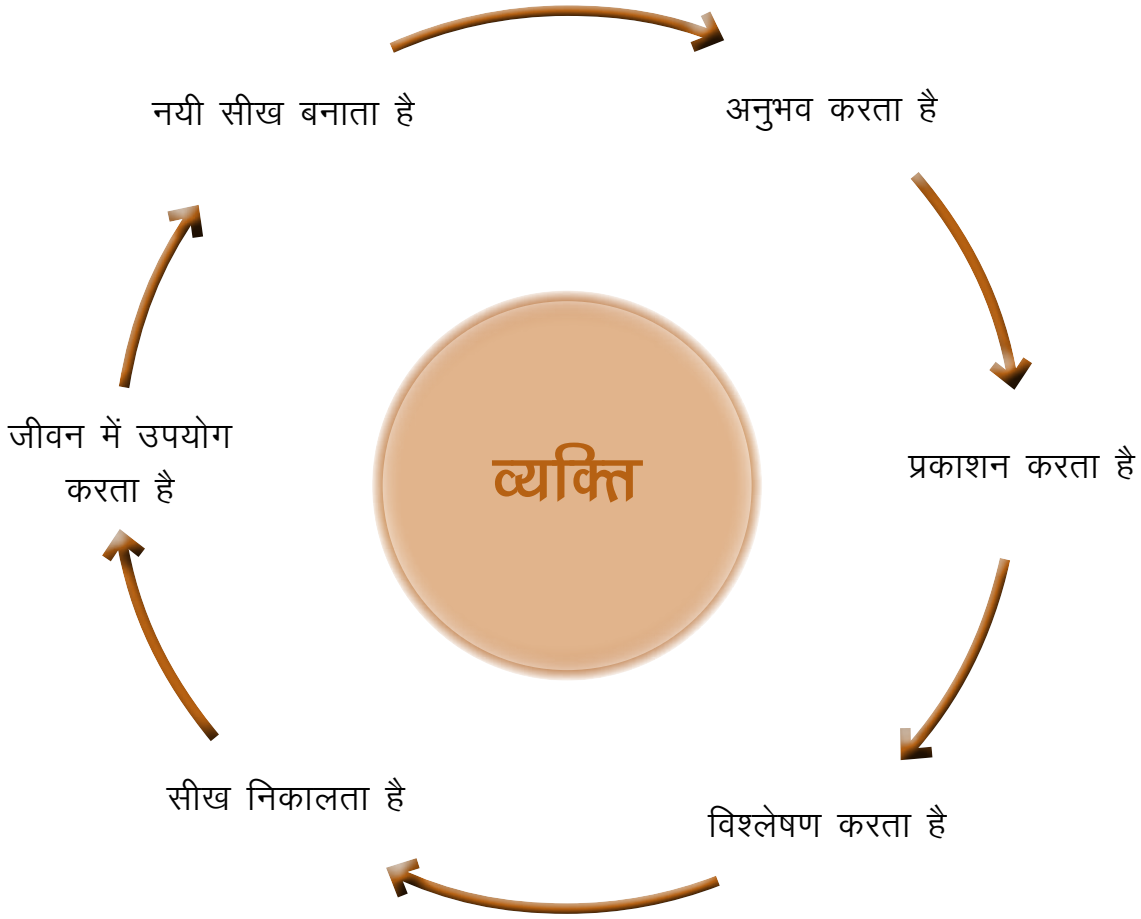

संलग्नक 12: पंचायतों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: कितनी जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया जा सकता है?

उत्तरः एक पंचायत का गठन 1000 तक की आबादी के राजस्व गांव पर या क्लस्टर के अन्य गांवों की कुल आबादी को राजस्व गांव की जनसंख्या में जोड़कर, कुल 1000 की आबादी की गणना की जाती है, लेकिन 1000 से ज्यादा आबादी वाले एक राजस्व गांव को आबादी के आधार पर दो राजस्व गांव में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता।

प्रश्न 2: पंचायत में पंचों की संख्या के क्या मानदंड हैं?

उत्तरः जनसंख्या 1000 = 1 प्रधान और 9 सदस्य होते हैं।
जनसंख्या 1001 से 2000 = 1 प्रधान और 11 सदस्य होते हैं।
जनसंख्या 2001 से 3000 = 1 प्रधान और 13 सदस्य होते हैं।
जनसंख्या 3001 और उससे ऊपर = 1 प्रधान और 15 सदस्य होते हैं।

प्रश्न 3: प्रस्तावित पंचायत बैठकों की आवृत्ति क्या होती है और ये बैठकें कहां आयोजित की जानी चाहिए?

उत्तरः सभी पंचायतों को हर महीने एक बैठक करनी होगी लेकिन, आवश्यकता के आधार पर, बैठकों की संख्या एक महीने में एक से अधिक भी हो सकती है। बैठकें पंचायत भवन या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए।

प्रश्न 4: बैठकों की जानकारी कैसे प्रसारित की जाती है?

उत्तरः सभी सदस्यों को बैठक की जानकारी लिखित रूप में, बैठक से कम से कम 5 दिन पहले दी जानी चाहिए। एक पंचायत के प्रमुख स्थानों पर बैठक की सूचना चिपका कर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। सूचना में बैठक के स्थान, समय और मुख्य एजेंडे की जानकारी दी जानी चाहिए।

प्रश्न 5: ग्राम पंचायत की बैठक को कौन बुला सकता है?

उत्तरः ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार प्रधान के पास है, लेकिन अगर 1/3 सदस्य अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित अनुरोध करते हैं, तो प्रधान को अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होती है। यदि प्रधान बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो ए.डी.ओ. पंचायत बैठक बुला सकते हैं।

प्रश्न 6: कोरम के लिए क्या नियम हैं और बैठक का अध्यक्ष कौन होगा?

उत्तर: कोरम = प्रधान सहित 1/3 सदस्य।

- यदि कोरम की कमी के कारण पहले प्रयास में बैठक नहीं हो पाती है, तो अगली बैठक के लिए यह कोरम जरूरी नहीं होगा, लेकिन बैठक की तारीख, समय और स्थान के बारे में सदस्यों को फिर से सूचित किया जाएगा।
- बैठक की अध्यक्षता प्रधान करेंगे। यदि किसी कारणवश प्रधान अध्यक्षता नहीं कर सकते तो प्रधान द्वारा नामित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- यदि यह संभव नहीं है, तो ए.डी.ओ. पंचायत बैठक के लिए अध्यक्ष को नामित करेंगे।
- यदि प्रधान और ए.डी.ओ. पंचायत अध्यक्ष को नामांकित करने में विफल हो जाते हैं, तो बैठक में उपस्थित सदस्य ही, बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने बीच उपस्थित किसी सदस्य को चुन सकते हैं।

प्रश्न 7: पंचायत में कितनी समितियां अनिवार्य हैं?

उत्तर: पंचायत में निम्न छः समितियां अनिवार्य हैं:

1. नियोजन समिति (योजना और विकास समिति)
2. शिक्षा समिति
3. प्रशासनिक समिति
4. निर्माण कार्य समिति
5. स्वास्थ्य और कल्याण समिति
6. जल प्रबंधन समिति

- पहली तीन समितियों के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं, जबकि शेष समितियों के सदस्य अपने स्वयं के अध्यक्ष चुन सकते हैं।
- समितियों को एक महीने में एक बार मिलना होता है और पंचायत बैठकों की तरह ही प्रोटोकॉल का पालन करना होता है।
- पंचायत समितियां अपनी बैठकों में सात गैर–सदस्यों को आमंत्रित कर सकती हैं। इन गैर–सदस्यों को किसी न किसी योजना का लाभार्थी होना चाहिए और उन पर किसी प्रकार का कर बकाया नहीं होना चाहिए।
- उनके पास मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन बैठकों में उनके सुझावों का बहुत मूल्य होगा। पंचायत समिति की बैठकों का कोरम चार है।

संलग्नक 13: वातावरण निर्माण

वातावरण निर्माण

ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण के उद्देश्य

ग्राम सभा के सभी सदस्यों तक ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की सूचना पहुंचाना।

जिससे कि:

- नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- समुदाय के सभी वर्गों विशेषतः वंचित वर्ग यथा (अनुसूचित जाति/जनजाति/
- पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला/पुरुष) की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- समस्या ग्रस्त व्यक्ति/समुदाय की नजर उपयुक्त समाधानों पर पड़ सके।

वातावरण निर्माण का यह अभियान राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न रूप में चलता है।

राज्य स्तर पर

- मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव के लिए उन्मुखीकरण कार्य शाला का आयोजन।
- पंचायत विभाग के मंत्री द्वारा सभी स्थानीय निकायों को संबोधित, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में पत्र।
- मीडिया का सहयोग लेने के लिए सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन।

वातावरण निर्माण का यह अभियान राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न रूप में चलता है।

जिला स्तर पर

- जिला अधिकारी (कलेक्टर) की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख/संबंधित विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन।

ब्लॉक स्तर पर

- उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के दो सदस्य/आशा/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी/रोजगार सेवक एवं युवक मंगल दल के सदस्यों के साथ कार्यशाला का आयोजन।

पंचायत स्तर पर

- सभी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों की बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा।

अन्य गतिविधियां

- जिला पंचायत राज अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के संयुक्त पत्र के माध्यम से प्रधानों एवं कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराना।
- चलचित्र के माध्यम से गांव वालों में जागरूकता लाना।
- परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार कुछ और गतिविधियां की जा सकती हैं, जो निम्नवत् हैं

- अखबार
- रेडियो
- दूरदर्शन
- स्थानीय केबल ऑपरेटर
- सिनेमा हॉल
- सोशल मीडिया
- नुक्कड़ नाटक
- ब्रोसर, पेम्फलेट
- स्वयं सहायता समूह का सहयोग और सहकारी संस्थाएं

संलग्नक 14: रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)

रिसोर्स एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)

1. मानव संसाधन

(क) मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के कर्मचारीगण

क्र. सं.	प्रति 10 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	सचिव	पंचायती राज एवं ग्राम विकास	2	ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य
2	सफाईकर्मी	पंचायती राज	18	स्वच्छता
3	रोजगार सेवक (संविदा पर)	ग्राम विकास	10	मनरेगा के अन्तर्गत आने वाले कार्य
4	एन.आर.एल.एम.			योजना में उपलब्ध संसाधन

क्र. सं.	प्रति 10 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य संबंधी
2	आशा (संविदा पर)	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य संबंधी
3	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आई.सी.डी.एस.	24	बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता
4	तकनीकी सहायक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	1.5	मनरेगा
5	एल.ई.ओ.	पशु–पालन	1	पशु–पालन
6	साक्षरता प्रेरक	साक्षरता एवं वैयक्तिक	10	वयस्क साक्षर

2. वित्तीय संसाधन

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
क	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय/मानव संसाधन	मानव संसाधन	वित्तीय संसाधन	
1	स्वयं के आय के स्रोत (OSR)			
2	14वां वित्त आयोग			
3	चतुर्थ वित्त आयोग			
4	मनरेगा			
5	शून्य लागत की पहल			
6	एन.आर.एल.एम.			
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
8	एन.आर.एच.एम.			
9	सर्व शिक्षा अभियान			
10	महिला एवं बाल विकास			
11	पशु–पालन			
12	वन विभाग			
13	अन्त्येष्टि स्थलों का विकास			
14	राम मनोहर लोहिया समग्र विकास– सी.सी. रोड/केसी. ड्रेन			
15	अन्य			

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
ख	संरचनात्मक संसाधन			
1	पंचायत भवन			
2	आंगनवाड़ी केन्द्र			
3	अन्य			
ग	अन्य संसाधन			
1	डेस्ट टाप कम्प्यूटर प्रिन्टर			
2	इन्टरनेट सुविधा			
3	एन.आई.सी./सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन			
4	द्वितीय/सहयोगी आंकड़ों के स्रोत– जनगणना 2011 सांख्यिकीय विभाग के आंकड़े ग्रामीण आर्थिक एवं सांख्यिकीय बुलेटिन			

2. वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है:

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि
- पंचायत घर निर्माण
- अन्य संसाधन यदि कोई हो

संलग्नक 15: संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण के पांच प्रपत्रों की प्रतियां

क्षेत्र–1: मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
जल स्रोत • शुद्ध पेय जल व्यवस्था पेय जल के स्त्रोत व संख्या • कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई • इण्डिया मार्क 2 के हैंड पंप की संख्या • उथला (कम गहरा) हैंड पंप की संख्या • अन्य जल स्त्रोत की संख्या (जैसेः कुआं, तालाब, आदि)			
स्वच्छता शौचालयों की संख्याः • व्यक्तिगत शौचालय • सामुदायिक शौचालय • स्कूल शौचालय साफ–सफाई की व्यवस्थाः • कूड़ा–कचरा निपटान • ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन			

क्षेत्र–1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
नागरिक सेवाएं • जन्म/मृत्यु पंजीकरण • परिवार रजिस्टर कॉपी • विवाह रजिस्ट्रेशन • भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि) • आधार पंजीकरण			
स्वास्थ्य • प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता • 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं? • गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता (पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्नक 4 को रेफर करें) • स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि) • क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो? • क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां, तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है?			

क्षेत्र–1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
बाल विकास एवं पुष्टाहार • बच्चों की संख्या • आंगनवाड़ी की संख्या • आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं • आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन? • आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वज़न • प्रसुति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं • किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण • कुपोषण की स्थिति			
शिक्षा • स्कूलों की संख्या व प्रकार • शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता • शिक्षा का अधिकार मानदंड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं • ड्रॉप आउट की स्थिति/कारण • बाल श्रम, बाल विवाह • मध्यान्ह् भोजन की व्यवस्था • स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं? • स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है? • क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?			

क्षेत्र–1: मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
सामाजिक सुरक्षा • राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या • राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था • राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है? • राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है? • राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या? • पात्रता के अनुसार आवास एवं वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन • योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति • सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ			
खेलकूद की व्यवस्था • गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है? • खेल के लिए उचित जगह/मैदान की उपलब्धता			

क्षेत्र–2: संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दों और आपदा प्रबन्धन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव • गांव में रोड़ और नालियों का निर्माण और रख–रखाव • बिजली के खंभों की संख्या • सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था • गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है? • गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है? • प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव • हैंड पंप • ए.एन.एम. उपकेन्द्र • पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल • ग्रामीण बाजार/हाट • कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा • पौधे–रोपणः सामाजिक वानिकी • पर्यावरण संरक्षण के कार्य			
यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो • आपदा से पूर्व की तैयारियां • आपदा के दौरान की तैयारियां • आपदा के बाद की तैयारियां			

क्षेत्र–2: संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दों और आपदा प्रबन्धन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार • गांव में शमशान है? • गांव में कब्रिस्तान है? • इनकी स्थिति कैसी है?			
पार्क का रख–रखाव • पार्क की व्यवस्था • पार्क कितना उपयोगी है? • क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?			
लाइब्रेरी का रख–रखाव • गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं? • यदि है तो उसका उपयोग कौन–कौन करता है? • क्या वहां रोज अखबार आता है?			

क्षेत्र–3: आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
कृषि में सहायता–कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन।			
मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित)।			
मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोज़गार एवं भुगतान।			
स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना।			
बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना।			
फलों की खेती में सहयोग।			
पशु–पालन में सहयोग।			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।			
राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना।			
ऊशर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था।			

क्षेत्र 4: सुशासन एवं समावेशन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण)।			
एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन।			
अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण।			
सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्प संख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना।			
सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना।			

क्षेत्र 4: सुशासन एवं समावेशन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति			
नियमानुसार पंचायत की बैठकें।			
साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन।			
नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक।			
नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी., एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबंधन समिति की बैठक।			
ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।			

क्षेत्र–5: व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
व्यक्तिगत व्यवहार – शौचालय का उपयोग, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, 6 माह तक नवजात को केवल स्तनपान, 6 महीने के उपरांत पूरक आहार, आयोडिन युक्त नमक का उपयोग।			
सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे कि बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि।			
नशाखोरी, झगड़ों/वाद–विवाद का निपटारा।			

संलग्नक 16: ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान

ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान

परियोजना निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियां

- ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार होने और विभिन्न स्रोतों से फंड के आवंटन के
- पश्चात् बजट आंकलन के साथ विस्तृत परियोजना का निर्माण किया जाता है।
- यह कार्य गांव के स्त्रोत समूह, संबंधित विभागों के कर्मी और ग्राम पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है।
- इसके लिए परियोजना निर्माण से पूर्व कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती हैं:
  1. परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्र भ्रमण
  2. निरीक्षण
  3. लक्षित समूहों से विचार–विमश्ज्ञ
  4. तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा
  5. आंकड़ों का संकलन

परियोजना निर्माण में निम्नलिखित अवयवों (अंशों) का होना आवश्यक है, जैसे कि

- परियोजना का शीर्षक।
- पारिस्थितिक विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर परिचय–पृष्ठभूमि और परियोजना का सारांश।
- परियोजना का विवरण।
- परियोजना के उद्देश्य।
- परियोजना का स्थान।
- परियोजना के अंश एवं गतिविधियों का विवरण।
- बजट–लागत और फंड का स्रोत– परियोजना के अंशवार लागत और फंड का विवरण।
- समयावधि और कार्ययोजना– परियोजना के क्रियान्वयन का कैलेण्डर।
- क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था।
- अपेक्षित परिणाम– ग्राम सभा के निर्णयों के आधार पर लाभार्थी/लाभान्वित क्षेत्र।
- कार्यवाही और रख–रखाव– कार्यवाही और रख–रखाव की प्रणाली।
- अनुश्रवण– अनुश्रवण के सूचक और अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित पद्धति।

परियोजना निर्माण का प्रारूप जिसे शासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रयोग किया जाएगा

ग्राम पंचायत का नामः ..... **परियोजना का प्रकारः** .....

विकास का क्षेत्रः ..... **शीर्षकः** .....

क्र.	विषय								
1	परिचय								
2	विवरण								
3	उद्देश्य								
4	अपेक्षित परिणाम/दूरगामी परिणाम								
5	स्थान								
6	परियोजना के अवयव (अंश)								
7	क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था								
8	अनुश्रवण प्रणाली								
9	बजट	अंश	14वां वित्त	स्वयं की आय	मनरेगा	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	अन्य	कुल	
10	समयावधि	गतिविधि	जनवरी–फरवरी	मार्च–अप्रैल	मई–जून	जुलाई–अगस्त	सितम्बर–अक्टूबर	नवम्बर–दिसम्बर	कुल उपलब्ध बजट

वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति के मापदंड

प्रशासनिक स्वीकृति – ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा

02 लाख रुपए तक : ग्राम पंचायत के द्वारा

02 से 02.50 लाख रुपए तक : ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा

02.50 से 05.00 लाख रुपए तक : डी.पी.आर.ओ. के द्वारा

05.00 लाख रुपए से ऊपर : जिलाधिकारी के द्वारा

नोटः

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अंदर कराकर निशुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
(Registration of Birth and Death Act, 1969)

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के स्थान और अपने अधिकार क्षेत्र में ही करना होता है।

जन्म का पंजीकरण के लिए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी अध्यापक रजिस्ट्रार होते हैं।

जहां...

- हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए समर्थन दिया जाता है...
- हर महिला को अपने सपने पूरा करने के लिए समर्थन और समान अवसर मिलता है...
- हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक के रूप में योगदान करने और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है...
- हर ग्राम पंचायत मानव विकास, सामाजिक सामंजस्य, अधोसंरचना और पर्यावरण संरक्षण में प्रगति करती है...

उत्तर प्रदेश अपने आपको गढ़ रहा है... उत्तम प्रदेश के रूप में!

हमारी योजना, हमारा विकास

पंचायती राज विभाग

लोहिया भवन, प्लॉट न. 06, सेक्टर ई, पुरनिया,

अलीगंज, लखनऊ–226024